खण्ड-209, अंक-5
गुरूवार, 29 माघ, शक संवत् 1881
(18 फरवरी, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४७

अक्षयवर्रासंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गरुप्रसादसिंह, श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु, शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद, पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री

फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धिसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री

हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १८ फरवरी, १९६०

तारांकित प्रश्न

महाराजगंज में रोडवेज बस स्टेशन की आवश्यकता

*१—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के महाराजगंज नामक स्थान पर कोई बस स्टेशन भवन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—जी नहीं। अभी भूमि प्राप्त नहीं हो सकी है।

*२—**श्री अमरनाथ**—क्या मंत्री परिवहन कृपया यह बतायेंगे कि उपर्युक्त भवन कब तक बन जावेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—भूमि प्राप्त होते ही भवन निर्माण-कार्य आरम्भ हो जावेगा।

*३—**श्री अमरनाथ**—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में रोडवेज से कितनी आय हुई और उसमें से गोरखपुर रीजन में कितनी आय हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—उत्तर प्रदेश रोडवेज से सन् १९५८-५९ ई० के वित्तीय वर्ष में कुल ६,७७,८७,१९९ रुपये की आय (Gross receipts) हुई। इसमें से गोरखपुर रीजन से ८९,३२,०१९ रुपये की आय हुई।

श्री अमरनाथ—भूमि प्राप्त करने की क्या कार्यवाही की गयी और कब की गयी ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—लैंड एक्वीजीशन आफिसर को ६ फरवरी को चिट्ठी गयी है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

श्री अमरनाथ—यह भूमि कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—यथाशीघ्र प्रयास किया जा रहा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—कितनी भूमि प्राप्त करने के लिये उनको लिखा गया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। जिस जमीन के लिये लिखा गया है वह किसी सज्जन की है, उसे प्राप्त किया जा रहा है। उसका क्षेत्रफल कितना है यह इस समय नहीं बतलाया जा सकता।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—सरकार की नीति क्या है, जितने प्रमुख रोडवेज स्टेशंस हैं वहां पर सरकारी भवन बनाया जाय या किराये पर ही लिया जाय ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—सरकार की नीति है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए जितने भी प्रमुख बस-स्टेशन हैं उन सब में राजकीय भवन बनाये जायं।

पिछड़े क्षेत्रों की विकास योजना

*४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में "उत्तर प्रदेश" के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की कोई विशेष योजना है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—जी हां।

*५—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो इस विशेष योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों तथा पुलों का निर्माण कहां-कहां किया जायेगा ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य संलग्न सूची देखने की कृपा करें।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२१ पर)

*६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त योजना को चालू किये जाने के हेतु भारत सरकार द्वारा धन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह धन सहायता या ऋण किस रूप में है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत किन योजनाओं पर कितना-कितना धन व्यय किये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा स्वीकृत धन में से कितना धन ३०-९-५९ तक व्यय किया जा चुका है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां, ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है। इस धन से चालू की जाने वाली योजनाओं आदि का विवरण संलग्न सूची 'ख' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२२—४२५ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय और पूर्वीय बुन्देलखंड जिलों के ३३ लाख स्वीकृत धन में से बिलकुल रुपया खर्च न होने का कारण क्या है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसकी तो बहुत-सी वजहें हो सकती हैं। अगर किसी खास जगह के मुताल्लिक पूछना चाहेंगे तो मैं मालूम करके बतला दूंगा, लेकिन काम जो वक्त पर नहीं होता है उसकी बहुत-सी वजूहात हो सकती हैं—जमीन हासिल नहीं हो सकती है, कभी-कभी बड़ी योजना होती है तो उसके लिये फारेन एक्सचेंज प्राप्त नहीं हो पाता है, टेक्निकल पर्सन्स नहीं मिल पाते हैं। अगर माननीय सदस्य किसी खास योजना की तरफ तवज्जह दिलायेंगे तो मालूम करके बतलाया जा सकता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—३३ लाख रुपये में से खर्च न होने का कारण यह भी है कि बिना प्लानिंग के ही यह योजना बना ली गयी ?

श्री सुल्तान आलम खां—नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्लानिंग के बाद ही योजना बनाई जाती है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों के लिये कुल ५६,७५,००० रुपये की धनराशि में से केवल ९२ रुपये ही खर्च किये जा सके हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां--जैसा मैंने पहले ही जवाब दिया कि किस योजना पर कितना रुपया खर्च किया गया और कितना क्यों नहीं हो सका इसकी अगर अलग-अलग नोटिस माननीय सदस्य मुझे देंगे तो मैं बतला दूंगा।

श्री अध्यक्ष--जब ५६ लाख में से सिर्फ ९२ रुपये ही खर्च हुये हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि किसी भी योजना में खर्च नहीं हुआ। इसके बारे में तो आप आमतौर पर ही जवाब दे सकेंगे। मैं समझता हूं कि हर एक योजना पर तो जवाब का सवाल है नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां--इसको अगर आप पोस्टपोन कर दें तो मैं पूरी इत्तला बाद में दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इसको अगले हफ्ते के लिये रखता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, कुछ रुपया खर्च हुआ है माननीय मंत्री जी को शायद मालूम नहीं है, मैं बतला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। उनका जवाब है कि कुल ९२ रुपये ही खर्च हुये हैं जो कोई बड़ी रकम नहीं है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--श्रीमन्, यदि आधे घंटे का समय मुकर्रर करने की कृपा करें तो बड़ी दया हो।

श्री अध्यक्ष--वह तो जब प्रश्नों का उत्तर हो जाय और उसमें आपके प्रश्न का ठीक जवाब न मिले या कोई और जानकारी हासिल करनी हो तभी उसके लिये आप मांग कर सकते हैं, इस समय नहीं।

[प्रश्न ४-६ स्थगित किये गये।]

ग्रामों की सुरक्षा-व्यवस्था प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से करने पर विचार

*७--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार प्रदेश के कुछ बड़े शहरों में प्रान्तीय रक्षक दल को पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के मातहत रख कर सुरक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है उसी प्रकार बड़े पैमाने पर ग्रामीण स्तर पर ग्रामों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से करने का विचार सरकार कर रही है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां। तीसरी योजना में यह कार्य करने के लिए विचार किया जायगा।

*८--**श्री मुक्तिनाथराय** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो किस प्रकार?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी सुनिश्चित रूप-रेखा तैयार नहीं हो पायी है।

*९--**श्री मुक्तिनाथराय** (अनुपस्थित)--यदि नहीं, तो ग्रामों की सुरक्षा व्यवस्था प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से करने में सरकार को क्या आपत्ति है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न ही नहीं उठता।

*१०--**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

अश्लील गीत वाले चलचित्रों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव

*११—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान उन चल-चित्रों की ओर अकर्षित किया है जिनमें प्रदर्शित scenes तथा आदरणीय महिला जगत को 'जहर की पुड़िया' कहकर संबोधित करने व इसी प्रकार के अश्लील गानों से जनता के नैतिक स्तर का ह्रास हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

*१२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का ध्यान अमेरिका के मोशन पिक्चर एसोशियेशन के प्रोडक्शन कोड के उन नियमों की ओर भी आकर्षित करने की कृपा करेगी जिनमें लिखा है कि—

(१) ऐसा कोई भी चित्र नहीं बनाया जायगा जिससे देखने वाले के नैतिक स्तर का ह्रास हो ?

(२) कामुकतापूर्ण कोई संकेत जिससे कामोद्दीपन हो, नहीं दिखाया जायेगा ।

(३) अंग संचालन वाले भद्दे नृत्य वर्जित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार को इस कोड की जानकारी नहीं है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान उक्त अश्लील गानों व भद्दे प्रदर्शनों की ओर आकर्षित किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मेरा सौभाग्य समझिये कि मैंने इस फिल्मों को भी नहीं देखा और न इन गानों को सुना और न किसी और ने मेरा ध्यान इनकी ओर आकृष्ट किया।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—जैसा इसमें 'जहर की पुड़िया' शब्द लिखे हुए हैं यह सत्य है, इसको मेरी सूचना मान कर क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उस फिल्म से इस गाने को निकलवायेंगे अथवा इस फिल्म को ही बैन करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब किस किस चीज को बैन किया जाय । तुलसीदास जी ने स्त्रियों के ८ अवगुण लिख रखे हैं, असत्य अदाया, अशौच, इत्यादि ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जैसा कि कई जगह महिलाओं ने अपने भाषणों में उनके जो विशेष अधिवेशन हुए उनमें, चाहे वे जनसंघ की ओर से हुए हों या किसी और पार्टी की ओर से, ऐसे अश्लील गानों और प्रदर्शनों पर टिप्पणी की और कहा कि यह निकाल देने चाहिये क्योंकि इसमें महिला जगत का अपमान है, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—पुनर्विचार का सवाल तो इसमें पैदा नहीं होता है । उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करने की कृपा करेंगे कि वह ऐसे फिल्मों के, जिनमें अश्लील गाने आदि हों, प्रदर्शन की इजाजत न दे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बात ऐसी है कि केन्द्रीय सरकार के पास सेन्सर का एक बोर्ड है जिसमें केवल सरकारी आदमी ही नहीं बल्कि बहुत से गैर सरकारी आदमी स्त्री पुरुष, भी हैं। वह केन्द्रीय विषय है। जहां तक मैं जानता हूं हर फिल्म बोर्ड आफ

सेन्सर के सामने पेश होती है। तो मानना चाहिये कि उस बोर्ड आफ सेन्सर के जो सदस्य हैं, स्त्री और पुरुष, सभी ने पास किया होगा।

एक चीज का और जिक्र कर दूं। अभी इस बात का जिक्र हुआ कि महिलाओं की कई सभाओं ने शिकायत की। तो उन्होंने अपनी शिकायत सीधे केन्द्रीय सरकार के पास भेजी होगी। हमारे पास तो कोई शिकायत आयी नहीं।

प्रान्तीय रक्षक दल में पदाधिकारियों की नियुक्ति

*१३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उनके पास इस वर्ष ऐसे सुझाव आये हैं कि प्रान्तीय रक्षक दल में सौ रुपये या इससे ऊपर के वेतन पाने वालों की नियुक्ति करने के लिये एक चुनाव समिति बनायी जाय?

श्री सुल्तान आलम खां—जी नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षक दल में १०० रुपये से ऊपर वालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

श्री सुल्तान आलम खां—इसमें असिस्टेंट कमांडेंट की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के मशविरे से की जाती है। क्वार्टर मास्टर एक मिलीटरी का आफिसर है। डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर्स को, १९५४ में एक सेलेक्शन कमेटी बैठी थी, उसने भरती किया था। उस वक्त से अब तक कोई नयी नियुक्ति नहीं हुई। असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर्स को तरक्की देकर डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर बनाया जाता है और जोन वर्कर्स को तरक्की देकर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर बना दिया जाता है। जो आखिरी जगह है उसको एम्प्लाइमेंट एक्सचेंज से भरा जाता है। इसी सूरत से जो मिनिस्टीरियल जगहें हैं, उनमें नीचे से ऊपर तरक्की दी जाती है और सब से नीची जगह को एम्प्लाइमेंट एक्सचेंज से भरा जाता है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की सुरक्षा के लिये पी० आर० डी० में से सेलेक्शन करने का विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो किस तरह से इस काम के लिये तरजीह दी जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भारत की सुरक्षा का काम केन्द्रीय सरकार का है, प्रदेश की सरकार का है नहीं।

एटा-मैनपुरी मार्ग पर बस-सर्विस योजना

*१४—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार एटा-मैनपुरी लाइन पर सरकारी बसें परिवहन अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत घोषित किये जाने पर उस अधिनियम के सुप्रीम-कोर्ट द्वारा खिलाफ कानून प्रख्यापित हो जाने के विषय में यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सुप्रीमकोर्ट से अब फैसला हो चुका है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां।

*१५—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो एटा-मैनपुरी लाइन पर सरकारी बसें किस तारीख से चलने लगेंगी?

श्री धर्मदत्त वैद्य—वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में इस मार्ग पर सरकारी बसें चलाने का प्रस्ताव है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैसला कब हुआ और क्या हुआ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—१५ जनवरी, १९५९ को फैसला हुआ। १७ अक्तूबर, १९५९ के सरकारी आदेश द्वारा एटा-मैनपुरी रूट का राष्ट्रीयकरण स्वीकृत किया गया। मोटर आपरेटर्स ने अदालत में रिट किया था जो कि सुप्रीमकोर्ट ने अन्त में खारिज कर दिया। अब सरकार ने वहां सरकारी बस चलाने का प्रस्ताव किया है।

टाइपराइटरों की खरीद

*१६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने अपने विभागों के लिये सन् १९५७-५८, ५८-५९ व ५९-६० में किस-किस कम्पनी से कितनी-कितनी टाइपराईटिंग मशीनें खरीदी थीं ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—उक्त वर्षों में जिन-जिन कम्पनियों से जितने-जितने टाइपराइटर खरीदे गये उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मशीनों के खरीदते वक्त किसी एक्सपर्ट की अपोनियन ली जाती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मशीनों में कितनी हिन्दी की हैं और कितनी अंग्रेजी की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सन् १९५७-५८ में ३३५ मशीनें अंग्रेजी की थीं, २४४ हिन्दी की थीं। यह बड़ी मशीनें थीं। पोर्टेबिल मशीनों में ८३ मशीनें अंग्रेजी की और १६ हिन्दी की। एक उर्दू की। १९५८-५९ में ३७२ अंग्रेजी की और २४५ हिन्दी की बड़ी मशीनें थी और १९५९-६० में २२६ अंग्रेजी की १८३ हिन्दी की।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि हिन्दी की कार्यवाही बढ़े और हिन्दी में काम अधिक हो, हिन्दी की मशीनें जो कम आयीं है इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अभी हमारे देश में जो स्थिति है, उसमें महालेखापाल, केन्द्रीय सरकार के कई विभागों के साथ, टेक्निकल एजूकेशन के संबंध में, जो हमारा काम होता है उसके सिलसिले में हमें अंग्रेजी का काम करना पड़ता है। इसलिये उस फैले हुए काम के और बढ़ते हुए काम के संबंध में अंग्रेजी के टाइपराइटर लगाने पड़े, लेकिन जो सरकार का आम आदेश है वह यह है कि जहां तक प्रदेशीय सरकार का काम है इसके संबंध में जितना भी काम हो अंग्रेजी से न लिया जाय बल्कि सिर्फ हिन्दी के टाइपराइटर से लिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतालाने की कृपा करेगी कि जिन कामों के बारे में उसने यह कहा कि वह अंग्रेजी में होने आवश्यक हैं, तो अंग्रेजी में होने जितने आवश्यक हैं, क्या उनका अनुपात हिन्दी में किये जाने वाले कामों से ज्यादा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, टाइपराइटरों की संख्या अकेले काम को निर्धारित नहीं कर सकती। इसके लिये कार्य क्षमता का पूरा-पूरा इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ इससे मालूम पड़ेगा कि काम का अनुपात एक दूसरे से कितना है। हिन्दी के टाइप राइटरों पर ज्यादा और अंग्रेजी के टाइपराइटरों पर कम काम आज भी होता है।

सामुदायिक विकास खंडों की स्थापना

*१७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि २७ जुलाई, १९५९ को राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो यह आशा प्रकट की थी कि इस वर्ष अक्तूबर तक राज्य के कुल (अ) क्षेत्रफल के ५२·६ प्रतिशत भाग में तथा (ब) कुल जन-संख्या के ४६.१ प्रतिशत का तथा (स) उसके गांवों की कुल जन-संख्या के ५३.४ प्रतिशत के लिये सामुदायिक विकास खंड अपनी विभिन्न अवस्थाओं में कायम हो जावेंगे वह पूरी हुई या नहीं ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां।

*१८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ३० नवम्बर, १९५९ तक सामुदायिक विकास खंड अपनी विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग उपर्युक्त तीनों दृष्टियों से कितने-कितने प्रतिशत में कायम हो चुके हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—वांछित आंकड़े इस प्रकार हैं—(अ) राज्य के कुल क्षेत्रफल के ५२·९ प्रतिशत भाग में, (ब) राज्य की कुल जन-संख्या का ४७.० प्रतिशत, (स) राज्य के गांवों की कुल जन-संख्या का ५४.४ प्रतिशत।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो उत्तर "जी हां" में दिया है यह उत्तर योजना पूरी नहीं हुई का है या पूरी हुई का है ?

श्री सुल्तान आलम खां—मेरी मुराद यह है कि जो माननीय राज्यपाल ने अपने ऐड्रेस में कहा था कि यह आंकड़े पूरे हो जायेंगे वह पूरे हुए बल्कि उससे कुछ आगे बढ़ गये।

बस्ती जिले की सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट

*१९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार का ध्यान National Council of Applied Economic Research, New Delhi द्वारा किये गये बस्ती जिले की सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट, जिसका विवरण १४ सितम्बर, १९५९ को दिल्ली से प्रकाशित दैनिक (The Hindustan Times) में दिया गया है, की तरफ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हां, उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट एक मूल्यांकित प्रकाशन है, अतः इसकी एक प्रति 'ऐसेम्बली लाइब्रेरी' में सदस्यों के अध्ययन हेतु रखा दी गई है।

*२०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में बतायी गयी दुर्व्यवस्था के निवारण हेतु सरकार की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उस रिपोर्ट में दी हुई मुख्य बातों को संक्षिप्त रूप से सदन के सम्मुख रख सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह सर्वेक्षण की रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री मदन पांडेय—वहां की दशा के संबंध में, उसमें लिखा हुआ है। वह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप खुद उसको पढ़ लें।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस रिपोर्ट में कमेटी की बस्ती जिले के लिये कोई विशेष सिफारिश है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, सिफारिशें की गयी हैं, लेकिन जैसा की उस कमेटी ने खुद लिखा है, यह बस्ती जिले की ही कोई विशेष बात नहीं है बल्कि प्रदेश के करीब-करीब हर जिले के लिए वही सिफारिशे होंगी ।

श्री मदन पांडेय---जो रिपोर्ट केआधार पर सर्वेक्षण हो रहा है और उसपर विचार हो रहा है उसमें क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया इन तीनों जिलों को एक ही दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक हमारा खयाल है महज इन तीन जिलों को ही नहीं बल्कि प्रदेश के ५१ जिलों को एक ही दृष्टि से देखना होगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को यह पता है कि बस्ती जिल की जनता की औसत आमदनी प्रदेश के अन्य जिलों की औसत आमदनी से कम है, इस बात को भी उस रिपोर्ट में लिखा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो मुझे इस वक्त याद नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगी और इसके ऊपर कार्यान्वयन कब तक हो सकेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब तक सरकार इस बात का निश्चय न कर सके कि इस रिपोर्ट की सिफारिशों को सारे प्रदेश में लागू करने के लिए कितने धन का प्रबन्ध करना होगा तब तक शायद अकेले बस्ती जिले के लिये तो ऐसा करना उचित न होगा ।

कानपुर-बिल्हौर सड़क पर बस दुर्घटना

*२१---श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, सन् १९५९ में कानपुर-बिल्हौर के बीच कोई बस दुर्घटना हुई ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों को चोटें लगीं, कितनी मृत्युएं हुईं और सरकार को कितनी क्षति उठानी पड़ी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---जी हां, दुर्घटना में न तो किसी को चोट आई और न किसी की मृत्य हुई । सरकार को अनुमानतः १,१०० रुपये की क्षति हुई ।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी जिनसे कि यह दुर्घटना हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---एक मिलर पी० डब्ल्यू० डी० का खड़ा हुआ था, उससे जाती हुई बस टकरा गई और उसमें थोड़ी सी हानि बस को हुई। लगभग १ हजार रुपये की हानि जो पी० डब्ल्यू० डी० का मिलर था, उसको हुई।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि इस घटना के बाद भी अन्य घटनायें उस सड़क पर हुई हैं और उसका कारण यह है कि उस सड़क पर बहुत से अवरोध रहा करते हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि वह जो बस जा रही थी वह अपनी साइड पर नहीं जा रही थी ?

डाक्टर सीताराम---इस सब की जांच पड़ताल कलेक्टर के द्वारा हो रही है। जनरल मैनेजर, कानपुर डिवीजन की जांच से पता चला है कि बस ठीक लाइन पर जा रही थी ।

आजमगढ़ जिले में सिंचाई कूपों के लिये तकावी

*२२—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सिंचाई के कूपों के निर्माण के निमित्त कितना रुपया तकावी पर वितरण के लिये इस वर्ष स्वीकृत किया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—६९,००० रुपये ।

*२३—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार उक्त तकावी पर दी जाने वाली धनराशि को प्रति कुआं कुछ धन निश्चित अनुदान की शक्ल में देकर कूप निर्माण कराने का आदेश देने के बारे में विचार करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—उपरोक्त धनराशि में से ५०,००० रुपये अर्थात् १०० कुओं के लिय ५०० रुपये प्रति कुयें की दर से दी गई तकावी पर २५ प्रतिशत के हिसाब से अनुदान देने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। बाकी धनराशि, १९,००० रुपये पर कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई के कुओं के निर्माण के निमित्त सरकार पहले चार सौ या पांच सौ रुपया अनुदान या सामान की शक्ल में देती थी और अब यह अनुदान बन्द कर दिया गया है, तो क्या सूखा पीड़ित जिलों की विशेष परिस्थिति को देखते हुये सरकार पुनः अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—पहले ऐसा था कि चार सौ रुपया एक कुआं के लिये दिया जाता था, लेकिन अब जो नई तजवीज है उसके मुताबिक ५ सौ रुपया दिया जाता है और उसमें २५ फीसदी अगर काम वक्त के अन्दर पूरा कर दिया जाय तो वह सब्सिडी के साथ में ले लिया जाता है ।

श्री मुक्तिनाथराय—मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि क्या सरकार यह ४०० या ५०० रुपया अनुदान का सामान की शक्ल में देने की बात पर पुनः विचार करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—मुनासिब यही समझा जाता है कि इस तरह से दिया जाय और लोग पसंद भी इसे करते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस ऋण के देने की जो पहले व्यवस्था थी उसके विपरीत क्या सरकार पंचायतों से भी इस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी कि उनके द्वारा दरख्वास्तें ली जायं और ऋण दिया जाय ताकि लोगों को और अधिक सुविधा हो सके ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है और उस पर गौर किया जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो इन ५०० रुपयों के लिये ४०० रुपया वसूली की बात कही गयी है, उस के साथ ब्याज के वसूल किये जाने की बात भी क्या लागू है ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह ५०० रुपया जो लिया जाता है उसके लिये जो कायदे और नियम बने हुए हैं उन के हिसाब से लिया जाता है और अगर काम वक्त पर नहीं पूरा होता तो २५ रुपये के हिसाब से सब्सीडी इस्टालमेंट्स में शामिल कर दी जाती है ।

यू० पी० हैण्डीक्रैफट्स, मंसूरी में गबन

*२४--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स के मंसूरी स्थित कियास्क (Kiosk) में भवन अथवा सामान के कम होने की सूचना मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार सदन को कृपया इसके विवरण से अवगत करायेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां । (घटना का विवरण संलग्न है) ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२७ पर) ।

श्री मदन पांडेय--इस विवरण में जुलाई और सितम्बर के दो महीनों में गबन की बात बतलायी गयी है । तो यह गबन एक ही व्यक्ति ने किये थे अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यह सारा एक ही व्यक्ति के सम्बन्ध में है ।

श्री झारखंडेराय--इस बात को देखते हुए कि यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट्स के बारे में अक्सर यहां शिकायतें आयी हैं और पी० ए० सी० के सामने भी मामला आ चुका है और कई बार देख-भाल की गयी, तो क्या सरकार इस बारे में कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार रखती है कि जो इसकी जांच कर के इन सब से उसका निस्तार करने की कोशिश करे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अभी ऐसी आवश्यकता सरकार को नहीं प्रतीत होती ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डेली सेल जो होता था वह किस के पास जमा होता था और यह गबन कैसे हो गया और इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? और क्या यह जिम्मेदारी किसी मैनेजर आदि पर आयद भी की गयी है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जून, १९५९ में वहां यह शो रूम खुला था और जुलाई में ही यह पकड़ लिया गया । यह घपला चल रहा है और उस के बाद जब सितम्बर में फिर मुआयना हुआ तो फिर यह घपला निकला । तो वह सारा मामला पुलिस को दे दिया गया और काफी रुपया वसूल हो गया है और क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन चल रहा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--प्रश्न में यह पूछा गया है कि यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स के मंसूरी स्थित 'कियास्क में भवन अथवा सामान के कम होने की सूचना मिली है' ? तो भवन कौन सा गुम हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वह शब्द 'गबन' है, 'भवन' नहीं ।

श्री मदन पांडेय--क्या यह सत्य है कि हजरतगंज शो रूम पर स्पेशल मैनेजर खास तौर पर रहते हैं, लेकिन अन्य स्थानों की रिपोर्ट उनके पास आया करती है जिसमें रोजाना की बिक्री और वह कहां जमा हो रही है इसका विवरण होता रहता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां, ऐसा होना चाहिये ।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो गबन हुआ है यह किन-किन तारीखों का है और इसकी सूचना स्पेशल मैनेजर साहब को कब मिली ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, जून के हिसाब में घपला मालूम हुआ तो उसे पकड़ा गया । जून के महीने का घपला है, जुलाई में पकड़ा गया ।

श्री मदन पांडेय--क्या यह सत्य है कि जिन दिनों की बिक्री जमा नहीं बतायी गयी है उन्हीं दिनों में स्पेशल मैनेजर स्वयं वहां मौजूद थे और उनकी देख-रेख भी उसी स्थान पर थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है और माननीय सदस्य ऐसा लिख कर दें तो जांच करा लूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को स्मरण है कि इस सदन में उद्योग मंत्री ने यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स में आग लगने, चोरी होने, गबन होने तथा अन्य भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति कई बार पिछले साल में की है ? क्या इसको देखते हुए गवर्नमेंट विचार करेगी कि किसी दूसरे मुहकमें से हैन्डीक्रैफ्ट्स के एकाउंट्स की जांच करायी जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने जैसा आपसे निवेदन किया, हम उस तरफ सुबेत हैं, लेकिन यह नहीं मानते हैं कि आग लगने, गबन होने, चोरी होने के पीछे कोई गड़बड़ी थी । एक बड़ा बिजनेस कंसर्न है, और वहां कोई छोटी बात, कोई गलती कभी सामने आ जाय तो जान-बूझ कर दी गई है, ऐसा मान लेना भी उचित नहीं होगा, लेकिन जब कभी सरकार के सामने कोई बात आई है तो उचित स्तर पर उचित ढंग से जांच कराई गई । इसी लिये निवेदन किया कि पुलिस और कलेक्टर को क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन के लिये मामला दे दिया गया ।

१८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के पीड़ितों के परिवारों को पुरस्कृत करने का सुझाव

*२५---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार १८५७ के भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के पीड़ित परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये अथवा उन्हें किसी भी रूप में पुरस्कृत करने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना की क्या रूपरेखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में वह इस प्रकार की कोई योजना बनायेंगे जिससे १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले परिवारों के प्रति सम्मान प्रदर्शित हो या उनको किसी प्रकार से पुरस्कृत कर सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त तो ऐसा कोई विचार नहीं है । उन लोगों के प्रति हमारे दिलों में आदर है, लेकिन १०० वर्ष से ऊपर की बात हो गयी । इस बात का भी अन्दाज नहीं कि १ लाख परिवार थे, २ लाख थे जो उसमें शरीक हुए । उनकी सूची भी नहीं है और सूची बनाने में काफी समय लगेगा और १०० वर्ष के बाद पुरस्कार की बात उठाना हमारी शक्ति के बाहर की बात है ।

रोडवेज बस स्टेशन, गोरखपुर में स्त्री शौचालय तथा देवरिया बस स्टेशन पर महिला विश्रामालय न होना

*२६---**श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज बस स्टेशन, गोरखपुर पिछले कितने वर्षों से काम कर रहा है तथा क्या अब तक वहां स्त्रियों के लिये शौचालय नहीं है ? यदि हां, तो स्त्रियों के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---पिछले १२ वर्षों से वर्तमान बस स्टेशन में स्त्रियों के लिये शौचालय की अलग व्यवस्था नहीं है ।

*२७---**श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रोडवेज बस स्टेशन, देवरिया का महिला विश्रामालय तोड़ कर आफिस में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---जी हां, जगह की कमी के कारण ऐसा किया गया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी गोरखपुर बस स्टेशन के महत्व को देखते हुए आजतक अलग से महिलाओं के शौचालय की व्यवस्था न हो सकी तो अलग से शौचालय की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—इसके पूर्व प्रश्नोत्तर में बताया गया कि १२ वर्ष पहले के बस स्टेशन में शौचालय की व्यवस्था थी, १९५८ में जो नया बना उसमें नहीं है और इस साल ५,००० रुपया स्वीकार किये गये हैं और आशा की जाती है कि १५ मार्च, १९६० तक स्त्रियों के लिये शौचालय बन जायगा ।

आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० डिग्री

*२८—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रमिक कल्याण सम्बन्धी पदों के लिये विज्ञापनों में जहां लखनऊ विश्वविद्यालय की एम० एस०डब्ल्यू०, काशी विद्यापीठ के समाज विज्ञान का डिप्लोमा आदि योग्यतायें निर्धारित की जाती हैं, वहां आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० डिग्री का उल्लेख नहीं रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

[**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—यू० पी० फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९५५ में आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० की डिग्री अभी तक निर्दिष्ट नहीं थी, अतः इस डिग्री का उल्लेख श्रमिक कल्याण सम्बन्धी पदों के लिये विज्ञापनों में नहीं किया जाता था।

*२९—**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव**—क्या सरकार कृपया भविष्य में उक्त पदों के लिये अपने विज्ञापनों में आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० डिग्री को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स में आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० डिग्री का उल्लेख न होने का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसलिये कि वह अब तक नहीं था, जैसा कि दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, अब हो जायेगा ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—यह देखते हुये कि आगरा विश्वविद्यालय की एम० एस० डब्ल्यू० का कोर्स अन्य विश्वविद्यालयों के कोर्सों से भिन्नता नहीं रखता और शिक्षा का विषय करीब-करीब वही है, तो क्या बात है जो उसको सम्मिलित नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह अब हो जायेगा, ऐसा उत्तर तो दे दिया गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि वह जब आगरा विश्वविद्यालय की डिग्री को सम्मिलित करने का विचार रखती है तो वह कार्य रूप में कब तक परिणत हो जायेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—विचार तो हमने तय कर दिया । अब तो गजट में नोटीफाइ करना है । गजेट में नोटीफाई हो जाय और किसी को कोई आब्जेक्शन न हो, तो यह सप्तपदी हो जाने पर काम शुरू हो जायेगा ।

रोडवेज कर्मचारियों को बोनस देने की प्रार्थना

*३०—**श्री उग्रसेन**—क्या मंत्री परिवहन कृपया परिवहन विभाग द्वारा विभागीय कर्मचारियों को बोनस दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---रोडवेज कर्मचारियों को विभाग द्वारा बोनस देने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

*३१---**श्री उग्रसेन**---क्या मन्त्री महोदय परिवहन का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने परिवहन कर्मचारियों को बोनस १९५८-५९ में दिया है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---जी नहीं ।

*३२---**श्री उग्रसेन**---क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के परिवहन कर्मचारियों के आवास हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---वृहत योजना इस प्रकार की कोई नहीं है, परन्तु प्रदेश की आर्थिक स्थिति का विचार रखते हुये तथा आवश्यकतानुसार कुछ जगहों पर फोरमैन के क्वार्टर्स बनाये गये हैं ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर इस बात को देखते हुये कि गतवर्ष प्रदेश के रोडवेज विभाग में १ करोड़ ६२ लाख रुपये की आमदनी हुई, उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके आधार पर वे यह कह रहे हैं कि उनको बोनस नहीं देंगे ?

डाक्टर सीताराम---रोडवेज के कर्मचारी जैसे क्लर्क्स वगैरह हैं वे सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह ही अपना वेतन पाते हैं । इसी तरह से जो गजटेड आफिसर्स हैं, उनको भी वही पे मिलती है जो अन्य विभागों के आफिसर्स को । जहां तक ड्राइवर्स का सवाल है उनको माइलेज एलाउन्स मिलता है, साथ ही साथ उनको बसों को मेन्टेन करने के लिए बैटरी रिवार्ड, बाडी रिवार्ड, टायर-ट्यूब रिवार्ड, इन्जीनियरिंग रिवार्ड तथा सब पुर्जों को ठीक रखने का सालाना रिवार्ड मिलता है । मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जो बोनस मिलता है उससे यह सब रिवार्ड में जो पैसा इनको मिलता है वह उससे अधिक होता है । इसलिए हमारे यहां बोनस नहीं दिया जाता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों को सन् ५७-५८ में बोनस दिया तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बोनस देने की बात नहीं सोच रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---प्रदेशीय सरकार द्वारा अन्य प्रकार की सुविधायें दे देने के कारण बोनस देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती ।

श्री राजनारायण---प्रश्न यह है कि जब इन सरकारी बस सेवाओं से सन् १९५८-५९ में १५.१५ प्रतिशत मुनाफा हुआ और १९५९-६० में १७.६८ प्रतिशत मुनाफा हुआ है, तो जब इतना अतिरिक्त मुनाफा हुआ है तो यह सरकार उनको बोनस देने के सिद्धान्त को, जो सर्वमान्य सिद्धान्त है, क्यों नहीं लागू करती ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है बोनस के लिए कि १० प्रतिशत या ८ प्रतिशत या १ प्रतिशत हो । इतना ही नहीं बल्कि बोनस के मामले में, सदैव लेबर के मामले में, कुछ तय नहीं है, वह ऐक्स-ग्रेशिया (Ex-gratia) दिया जाता है । कोई स्टैट्युटरी राइट्स किसी का नहीं है । अगर दिया जा सकता है और देने वाला उचित समझता है तो वह दे । यह कोई as a matter of right नहीं है । न कोई सर्वमान्य सिद्धान्त ही है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार के सामने कोई ऐसी भी योजना विचाराधीन है जिसके अनुसार रोडवेज का मुहकमा न समझ कर ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन या इन्डस्ट्री की तरह डील किया जाय ताकि यह सारा मामला तनख्वाह वगैरह का दूसरे तरीके से लिया जा सके ?

डाक्टर सीताराम---ऐसा कोई प्रश्न कार्पोरेशन बनाने का विचाराधीन नहीं है ।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि जब सन् १९४७ में ट्रांस्पोर्ट का जन्म हुआ था उस समय यह आधार इसका था न कि डिपार्टमेंट बनाया जायगा ?

डाक्टर सीताराम---ऐसी कोई बात नहीं थी ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---प्रश्न ३१ के उत्तर में सरकार ने कहा कि "जी नहीं" । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस "नहीं" से क्या मतलब है कि वहां पर दिया गया या यह कि वहां के लिए ध्यान आकर्षित करने पर भी उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं हुआ ?

डाक्टर सीताराम---मध्य प्रदेश का कोई आफिशियल डाकूमेंट हमारे पास नहीं है और न कोई कारेस्पांडेस हो हमारी हुई है। उसी से आन्सर दिया गया है 'जी नहीं' ।

श्री ऊदल---क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार से जानकारी हासिल की गयी ?

डाक्टर सीताराम---इसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम हुई ।

श्री राजनारायण---जब सरकार ने किसी भी प्रकार का पत्र-व्यवहार मध्य प्रदेश की सरकार से नहीं किया तो किस आधार पर यह उत्तर अभी दिया गया था कि मध्य प्रदेश में बोनस मिलता है और हम इसलिए नहीं देते हैं कि उन की तनख्वाह आदि का धन अधिक हो जाता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---वह इसलिए कहा गया है कि हम जो सुविधायें दे रहे हैं वह दूसरे प्रदेशों में नहीं दी जाती हैं ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---केन्द्रीय सरकार द्वारा संगठित मसानी कमेटी की रिपोर्ट जो राज्यों में परिवहन विभाग सम्बन्धी सिफारिशें की गयीं हैं क्या उन की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है ?

डाक्टर सीताराम---मसानी कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सी बातें हैं किन्तु इस सम्बन्ध में कोई अधिक उल्लेख नहीं है ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में, उसके संगठन में एकरूपता लाने के लिए जो सिफारिशें मसानी कमेटी ने की हैं, उनके बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---अभी यह सब बातें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं इसलिए जब तक फाइनल निर्णय नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना कठिन है ।

मऊनाथ भंजन में सूत की मिल खोलने की प्रार्थना

*३३---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में सूत की मिल (Spinning mill) और फर्टिलाइजर कारखाना खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कितनी लागत से और कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई निश्चित योजना नहीं है ।

*३४---**श्री चन्द्रजीत यादव** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सन् १९६०-६१ में राज्य में कई Spinning mills खोलने की योजना है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और कितनी लागत से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोआपरेटिव सोसाइटीज में भ्रष्टाचार सम्बन्धित श्री अताउल्ला का शिकायती-पत्र

*३५--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या २३ मई, १९५९ को श्री अताउल्ला, मुहल्ला शेर, डा० मगहर, जिला बस्ती ने कोई शिकायती-पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्री पो० दत्ता, डिप्टी रजिस्ट्रार, इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश जी० टी० रोड, कानपुर इन्डस्ट्रियल सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, धौरहरा और कर्म कबीर मगहर तथा टेक्सटाइल इन्स्पेक्टर, बस्ती के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भेजा है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना किस बात को एकत्र की जा रही है? क्या उनको उस तारीख का पत्र नहीं मिला है या सूचना इस बात को एकत्र की जा रही है कि उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--पत्र मिलने की सूचना मिल गयी, लेकिन उस के बाद पत्र में जो बातें उठाई गयीं उन के सम्बन्ध में जांच के परिणाम पूरे-पूरे सरकार के पास नहीं आये थे, इसलिए यह लिख दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार जांच कराकर शीघ्र ही सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अवश्य।

सहारनपुर व मेरठ में भांग की दुकानों का नीलाम

*३६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर व मेरठ शहर में १९५८-५९ तथा १९५९-६० में अब तक कितनी भांग की दुकानें नीलाम की गईं और कितने-कितने दाम पर नीलाम की गईं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--सहारनपुर व मेरठ शहर में १९५८-५९ तथा १९५९-६० में जितनी भांग की दुकानें नीलाम की गईं और नीलाम में जो दाम आया उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४२८ पर)

*३७--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त भांग की दुकानें कम से कम कितने रुपये प्रति सेर से लेकर अधिक से अधिक कितने रुपये प्रति सेर की लाइसेन्स फीस पर नीलाम की गईं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--उपर्युक्त भांग की दुकानें सहारनपुर तथा मेरठ शहर में १९५८-५९ में कम से कम तथा अधिक से अधिक जितने रुपये प्रति सेर की लाइसेन्स फीस पर नीलाम की गईं उसकी सूची संलग्न है। १९५९-६० के वार्षिक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४२९ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर की शहीदगंज की दुकान तथा मेरठ सदर बाजार की दुकान पर कितनी-कितनी भांग साल भर में दी गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--शहीदगंज की दुकान से ४,५०० रुपये लाइसेन्स फीस आयी १९५८-५९ में और १९५९-६० में ८,५०० रुपया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि इन दुकानों पर कितनी-कितनी भांग साल भर में दी गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---सहारनपुर की शहीदगंज की दूकान पर २६० सेर भांग १९५८-५९ के लिये दी गई।

रोडवेज कर्मचारी, श्री रसिक बिहारी अग्रवाल पर मुकदमा

*३८---**श्री राजनारायण**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज, लखनऊ रीजन में किन-किन व्यक्तियों पर १०,००० रुपये के जाली बिल पर जनरल मैनेजर के दस्तखत करा कर भुगतान कराने का मामला चल रहा है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---श्री रसिक बिहारी अग्रवाल जूनियर क्लर्क के विरुद्ध मुकदमा अदालत के सामने विचाराधीन है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि किन-किन व्यक्तियों पर १० हजार रुपये के बिल पर जनरल मैनेजर के जाली दस्तखत कराकर भुगतान कराने का मामला चल रहा है ? इसका उत्तर मिलना चाहिये कि क्या एक ही व्यक्ति इसमें है या उसके अलावा और व्यक्ति भी हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---श्री रसिक बिहारी लाल अग्रवाल के विरुद्ध ही जांच करने से यह मालूम पड़ता है कि यही दोषी हैं और उन्हीं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिस बिल पर जनरल मैनेजर के जाली दस्तखत बनाये गये हैं उसको मंगाकर सरकार ने उसे देखने की कृपा की है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---यह सब मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ विशेष सूचना देना ठीक नहीं होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब बिल पर जाली दस्तखत कराने का रहस्योद्घाटन हुआ उस समय रोडवेज दफ्तर के कितने कर्मचारी ऐसे थे जो कि फरार हो चुके थे और वह गिरफ्तार हुये या नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---फरार होने वाले व्यक्ति १ महीने बाद गिरफ्तार कर लिये गये थे।

श्री शिवप्रसाद नागर---वे कितने थे और कौन कौन थे ?

डाक्टर सीताराम---वह श्री रसिक बिहारी लाल अग्रवाल थे।

श्री राजनारायण---कितने व्यक्ति फ़रार थे और कितने पकड़े और छोड़े ?

डाक्टर सीताराम---एक, और वही जमानत पर छटे।

कानपुर भ्रष्टाचार निवारण समिति में नामजदगियां

*३९---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कानपुर भ्रष्टाचार निवारण समिति में अगस्त, १९५९ में की गई नामजदगियां किस आधार पर की गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला भ्रष्टाचार-विरोधी समिति के नियमों के अनुसार समिति द्वारा प्रेषित १५ नामों की सूची में से सरकार ने सदस्यों का चुनाव किया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतावेंगे कि जिला भ्रष्टाचार निवारण समिति की किस बैठक में ये १५ नाम भेजे गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सूचना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या यह सही नहीं है कि ये नाम किसी बैठक की कार्यवाही से नहीं, बल्कि चेयरमैन साहेब के निजी तौर पर भेजे गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अपनी इत्तला के आधार पर मैं ऐसा नहीं कह सकता।

कानपुर जिले में सिंचाई के कुओं के लिये अनुदान

*४०---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर में सन् १९५८-५९ में तहसीलवार कितने खेतों के कुओं की तकावी दी गयी, अथवा अनुदान दिया गया और सन् १९५९-६० में कितने कुओं की तकावी देने की योजना है ?

श्री सुल्तान आलम खां---सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४३० पर।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---सन् १९५८-५९ में १५३ कुओं के लिये अनुदान दिया और सन् १९५९-६० में केवल ८० ही कुओं के लिये, यानी कम के लिये देने का कारण सरकार बताने की कृपा करेगी ? यह कहां तक उचित है ?

श्री सुल्तान आलम खां---जिलों की जरूरत के मुताबिक अनुदान दिया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या १९५९-६० में कुओं के खुदवाने के बारे में अनुदान कम कर दिया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां---१९५८-५९ और १९५९-६० का सवाल था और उसी का मैंने जवाब दिया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---१९५९-६० में मांग सरकार किस आधार पर कम बता रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां---जिलों से उनकी जरूरत मंगवा ली जाती है।

बाजार कर्मचारी फेडरेशन, कानपुर की मांगें

*४१---**श्री भगवती सिंह विशारद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसको कानपुर बाजार कर्मचारी फेडरेशन, कानपुर और उससे सम्बन्धित यूनियनों की ओर से दिसम्बर, १९५९ में भेजा हुआ कोई स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--- जी हां।

*४२---**श्री भगवती सिंह विशारद**---यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्मृति-पत्र की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और उनको पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४३१ पर।)

श्री भगवती सिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय निम्बकर कमेटी मजदूरों की जांच के लिये बैठायी गयी थी उस समय बाजार कर्मचारियों की स्थिति की जांच का भी काम उसको दिया गया था, लेकिन बाद में यह सोचा गया कि बाजार कर्मचारियों की स्थिति की जांच किसी दूसरी कमेटी से करायी जायगी, तो क्या सरकार वह कमेटी बैठाने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—फेडरेशन से कहा गया है कि वह किन बातों की जांच चाहती है, यह लिख कर द ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—दूकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कानून में सरकार कब तक संशोधन प्रस्तुत करेगी क्योंकि एक बार यहां आश्वासन दिया गया था कि इसी सत्र म प्रस्तुत करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इतनी तो मैं हिम्मत नहीं कर सकता कि किसी सत्र के लिये कह दूं, क्योंकि यह बिजनेस ऐडवाजरी कमेटी के ऊपर है कि वह कब इसे यहां लाने दे । कानून और श्रम विभाग दोनों ने मिलकर उसका प्रारूप तो तैयार लिया है । ज्यों ही उसका टर्न यहां पेश करने का आवेगा, वह पेश कर दिया जायगा ।

***४३—श्री मोतीलाल अवस्थी**—[तीसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मीरगंज में अस्पताल खोलने की प्रार्थना

***४४—श्री नागेश्वर प्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड, मछली शहर (जौनपुर) के मीरगंज में खुलने वाले अस्पताल के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस खंड के मछली शहर के वर्तमान अस्पताल में ही प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने के आदेश दिये जा चुके हैं । मीरगंज में अस्पताल खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मछलीशहर विकास खंड के छोर पर है, मीरगंज में अस्पताल खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां—ब्लाक के हेडक्वार्टर पर आमतौर पर नया विकास केन्द्र खोला जाता है और अभी तो एक ब्लाक में एक से ज्यादा नहीं खोल सकते हैं ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि मछली शहर, मीरगंज से ८ मील है और वहां इसके लिये पहले इमारत ले ली गयी थी तथा और भी कार्यवाही हो चुकी थी ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—फासले का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नियम यह है कि ब्लाक डेवलपमेन्ट हेडक्वार्टर पर ही प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोला जा सकता है, इसलिये मजबूरी है ।

ललौटी खेड़ा विकास खंड में निर्माण कार्यों का भुगतान न होना तथा जहानाबाद–रिछा सड़क पर श्रमदान

***४५—श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३–१२–५९ की विकास समिति ललौटी खेड़ा, जिला पीलीभीत की बैठक में विकास क्षेत्र के कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे और जिला स्तर के अधिकारी कौन-कौन थे ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस बैठक में विकास क्षेत्र के उपस्थित अधिकारियों के नाम संलग्न सूची (क) में दिये हुए हैं । जिला स्तर का कोई अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं था ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४३२ पर)

*४६—**श्री प्रताप सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललौटी खेड़ा ब्लाक के अन्तर्गत सन् ५७ से आज तक किये गये कितने निर्माण-कार्यों का भुगतान नहीं हुआ है और उसका क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जिन निर्माण-कार्यों का भुगतान नहीं हुआ है उनका विवरण संलग्न सूची (ख) में दिया हुआ है । सूची में भुगतान न होने के कारण भी स्पष्ट कर दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४३३ पर)

*४७—**श्री प्रताप सिंह**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहानाबाद-रिछा रोड़, जिला पीलीभीत में सन् ५७ में कितना श्रमदान जनता द्वारा किया गया और क्या वह श्रमदान वाली सड़क को सरकार ने ले लिया या मदद दी ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस सड़क के दूसरे ओर तीसरे मील पर श्रमदान किया गया। सरकार ने इस सड़क को लिया नहीं है, किन्तु जिला बोर्ड की सहायता से इस पर कुल १५,०२५ रु० खर्च किया है ।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि ३-४ साल से भुगतान क्यों नहीं हुआ ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य ने तो खुद १३-१२-५९ को इस मीटिंग की सदारत की थी और उन्हें यह सब अच्छे तरीके से मालूम होगा। अन्तरिम जिला परिषद् में वह सवाल उठा सकते हैं या ब्लाक अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं । मुझे लिखकर दें तो मैं तहकीकात कराके उन्हें बता दूंगा।

श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार इस बात का आदेश देने की कृपा करेगी कि बी० डी० सी० की मीटिंग में जिला अधिकारी भी जाया करें ?

श्री सुल्तान आलम खां—वहां उन्हें जाना चाहिये और वे जाते हैं । माननीय सदस्य को मालूम है कि उस दिन जिले में सेमीनार हो रहा था इसलिये वे बी० डी० सी० की मीटिंग में नहीं आ सके ।

*४८-४९—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर) **श्री अमरनाथ तथा श्री दुर्योधन** (जिला गोरखपुर)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*५०-५१—**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**—[हटा दिये गये।]

कानपुर क्षेत्र के औद्योगिक विवाद

*५२—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर क्षेत्र के कितने औद्योगिक विवाद वित्तीय वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में निपटारे के लिये गोरखपुर, बरेली तथा मेरठ लेबर कोर्टों में भेजे गये ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या वह ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है जिससे यह विवाद स्थानीय रूप से तै हो सके ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कानपुर क्षेत्र के औद्योगिक विवादों की संख्या जो अन्य श्रम-न्यायालय को भेजे गये इस प्रकार है:---

वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में---

४५ श्रम-न्यायालय, बरेली को
३७ ,, ,, मेरठ को
६१ ,, ,, गोरखपुर को

वित्तीय वर्ष १९५९-६० में (अप्रैल, १९५९ से जनवरी, १९६० तक)

१० विवाद श्रम-न्यायालय, बरेली को।
२३ ,, ,, मेरठ को।
५८ ,, ,, गोरखपुर को।

जी हां, कानपुर क्षेत्र के औद्योगिक विवाद स्थानीय रूप से तय हो सकें, इस हेतु वहां एक अतिरिक्त श्रम-न्यायालय (Addidional Labour Court) खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

कृत्रिम मोम के लिये अनुसंधान

*५३---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईख के रस की मैली से मोम बनाने के लिये जो खोज की जा रही है उसमें किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-----अभी तक किये गये अनुसंधान से पता चला है कि मैली से लगभग ६ प्रतिशत मोम प्राप्त हो सकता है।

*५४---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या मुख्य मंत्री ने इस संबंध में कोई अनुमान लगवाया है कि इस प्रकार कितना कृत्रिम मोम प्रति वर्ष इस देश को प्राप्त हो सकेगा और इससे कितनी आय हो सकेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-----जी नहीं।

*५५-५७---श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)---[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

रतना शुगर मिल, शाहगंज का गन्दा पानी

*५८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या सत्य है कि रतना शुगर मिल, शाहगंज, जिला जौनपुर का गन्दा पानी काफी एकड़ों में फैल कर हजारों व्यक्तियों को प्रति दिन अपनी दुर्गन्ध से परेशान किया करता है, इसके कारण बीमारी फैलने की पूर्ण सम्भावना है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस तरह की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

*५९-६०---श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---[३ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत स्थगित किय गय।]

पंच महानगरियों में डिनेचर्ड तथा रेक्टीफाइड स्पिरिट की खपत

*६१—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कबाल शहरों में सन् १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष से लेकर प्रत्येक वर्ष नवम्बर, सन् ५९ तक अलग-अलग कितने Denatured Spirit और Rectified Spirit की खपत हुई ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६२—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि प्रत्येक वर्ष खपत बढ़ी है तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

*६३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[३ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ६१ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले से कुछ राजनीतिक पीड़ितों का बोन डाइजेस्टर लगाने के हेतु प्रार्थना-पत्र

*६४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले से कुछ राजनीतिक पीड़ितों का दिनांक ८-१२-५८ का लिखित प्रार्थना-पत्र बोन डाइजेस्टर लगाने हेतु सचिव उद्योग, विभाग को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार के उद्योग विभाग को ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६५—श्री मोतीलाल प्रवस्थी—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६६—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[३ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ६२ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*६७-६८—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६९—७१—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—[३ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ५०—५२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

सिनेमा लाइसेन्सों से आय

*७२—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश भर में कुल कितने सिनेमा स्थाई रूप से चल रहे हैं जिनको सरकार ने लाइसेंस दे रक्खा है ? उनसे सरकार को क्या वार्षिक आय होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—करीब २४१। स्थायी तथा अस्थायी सिनेमाओं से अलग अलग आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मनोरंजन कर से होने वाली कुल आय के आंकड़े प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर में दिये गये हैं।

*७३—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् ५७, ५८ और ५९ में प्रत्येक वर्ष प्रदेश में कितने अस्थायी सिनेमाओं को सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुए ? इनमें प्रति वर्ष सरकार को कितनी आय होती रही ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गयी सूचना एक तालिका में दी गयी है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४३४ पर)

*७४-७५—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[३ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ६३-६४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।

रेशम उद्योग, वाराणसी में लगे मजदूर

*७६—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेहरा सिल्क मिल्स, श्री सिल्क मिल्स झावर, वर्मन, श्याम बिसम्बरी, भारत सिल्क मिल वाराणसी में अलग-अलग कितने-कितने मजदूर काम करते हैं? उनको कितनी तनख्वाह व कितनी महंगाई प्रति मास दी जाती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४३५ पर)

*७७—श्री ऊदल—क्या सरकार को इसका पता है कि मेहरा सिल्क मिल्स में बिनता मशीन पंद्रह-पंद्रह दिन तक बन्द रहती है? यदि हां, तो सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इस कारोबार का ढंग ऐसा है कि इसमें बिनता मशीन कुछ समय के लिये बन्द होती है, परन्तु श्रमिक बेकार नहीं होता। अतः रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों के आचरण सम्बन्धी जांच समिति का नियुक्त न करना

*७८—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार कोई हाई पावर कमेटी इस प्रदेश में बनाने का विचार कर रही है जो मंत्रियों तथा उच्चाधिकारियों पर लगाये गये अभियोगों की जांच किया करे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*७९-८१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—[३ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

शासन में महिला सदस्याओं का प्रतिनिधित्व तथा सचिवालय से बाहर कागजात ले जाने पर प्रतिबन्ध

*८२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह राज्य-मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभासचिवों की संख्या में महिला सदस्याओं को उचित प्रतिनिधित्व देने के संबंध में विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे प्रश्न सरकार के विचारक्षेत्र की परिधि के बाहर हैं।

*८३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अभी हाल ही में सेक्रेटेरियेट में उसने एक परिपत्र द्वारा यह आदेश जारी किया है कि डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे पद का कोई भी पदाधिकारी काम करने के लिये कागजात घर न ले जाया करे? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इस आदेश के जारी होने की आवश्यकता और कारणों के विवरण में जाना तो जनहित में उचित न होगा। इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रशासकीय दृष्टि से कागजों के आने-जाने और उनकी गोपनीयता पर अधिक दृष्टि रखने के हेतु ऐसा किया गया।

एच० बी० टी० आई०, कानपुर के कर्मचारियों को असुविधायें

*८४—श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या H.B.T.I, कानपुर के कर्मचारियों के जलपान (Lunch) के लिये इंस्टीट्यूट के अन्दर कोई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

*८५—क्या यह सही है कि सरकारी पैसे से एक कैन्टीन बनी थी, जो अभी तक चालू नहीं हुई है और कर्मचारियों को पानी पीने के लिये भी बहुत दूर जाना पड़ता है?

*८६—क्या सरकार बतायेगी कि H.B.T.I. में कुल कितने कर्मचारी पदाधिकारियों (officials and teachers) के अतिरिक्त इस वर्ष में काम कर रहे हैं और उनमें से कितनों की सर्विस १० व १५ साल से अधिक की हो गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ में पोलिटेक्निक तथा टेक्निकल कालेज का आय-व्यय तथा कानपुर की जाजमऊ रेयन फैक्टरी के लिये सहायता

*८७—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के सरकारी पोलीटेक्निक कालेज तथा सरकारी टेक्निकल कालेज की अलग-अलग सन् १९५८-५९ के आय-व्यय का तखमीना क्या था तथा १९५९-६० का आय-व्यय क्या अनुमानित हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*८८—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की जाजमऊ रेयन फैक्टरी (Rayon Factory) के संचालनार्थ सरकार द्वारा इस वर्ष क्या-क्या आर्थिक, विद्युत एवं भूमि सम्बन्धी सहायता दी गयी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वर्ष ऐसी कोई सहायता नहीं दी गयी।

कटलरी योजनान्तर्गत उत्पादित वस्तुओं की खपत

*८९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कटलरी योजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में भेजने के लिये वह क्या प्रयत्न कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कोशिशें हुईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि अपने देश की बनी ऐसी वस्तुओं की पूरी खपत से भी यहां की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है अतः निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में छोटे उद्योगों को बढ़ाने की प्रार्थना

*९०—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी आजमगढ़ जिले में छोटे उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं पर विचार करते हुए क्या वहां के उद्योग अधिकारी ने जिले के लिये किसी योजना को तैयार किया है? यदि हां, तो क्या उस योजना की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

छतहरा तथा घुरेहटा ग्रामवासियों का "सिलिका सैण्ड" निकालने के लिये प्रार्थना-पत्र

*९१—श्री जोखई (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला इलाहाबाद, परगना बारा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, छतहरा तथा घुरेहटा में पहाड़ से बालू तोड़ने की जो खदान लगभग दो वर्ष से बन्द है उसे शीघ्र ही चालू करने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्राम छतहरा व घुरेहटा में "सिलिका सैन्ड" (Silica Sand) निकालने के पट्टे के लिये कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

भाग्यनगर विकास खंड के कर्मचारियों पर व्यय

*९२—श्री भजनलाल—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड भाग्यनगर, जिला इटावा में कुल कितने ग्राम विकास हेतु आज तक सम्मिलित किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भाग्यनगर, विकास खण्ड नहीं है, किन्तु आगामी विकास योजना, इटावा की एक इकाई है। इस क्षेत्र में विकास हेतु १३४ ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। इन ग्रामों की ९० ग्राम सभाएं हैं।

*९३—श्री भजनलाल—क्या मुख्य मंत्री उस विकास खंड के ग्रामवार विकास-कार्य की फेहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विकास कार्य के आंकड़े ग्रामसभावार संकलित हैं जिसे माननीय सदस्य, उप-मंत्री, नियोजन के कार्यालय में देखने की कृपा करें।

*९४—श्री भजनलाल—इस विकास खंड के कितने कर्मचारी किस-किस पद पर विकास कार्य कर रहे हैं और उन कर्मचारियों पर एक साल के अन्दर कितना रुपया व्यय किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विकास क्षेत्र में इस समय १ गजेटेड तथा ६८ नान-गजेटेड कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। विभिन्न पदों के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। इन कर्मचारियों के वेतन, भत्ता तथा यात्रिक भत्ता की मदों पर चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी, १९६० तक कुल ८२,५९९ रु० ७१ नये पैसे व्यय हुए हैं। पूरे वर्ष में अनुमानतः ९८,४६० रु० खर्च होगा।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४३६ पर)

दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में बाधायें

*९५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष १९५९-६० में दूसरी पंचवर्षीय योजना का काम शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो पा रहा है ? अगर हां, तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५९-६० में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अधिकतर काम शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। कुछ योजनाओं की प्रगति में जिन कारणों से बाधा पड़ रही है उनमें से मुख्य ये हैं :—

(१) विदेशी विनिमय की कठिनाई।

(२) टेक्निकल परसोनेल की कमी।

(३) निर्माण के लिये आवश्यक भूमि का न मिलना।

*९६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि सरकार को विदेशी विनिमय की कठिनाई, निर्माण की मशीन, मुख्य सामग्री और टेक्निकल परसोनल की बाधा पड़ रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*९७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि किन-किन कामों को उपर्युक्त कारणों से या अन्य कारणों से पूरा करने में बाधा पड़ रही है और कितनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे प्रमुख योजनाओं की सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४३७ पर)

श्री अमरनाथ द्वारा अपने प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। नं० ४८-४९ पर मेरा प्रश्न लगा हुआ है और बहुत जरूरी प्रश्न था, लेकिन पता नहीं, किस कारण से उसे स्थगित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना भी नहीं प्राप्त हुई ?

श्री अध्यक्ष—उसमें लिखा तो है कि नम्बर ४८-४९ चौथे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये। इसका कारण आप पूछना चाहते हैं तो मेरे दफ्तर में पूछ सकते हैं। जो प्रश्न स्थगित हो जाते हैं उनको छाप दिया जाता है और फिर काट देते हैं, ताकि सब को सूचना मिल जाय कि ये भी प्रश्न थे जो स्थगित हो गये हैं।

*उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन बनायी गयी नियमावलियां

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन बनायी गयी निम्नलिखित नियमावलियों को उक्त अधिनियम की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख, विशिष्ट सदस्य या सभासद के निर्वाचन तथा इन पदों में किसी रिक्ति की विज्ञप्ति की रीति विनियमन के लिये नियमावली ;

(२) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका समितियों के (सदस्यों के निर्वाचन की रीति) नियमावली, १९६०;

(३) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (विकास समिति के सदस्यों का संयोजन) नियमावली, १९६०;

(४) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अधिवेशनों का आयोजन तथा कार्य सम्पादन) नियमावली, १९६०;

(५) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ८५ के अधीन शपथ ग्रहण करने से सम्बद्ध विषयों के बारे में नियमावली;

---

*छापी नहीं गयी।

(६) महापालिका के अधिकारियों द्वारा अधिकारों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों के निर्वाहन का विनियमन करने वाली नियमावली;

(७) यह निश्चित करने की प्रक्रिया कि नगर महापालिका का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ८२ के साथ पठित धारा २५ की उप धारा (१) के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिये किसी संसर्गजन्य रोग से अथवा धारा ८२ की उप धारा (३) के प्रयोजनों के लिये किसी भयंकर संसर्गजन्य रोग से पीड़ित हैं अथवा नहीं, विनियमित करने के लिये नियमावली;

(८) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली;

(९) महापालिका द्वारा पदों के सृजन तथा उन पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं,उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में नियमावली; तथा

(१०) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (समितियों के सभापति तथा उपसभापति के निर्वाचन की रीति) नियमावली, १९६०।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, यह नियमावली सरकार की ओर से कब बनायी गयी इसकी कोई तारीख नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष---मैंने भी पूछा था तो मालूम हुआ कि ये सब जनवरी और फरवरी की हैं। मैं समझता हूं कि इनकी तारीखें दे देनी चाहिये हर एक में, जिसमें मालूम पड़े कि देर तो नहीं हुई। इनमें आपके यहां से देर नहीं हुई यह तो बिलकुल स्पष्ट है। जब नियमावली बनायी गयी थी उसके बाद सदन बीच में बैठा ही नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, इसमें लिखा हुआ है कि यह जो नियमावली बनायी गयी .....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें, उनको भाषण देने दें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि नियमावली बनाने की जो व्यवस्था है उसका कुछ उद्देश्य है। इस सदन में कई बार आपने भी संकेत किया है। उस समय मैं जेल में था। समाचार पत्रों में हमने यह देखा कि कुछ जगहों में इस प्रकार के बहुत झंझट हुए। जैसा कानपुर में हुआ....

श्री अध्यक्ष---इसमें आपकी वैधानिक आपत्ति क्या है?

श्री राजनारायण---मैं यह कह रहा था कि चुनाव हो गये, जो नियमावली आयी उसके अन्तर्गत। यानी नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, विशिष्ट सदस्य या सभासद के निर्वाचन तथा इन पदों में किसी रिक्ति की विज्ञप्ति की रीति के विनियमन के लिये नियमावली बन गयी, चुनाव भी हो गये और बहुत जगह महापालिकाओं में झगड़े भी हुए, ऊधम भी हुआ और उनकी बैठकें भी स्थगित हुईं, लेकिन हमारे सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। समाचार-पत्रों में पहले आया था कि ८ तारीख से विधान सभा की बैठक होगी लेकिन बाद में फिर आया कि १० फरवरी से होगी और फिर उसके बाद में यह आया कि माननीय अध्यक्ष ने माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह किया है कि १० के बजाय बैठक ९ से ही हो और अन्त में वही बात मान ली गयी। यह सब हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा था। तो जब बैठक होने वाली थी ....

श्री अध्यक्ष---उससे इसका सम्बन्ध क्या है?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, ५ या ६ फरवरी को चुनाव कराये गये और जब ८ फरवरी को बैठक होने वाली थी तो उस में नियमावली को रखा जाता और सदन के सदस्यों की सम्मति भी ले ली जाती....

श्री अध्यक्ष---आप अधिनियम को तो पढ़ते नहीं....

श्री राजनारायण---वह मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं साधु-सम्मति की बात कह रहा हूं कि जब सदन बैठने ही जा रहा था तो उसके २ दिन पूर्व ही चुनाव क्यों कराया गया? हम भी, अगर वह नियम यहां लाये जाते तो, कुछ सुझाव दे सकते थे और इस तरह से.....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, वह तो आपने अधिनियम में सरकार को अधिकार दे दिया। आप रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं, लेकिन आपके आक्षेप में अवैधानिक बात कुछ नहीं है।

†उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन आज्ञायें

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन दी गई निम्नलिखित आज्ञाओं को उक्त अधिनियम की धारा ५८० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) प्रथम आज्ञा, १९६०;

(२) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) द्वितीय आज्ञा, १९६०;

(३) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) तृतीय आज्ञा, १९६०;

(४) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) चतुर्थ आज्ञा, १९६०।

शाहजहांपुर जिले में फसल की क्षति से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अनुसार मेरे पास कई विषयों के बारे में सम्बन्धित मंत्रिगण का ध्यान आकृष्ट करने की बात आई है। श्री रूम सिंह का प्रश्न कई दिन से सामने था, इसको आज लिये लेता हूं कि "दिनांक ९ फरवरी को सायंकाल ३ बजे जिलाधीश, शाहजहांपुर के इजलास के समक्ष जिले के कई हजार किसानों का विराट् प्रदर्शन फसल के बरबाद हो जाने पर उसका नक्शा तैयार करने, लगान की माफी, आबपाशी अन्य वसूलयाबियों की मुल्तवी आदि मांगों को लेकर हुआ।

अधिकारियों व सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में अब तक कोई समुचित कार्यवाही न होने के कारण व्यापक असंतोष जिले की जनता में है। प्रदर्शन के बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे आम जनता में असंतोष है।

---

†छापी नहीं गयीं।

[श्री अध्यक्ष]

अतः प्रक्रिया नियमावली की धारा ५२ के अन्तर्गत जनहित की दृष्टि से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने के लिये उपस्थित करता हूं।"

अब इस पर अपना वक्तव्य देना चाहें, माननीय मंत्री जी, तो दे दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि वहां प्रदर्शन हुआ, उस समय वहां जिलाधीश नहीं थे, उनके कोई एस० डी० ओ० या ए० डी० एम० थे। यह भी सही है कि शाहजहांपुर के कुछ हिस्से में स्केयरसिटी है। मैंने जिलाधीश को हिदायत की है कि वहां के लिये जो रिलीफ मेजर्स हो सकते हैं वह जल्द फाइनेलाइज किये जायं, क्योंकि उसके बाद ही कानून के अनुसार रेमिशन्स या लगान के सस्पेंशन वगैरा हो सकते हैं। तकावी के लिये भी फंड्स कलेक्टर के पास हैं, उन को हिदायत दी गयी कि वह जल्द काम शुरू कर दें और रुपया कम हो तो लिखें, सरकार जरूरत होगी तो विचार कर के रुपया भेजेगी।

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को पता है कि जब ६ फरवरी को सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जिलाधीश, शाहजहांपुर के सामने जलूस पहुंचा तो उन्होंने वहां के किसानों को कुछ आश्वासन दिया या नहीं और यदि दिया तो क्या आश्वासन दिया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन्होंने क्या दिया या नहीं दिया, इस से क्या, हम तो अब आश्वासन देते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि शाहजहांपुर जिले की ४ तहसीलों में से केवल पुवायां में २ लाख रुपया खरीफ का लगान मुल्तवी हुआ और बाकी ३ तहसीलों में बावजूद इस के कि वहां भी सूखे के कारण ज्यादा नुक्सान था, वहां के लिये कोई मुल्तवी, माफी या रिलीफ मेजर नहीं लिया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हिदायत कर दी है कि जहां-जहां स्केयरसिटी हो उसके बारे में रिलीफ मेजर फायनेलाइज करके भेजें।

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि उन तहसीलों में कोई रिपोर्ट इस बात की हुई ही नहीं कि वहां पर सूखा के कारण खेती में नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट के न होने की जिम्मेदारी किस पर है, उसको जांच कराने का सरकार प्रयत्न करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिपोर्ट आयी या नहीं, यह इस वक्त मेरे पास नहीं है, उसके लिये नोटिस चाहिये। लेकिन मैंने आमतौर से जिले में जहां जहां ऐसी विपत्ति हो उसके संबंध में कहा है कि रिलीफ मेजर की जरूरत हो तो उसको फायनेलाइज करके भेजें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों से भी रिपोर्ट मगांने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं तो कायदे से माल विभाग से मंगा सकता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी के पास नियमानुसार प्रारम्भिक रिपोर्ट जिलाधीश की आयी है फसल बरबादी के बारे में? यदि हां तो कितनी फसल बरबाद हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका जवाब मैं दे चुका।

श्री रूम सिंह—क्या मंत्री जी को पता है कि शाहजहांपुर में इस साल वर्षा बहुत कम हुई है और उसकी वजह से खरीफ की फसल भी बरबाद हो गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वर्षा तो कम तमाम जगह हुई है, यह तो मालूम है। लेकिन सब फसल बरबाद हो गयी इसकी डेफीनिट इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या मंत्री जी को पता है कि शाहजहांपुर खास तौर से धान पैदा करने वाला जिला है और वर्षा न होने के कारण वहां धान की फसल या तो बोई ही नहीं जा सकी और जहां कोई बोयी गयी, पानी की कमी के कारण सूख गयी। नहर विभाग ने सिंचाई में कोई मदद नहीं की और अब खरीफ का लगान और आबपाशी दोनों किसानों से जबरदस्ती वसूल की जा रही हैं जिसके कारण वहां की जनता बहुत दुखी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह सारे बयानात मुझे नहीं मालूम हैं जो आपने दिये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार को पता है कि वहां के जिलाधीश ने कहा है कि यहां की फसल बहुत नष्ट हो गयी है इसलिये विशेष रूप से सुविधा दी जायेगी और अब जो सरकार ने आदेश भेजे हैं उससे यह नहीं हो पायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-----हम समझते हैं कि हमने जो आदेश भेजे हैं उनसे पूरी सुविधा मिलेगी।

राजस्व विभाग की विज्ञप्तियों को विलम्ब से सदन में रखे जाने के सम्बन्ध में राजस्व उपमंत्री का स्पष्टीकरण

राजस्व उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)---श्रीमन्, राजस्व विभाग की कुछ विज्ञप्तियां सदन में रखी गयी थीं। उनमें विलम्ब के बारे में आपत्ति उठाई गई थी। उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। विज्ञप्ति संख्या ७३-आई०सी०/६३९-सी०-१९५८, दिनांक २७ सितम्बर, १९५९ उसी दिन मुद्रणालय में सरकारी गजट में प्रकाशन के लिये भेज दी गयी थी। उसी दिन सरकारी आदेश संख्या ७३(१)आई० सी० द्वारा मुद्रण और लेखन सामग्री के अधीक्षक से यह अनुरोध किया गया था कि वे उक्त विज्ञप्ति की ७०० प्रतियां विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये राजस्व (ग) विभाग के पास भेज दें। यह विज्ञप्ति सरकारी गजट में १० अक्तूबर, १९५९ को प्रकाशित हुई, किन्तु उस समय सदन उठ गया था। मुद्रणालय ने नवम्बर, १९५९ के तीसरे सप्ताह में कुल ४०० प्रतियां भेजीं, अतएव उनको ३०० और प्रतियां भेजने के लिये २७ नवम्बर, १९५९ को अशासकीय पत्र-संख्या ७३-आई०सी० द्वारा पुनः लिखा गया था और ७ दिसम्बर, १९५९ को स्मरण-पत्र भी भेजा गया। परन्तु जनवरी मास तक मुद्रणालय से शेष ३०० प्रतियां उपलब्ध नहीं हुईं। इन्हीं परिस्थितियों में उक्त विज्ञप्ति सदन के समक्ष २१ दिसम्बर, से ३० दिसम्बर, ५९ की अवधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

राजस्व (क) विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ४३११-आर०एस०-आई०ए० दिनांक १४ दिसम्बर, १९५९ और विज्ञप्ति संख्या ९४ आर०एस०-आई०ए०, दिनांक १४ दिसम्बर, १९५९ सरकारी गजट में १९ दिसम्बर, १९५९ को प्रकाशित हुई। किन्तु इनकी हिन्दी प्रतियां विभाग में ११ जनवरी, १९६० को प्राप्त हुईं और अंग्रेजी प्रतियां २० जनवरी, १९६० को उपलब्ध हुईं। ये प्रतियां विधान सभा सचिवालय को २२ जनवरी, १९६० को प्रेषित की गईं। चूंकि ये प्रतियां मुद्रणालय से १० जनवरी, १९६० के पूर्व प्राप्त नहीं हुईं इसलिए ये सदन के सामने नहीं रखी जा सकीं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने अपने विभाग में यह कह दिया है कि जब छपने के लिये भेजें तो वहां के सुपरिन्टेंडेंट से रिक्वेस्ट कर दे कि जितनी कापी हम मांगें उसी के साथ निकाल कर भेद दें ताकि इस तरह की देर न हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---यह सभी विभागों के लिये होना चाहिये न कि केवल राजस्व विभाग के लिये ही।

श्री अध्यक्ष---इसीलिये न्याय मंत्री जी ने हिदायत कर दी है।

१९६०-६१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---कल माननीय व्रज विहारी मेहरोत्रा भाषण दे रहे थे, अतः उनका भाषण जारी रहेगा। उनके १० मिनट शेष हैं।

श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो घोषणा की कि प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खुलेगा। यह एक बड़ी जरूरी बात थी जिधर उनका ध्यान गया।

इस प्रदेश में विकास खंडों का जाल-सा बिछा हुआ है जो नियोजन कार्य के अलावा और बहुत से काम कर रहे हैं जिससे उन क्षेत्रों की प्रगति का अन्दाजा लगता है। उन विकास खंडों में सैकड़ों की तादाद में स्कूल, वाचनालय, पंचायत घर, खरंजे और सड़कों का निर्माण हो रहा है। सिंचाई के लिये नालियों का इन्तजाम हो रहा है और हर फसल में अभियान शुरू होते हैं तथा किसान की उपज बढ़ाने के विभिन्न प्रयास किये जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी कभी-कभी नहर विभाग के असहयोग के कारण खड़ी फसलें सूख जाती हैं। उन क्षेत्रों में सिंचाई की कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं हो सकती जहां नहर से सिंचाई की व्यवस्था है। मेरे यहां पिछले साल खरीफ की फसल में धान की यही गत हुई और मौजूदा साल रबी की फसल का यही हाल है कि सिंचाई की कोई ऐसी दूसरी व्यवस्था नहीं है जिससे उसे बचाया जा सके।

हमारे जिले में गंगा-जमुना को छोड़ कर ६ नदियां हैं जिनके पानी के उपयोग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। वित्त मंत्री जी इन नदियों के पानी के प्रयोग की कोई योजना बनवाने की कृपा करें ताकि किसान पर सिंचाई के अभाव में जो वज्रपात होता है, उसकी खड़ी फसल सूख जाती है, वह बचायी जा सके।

जहां सरकार ने विद्यार्थियों के लिये एक और सैनिक स्कूल की व्यवस्था की है वहां मैं प्रदेश की एक बहुत पुरानी संस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं---वह है स्काउटिंग---जिसके द्वारा हमारे बच्चों में डिसिप्लिन, स्वावलम्बन तथा लोक सेवा की भावना जागृत होती है। जब हम देखते हैं कि स्काउटिंग के लिये बहुत थोड़ी रकम रखी जाती है तो जरा दुख होता है। मेरी प्रार्थना है कि इस मद में अगर इस समय न हो सके तो अनुपूरक अनुदान के समय उस रकम को बढ़ाने की वित्त मंत्री जी कृपा करें ताकि वह कमी पूरी की जा सके।

खेती के लिये हमारा पशुधन बहुत आवश्यक अंग है। हमारे प्रदेश में जब से गोवध विधेयक संशोधित होकर पास हुआ है उसके बाद से कसाईखाने सरसब्ज हो गये हैं और हमारे जिले में तो गाय और उसके बच्चे बराबर काटे जाते हैं और बड़ी संख्या में काटे जाते हैं। बाज-बाज गांव में यह हाल है कि हजारों की तादाद में कसाईखाने के आसपास गीध बैठते हैं जिससे आसपास की फसल बरबाद होती चली जा रही है। मैंने जिले के अधिकारियों का ध्यान इस ओर कई बार आकर्षित किया है, किन्तु कोई फल नहीं होता है।

इतना ही नहीं; कानपुर से आप किसी तरफ निकल जायं, चाहे कालपी की तरफ, चाहे हमीरपुर की तरफ और चाहे फर्रुखाबाद की तरफ जाइये, बड़ी तादाद में भैंसों की टोलियां मिलेंगी जो कसाईखानों की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। दूसरा कारण यह है कि ठीक व्यवस्था चारे की न होने के कारण भैंसों की जो प्रजनन शक्ति है वह सूख जाती है और

---

*१७ फरवरी, १९६० की कार्यवाही से।

इस कारण भी वे कसाईखाने की तरफ जाती हैं। आप इंतजाम करें, कुछ ऐसा अनुसंधान करावें ताकि भैंसों की प्रजनन शक्ति बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका विभाग इस तरफ ध्या । देगा और पशुपालन विभाग का ध्यान इस तरफ जायगा। कसाईखाने पर ऐसा प्रतिबन्ध लगायें कि ऐसे जानवर जो खेती के काम में लाये जा सकते हैं उनको न काटा जाय।

बकरियों की नस्ल ठीक करने के लिये ५०० रुपये फी बकरी के हिसाब से २० बकरियां विदेशों से मंगाई जा रही हैं ताकि बकरियों के द्वारा अच्छा दूध प्राप्त किया जा सके। ऐग्री-कल्चरल डेरी फार्म्स में भी अगर यह व्यवस्था हो सके कि वहां गौवें रहें, दूध देने की उनकी शक्ति बढ़े और कोई अनुसंधान हो सके तो उसकी तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अब मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री का कानपुर के मरीजों की कठिनाई की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे कानपुर शहर में आपने बहुत बड़ा विद्यालय गणेश शंकर मेमोरियल स्थापित करने की सफल कोशिश की है और उसके जरिये डाक्टर पैदा करेंगे और जो कमी डाक्टरों की प्रदेश में है, मैं उम्मीद करता हूं कि किसी तरह से वह पूरी हो जायगी। लेकिन इन विद्यालयों में से मुश्किल से हर साल ४०० विद्यार्थी निकलते हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों की निकल जाती है। बहुत थोड़े विद्यार्थी आपको मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रयास करें, गवर्नमेंट प्रयास करे ताकि इस प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर लोगों का रुजहान हो। जो नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय आप खोलें उनमें आप औषधालयों के साथ साज व सज्जा का भी प्रबन्ध करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आयुर्वेदिक प्रणाली को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और डाक्टरों की जो एक बहुत बड़ी कमी है उस कमी को इस प्रकार आप पूरा कर सकेंगे।

कानपुर शहर में जहां मेडिकल कालेज है वहां के संबंध में मैं थोड़ी सी शिकायत करना चाहता हूं। हमारा उर्सला अस्पताल वहां है। ६ महीने से ज्यादा हो गये, डायथर्मी की मशीन बेकार पड़ी है। इतने बड़े शहर में इतना बड़ा अस्पताल हो, लाखों रुपया साल में खर्च होता हो और इलाज करने के लिये डायथर्मी जैसी मशीन महीनों बिगड़ी पड़ी रहे तो उस डिपार्टमेंट पर रहम आता है। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट रेज की जो मशीन है उसका बल्ब टूट जाता है तो दूसरा बल्ब नहीं मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन कमियों को आप दूर करने की कृपा करेंगे।

इस प्रदेश में जो कानूनी व्यवस्था भंग होती चली जा रही है, अवसर डकैतियां और चोरियां बढ़ती जा रही हैं, चलती रेल में डकैतियां बढ़ गयी हैं, उनकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब आप इन बातों की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी कमी आप प्रदेश की पूरी कर सकेंगे। मैं विरोधी दल के उप नेता, नारायण दत्त जी, ने जिस प्रकार बजट की विवेचना की है उनकी एक बार मैं प्रशंसा करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, विध्वंस और निर्माण सृजन रूपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिये हमारे पौराणिकों ने इस तथ्य को देव देव, महादेव के अर्द्ध नारीश्वर रूप में मूर्तमान किया है। वे जहां शिव शंकर हैं वहां प्रलयंकर भी हैं और इसी तरह वादविवाद करते समय ध्वंसात्मक आलोचना और रचनात्मक सुझावों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं यथामति रचनात्मक सुझाव देने से पहले सरकार की नीतियों की आलोचना करूंगा।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण के प्रारम्भ में सरकार के चार उद्देश्य बताये हैं। उन उद्देश्यों से मैं सर्वथा सहमत हूं, उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सरकार जिन नीतियों को अपना रही है, जिस ढंग और जिन साधनों से काम ले रही है उनसे मेरा तीव्र मतभेद है। वह नीतियां इतनी गलत हैं कि जिन उद्देश्यों

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

को पूरा करने के लिये वह नीतियां अपनायी जा रही हैं उनसे वह उद्देश्य पूरे होने तो दूर रहे, उल्टे विफल होते हैं। जिन ढंगों और साधनों से सरकार काम ले रही है वे इतने बुरे हैं कि उनका परिणाम उद्देश्यों के बिलकुल प्रतिकूल होता है। वित्त मंत्री महोदय ने चार उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहला तो है रोजगार का अधिक अवसर, दूसरा उत्पादन बढ़ाना, तीसरा ठीक-ठीक वितरण और चौथा जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा करना। इन चार उद्देश्यों को बताते समय भी वित्त मंत्री महोदय ने प्रचार, कला और कूटनीति की भाषा का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिये उन्होंने यह नहीं कहा कि उनका उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना है। उन्होंने केवल यह कहा है कि रोजगार का अधिक अवसर बढ़ाना है। सवाल यह है कि रोजगार का अधिक अवसर आप अब के मुकाबले में बढ़ा भी दें तो क्या वह इतना बढ़ता है जितनी बेरोजगारों की संख्या उसी समय में बढ़ती है? यानी क्या आपके इन प्रयत्नों से बेरोजगारी कम हो रही है धीरे-धीरे? मैं यह नहीं कहता कि बिल्कुल दूर हो जाय, लेकिन यह सवाल तो है ही कि अगर बेरोजगारी कम होने के बजाय बढ़ रही है तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता और इस बात के बारे में कोई दो रायें नहीं हैं। योजना आयोग भी इस बात को मानता है और केंद्र के नियोजन मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी बेरोजगारी घटने के बजाय बढ़ी है।

इसी तरह से उत्पादन की बात भी है। मुझे पता नहीं कि हमारी सरकार ने कोई इस बात का प्रयत्न किया कि वह इस बात की जांच कराये कि उसके दस वर्षों के प्रयत्नों से उत्पादन कहां तक बढ़ा है? और मुझे यह भी मालूम नहीं कि हमारे देश की प्राक्कलन समिति ने इस बात को आंका है या नहीं। अगर आंका होता तो माननीय नवल किशोर जी इसको बता देंगे, लेकिन दूसरे प्रदेशों में यह बात आंकी गयी है। मैसूर की प्राक्कलन समिति ने वहां के दस साल के प्रयत्नों से जो उत्पादन बढ़ा है उसका हिसाब लगाया है और वह इस परिणाम पर पहुंची कि दस वर्षों में उत्पादन नहीं बढ़ा है। यह उत्पादन बढ़ने की बात है और जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार ने तो यह बताया नहीं है, लेकिन अभी हमारे सौभाग्य से बुलेटिन संख्या ४९ अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रकाशित हुई है। यह हुई तो प्रकाशित अर्थ एवं संख्या विभाग से है, लेकिन इसका रंग-रूप सूचना विभाग के मंत्री जैसा सुन्दर है।

श्री अध्यक्ष—मालूम होता है कि उन्हें आप वित्त मंत्री से लड़ाना चाहते हैं। (हंसी)।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इसके पृष्ठ ४ को देखने से पता चलता है कि व्यापारिक उपज की पैदावार जो कि सन् १९५६-५७ में १३४ थी वह सन् १९५८-५९ में घट कर १३२·३ रह गयी। इसी तरह से पृष्ठ ५ को देखने से मालूम होता है कि गेहूं की पैदावार जो सन् १९५६-५७ में ३१·१५ थी वह सन् १९५८-५९ में घट कर ३०·३६ रह गयी।

इसी तरह से जौ, मक्का आदि की भी पैदावार घटी है। अनाज की ही पैदावार घटी हो, यह बात नहीं है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि चीनी की मिलें देश भर में दो सौ से कुछ कम हैं जिनमें से हमारे प्रदेश में ६९-७० के करीब हैं, यानी आधे में खेतपाल और आधे में सब देवी देवता। यह सब होते हुए चीनी का उत्पादन हमारे देश में घट रहा है। यह हजार टनों में है—१९५६-५७ में १० हजार, ८० टन था। १९५७-५८ में वह घट कर ९ हजार, ४२ टन हो गया। १९५८-५९ में ८ हजार, ८८ टन रह गया। जो चीनी का उद्योग हमारे देश में सबसे बड़े उद्योगों में है उसका उत्पादन घट रहा है। इसी तरह से सूत उद्योग जो हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगों में है उसकी भी दशा यही है। हजार पौंड में है—सूती वस्त्र की पैदावार १९५६-५७ में ९ हजार ५४-५५ थी। १९५८-५९ में वह घट कर ८ हजार ३८-४० रह गयी।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास यह शिकायत आती है कि प्रेस वाले गलत आंकड़े छाप देते हैं। आप गलत पढ़ते भी हैं। बेल्स हैं या क्या हैं? ८ हजार क्या है?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैंने कहा—"इन पाउंड्स" !

श्री अध्यक्ष—इतने हजार पौंड, कहने में क्या दिक्कत होती है ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैंने यह सोचा कि वैसे ही कहूं जैसा इसमें लिखा हुआ है । मैंने कहा, आपने सुना नहीं या मैं कहना भूल गया, दो में से एक बात है । इस तरह से जो दूसरा उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने का है वह भी पूरा नहीं हो रहा है ।

तीसरा उद्देश्य जो ठीक-ठीक वितरण का है वह भी पूरा नहीं हो रहा है । मुझे अच्छी तरह से याद है और माननीय वित्त मंत्री महोदय को भी मालूम होगा, और न मालूम हो तो मालूम कर सकते हैं, कि कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष ढेवर साहब ने अपने भाषण में कहा था कि गरीब गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर हो रहे हैं। यह किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं कहा था । इसी के साथ-साथ आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन से मालूम होता है कि हमारे प्रदेश में शहरों और गांवों के बीच की खाई दिन पर दिन चौड़ी होती चली जा रही है । हमारे गांवों की पर कैपिटा इनकम १९५८-५९ में १९३ रुपये सालाना थी। हमारे शहरों में उसी समय ६७३·१ थी यानी करीब-करीब चौगुनी का अन्तर है गांव और शहर के प्रति व्यक्ति की आमदनी में, यह सरकारी आंकड़ों से साबित है। क्या यह ठीक-ठीक वितरण का द्योतक है ?

अब चौथी बात रह गयी । जनता का जीवन-स्तर ऊंचा होने के क्या माने हैं ? अगर प्रति व्यक्ति कुछ आय बढ़ भी जाय तो जनता का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं हो जाता, केवल उससे । हमें यह भी देखना होता है कि जिस बीच में जनता की पर-कैपिटा इनकम बढ़ी है उस बीच में आबादी की कितनी वृद्धि हुई है, यह इसलिये देखना पड़ता है कि यह वास्तविक वृद्धि है या कोरी-कागजी वृद्धि है। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जीवन का खर्चा उस अवधि में कितना बढ़ा है । अगर जीवन का खर्चा उससे अधिक बढ़ जाय तो रहन-सहन का स्तर बढ़ने के बजाय घटेगा और इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी नहीं बढ़ी है जितना कि खर्च बढ़ा है। पिछले दस वर्षों में विशेषज्ञों ने पता लगाकर बताया है कि थोक में चीजों का मूल्य २० प्रतिशत बढ़ गया है, लेकिन ९९ प्रतिशत जनता थोक में नहीं खरीदती, वह रिटेल में खरीदती है और रिटेल में महंगी ४० प्रतिशत बढ़ी है। तो जब तक यह प्रति व्यक्ति आमदनी, पर कैपिटा इनकम, ४० फीसदी नहीं बढ़ती तब तक उनके जीवन का रहन-सहन का स्तर ऊंचा होने के बजाय गिरा है, यह भी सिद्ध होता है।

इन चारों उद्देश्यों में से एक भी सिद्ध नहीं हुआ है । सरकार के आंकड़ों से अच्छी तरह से मेरे इस कथन की पुष्टि हो जाती है । यह सोचने की बात है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रति व्यक्ति को सालाना आय देहातों में १९३ रुपया ८ आना है, यानी १६ रुपये महीने । माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल की महंगी को देखते हुए वित्त मंत्री महोदय स्वयं बतावें हिसाब लगाकर, कि क्या उन्होंने कोई सरकार की तरफ से पारिवारिक बजट बनाया है और उस बजट के अनुसार यह सोचा है उन्होंने कि आठ आने प्रति दिन से -१६ रुपये महीने से आठ आने प्रति दिन हो आयेगा—इससे किसी व्यक्ति की भोजन और कपड़े सम्बन्धी आवश्यकतायें भी पूरी हो सकती हैं ? अगर हो सकती हैं तो कैसे हो सकती हैं ? वह हिसाब लगाकर के पारिवारिक बजट बना कर के इस बात को बतावें । फिर यह पर-कैपिटा इनकम तो औसत के ऊपर है। देहातों में करोड़ों नहीं तो लाखों आदमी तो ऐसे होंगे जिनकी इससे कम आमदनी होगी । तो जाहिर है कि उनके जीवन के स्तर के ऊंचा होने का सवाल ही नहीं आता । यों अगर सरकारी रिपोर्टों के हिसाब से देखें तो नैशनल सैम्पुल सर्वे का यह कहना है कि गांव वालों के पारिवारिक बजट में नौ प्रतिशत भी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए खर्च नहीं होता । भोजन और

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कपड़े की आवश्यकतायें ही पूरी नहीं हो पाती । आठ आने में या १६ रुपये महीने में दो प्रतिशत कितना होगा हिसाब लगा लीजिए । कुछ आने मुश्किल से पड़ेगा । तो उतने में क्या शिक्षा हो सकती है और क्या वह स्वास्थ्य पर खर्च कर सकते हैं ? इतना ही नहीं नेशनल न्यूट्रीशन कमीशन का कहना है कि २७०० कैलोरी प्रति व्यक्ति को भोजन के लिए चाहिए लेकिन हमारे देश में अभी तक १४०० कैलोरी का ही प्रबन्ध है । आधे से भी कम । तो जाहिर है कि रहन-सहन का स्तर नहीं बढ़ा है। इन उद्देश्यों में से एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है ।

अब मैं एक एक करके सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में बताऊंगा कि उनमें क्या कमियां है जिनकी वजह से ये उद्देश्य पूरे नहीं होते । यह बात तो बताई जा चुकी है कि बजट सावधानी के साथ नहीं बनाया जाता । बजट बनाते समय तक तमाशा दिखाया जाता है। तीन साल से लगातार यही बात हो रही है, यह माननीय वित्त मंत्री के भाषण से स्पष्ट है कि बजट में पहले घाटा दिखाया जाता है और आखीर में जाकर बचत होती है । दो ही कारण इसके हो सकते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि बजट बनाने में सावधानी नहीं बरती जाती है, वित्तीय कंट्रोल ठीक नहीं होता हो और दूसरा यह कि जानबूझकर आंकड़ों की बाजीगरी की जाती हो . . . .

श्री अध्यक्ष---आपको तो अनुभव होगा ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---कम से कम अनुभव नहीं तो ज्ञान तो मुझे है और उसी ज्ञान के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं । जैसे बाजीगर हाथ की सफाई से अपनी टोकरी के नीचे से आम का पेड़ पैदा करके दिखा देता है उसी तरह से इस नीति को मानने वाले वित्त मंत्री यह करते हैं कि आमदनी की जितनी उन्हें पूरी आशा होगी उससे कम कूतते हैं और खर्चा जितना करना होता है उससे ज्यादा रखते हैं। तो फिर सहज ही आमदनी ज्यादा होगी और खर्चा कम होगा । घाटे का बजट बनाने का परिणाम यह हो जायगा कि बजट के बाजीगर की टोकरी के नीचे से बचत-रूपी आम का पेड़ निकल आयेगा। तो इन दो में से एक ही बात हो सकती है । लेकिन इस वक्त मैं इन बातों को छोड़कर के कुछ ठोस और निश्चित नीतियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

सरकार की नीति डेफिसिट फाइनेंसिंग की नीति है, घाटे के बजट की नीति है । माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटे की नीति का प्रचलन सन् ३४ में आचार्य किन्स ने वर्ल्ड वार डिप्रेशन का मुकाबिला करने के लिए किया था, यानी संसार में व्यापक आर्थिक संकट का मुकाबिला करने के लिए । आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है ।

इसके अलावा दूसरी बात यह है, मैं यह मानता हूं कि आज भी अमेरिका में डेफिसिट फाइनेन्सिंग यानी घाटे की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन उनके घाटे को पूरा करने का जो तरीका है वह हमारी सरकार के घाटे को पूरा करने की नीति से भिन्न है । वहां सिर्फ यह करते हैं कि आमदनी के आने में कमी होती है, यानी जितना खर्चा हुआ उससे कम होता है तो उससे पूरा करते हैं जिससे मुद्रा स्फीति न हो । महंगी न बढ़े लेकिन यहां सरकार यह करती है कि सेन्ट्रल बैंक से कर्जा लेती है। उसका परिणाम यह होता है कि उससे मुद्रा स्फीति बढ़ती है और महंगी बढ़ती है । इन दोनों तरह से यह डेफिसिट फाइनेन्सिंग की नीति आवश्यक नहीं है । उसका तरीका गलत है । उससे महंगी बढ़ती है और उसके जीवन का खर्चा पूरा नहीं हो पाता ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जिन योजनाओं की बहुत दुहाई दी जाती है उन योजनाओं को हम देखें । यह योजनायें भी वास्तव में रूस की पंचवर्षीय योजना की नकल है । इसमें कुछ भी मौलिकता नहीं है । नकल करते समय हमें यह

सोचना चाहिये कि जो नकल की जाती है वह हमारे देश, काल और अवस्था के अनुकूल है या नहीं। मेरा निश्चित मत है कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में वार्षिक कार्यक्रमों की जरूरत है जिससे हम हर साल जो बजट दूसरे साल का पेश हो उसमें यह देख सकें कि पिछले साल के वार्षिक कार्यक्रम को हमने पूरा कर लिया है या नहीं। उसी अनुपात के आधार पर हम आगे का कार्य-क्रम बनायें और साल व साल इस तरह से बढ़ते चले जायं।

इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि योजनाओं को बनाते समय हमारे देश और प्रदेश में इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता कि यहां की जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसके जो साधन है, जो रिसोर्सेज हैं उनमें कोई कारगर मितव्ययिता का समन्वय है या नहीं। होता यह है कि योजनायें जनता की सामर्थ्य और साधन के बाहर बनाई जाती है और बाद में उन योजनाओं को चलाने के लिये हमें कर्जा लेना पड़ता है और जनता पर टैक्स लगाने पड़ते हैं। यह योजनाओं की एक दूसरी गलती है। यह भी है कि हमारी योजनायें दूसरों की मेहरबानी पर निर्भर करती हैं। आज यहां पर मेरे प्रश्न थे नम्बर ९५, ९६ और ९७ पर। मैंने पूछा था कि क्या यह सरकार बतायेगी कि योजना किन-किन कामों में विदेशी विनिमय की कठिनाई, निर्माण की मशीन और टेक्नीकल परसोनेल की कमी की वजह से पूरी नहीं हो रही है ? उसका उत्तर जो दिया गया है उसमें एक लम्बी लिस्ट दी गई है कि यह यह योजनायें पूरी नहीं हो रही हैं। यह एक बड़ी लिस्ट है जो मुझे आज दी गई है। समयाभाव के कारण मैं इसको पढ़कर नहीं सुनाता, लेकिन यह बता रहा हूं कि इस तरह से यह योजनायें पूरी न होना इस बात का सबूत है कि सरकार का योजनायें बनाने का ढंग बिलकुल गलत है और सही नहीं है।

अब मैं सरकार की बजट सम्बन्धी और नीतियों को लेता हूं। सरकार की कर नीति को ही लीजिये। सरकार ने अपना एक यह उद्देश्य बताया था कि वह ठीक ठीक वितरण करना चाहती है लेकिन करते यह हैं कि हमारे देश और प्रदेश में ८० फीसदी कर, अप्रत्यक्ष कर हैं। केन्द्र के और प्रदेश के साढ़े ५७ फीसदी, अर्थात् आधे से ज्यादा कर, अप्रत्यक्ष कर हैं। यह सब को मालूम है कि अप्रत्यक्ष कर का भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उपभोक्ताओं पर, गरीबों पर पड़ता है। उसके माने क्या होते हैं ? एक गरीब जब चाय का एक प्याला पीने के लिये जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, नाश्ता करने के लिये जाता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है और अपनी लज्जा ढांकने के लिये, अपनी मां-बहनों की लज्जा ढांकने के लिये धोती साड़ी खरीदने के लिये जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है और गल्ला खरीदने के लिये बाजार जाता है, रूखी सूखी रोटी खाने के लिये, तो पेट की रोटी और मुंह के कौर पर भी उसे टैक्स देना पड़ता है। यह इंडाइरेक्ट टैक्स का फल है। तो जाहिर है कि यह ठीक ठीक वितरण करने वाली सरकार नहीं नहीं है, गलत वितरण करने वाली सरकार है। गरीबों पर टैक्स का बोझ ज्यादा है अमीरों पर टैक्स का उतना बोझ नहीं है। यह टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी का भी राय है। तो कर नीति भी सरकार की गलत है और यह सब अर्थ शास्त्री मानते हैं कि जनता के जीवन स्तर पर सरकार की कर नीति और व्यय नीति दोनों का अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कर नीति का प्रभाव मैंने बता दिया कि हमारे प्रदेश और देश में उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यय नीति में भी यही है। इसमें यह है कि सरकार की व्यय नीति जो है उसके कारण, जैसा मैंने कई बार उदाहरण दिया, हमारे ही प्रदेश में ले लीजिये, गरीब गांव वालों की कमाई से जो रुपया आता है वह अमीर शहर वालों के आराम के लिये खर्च कर दिया जाता है और इससे सिद्ध है कि यह व्यय नीति भी गरीबों के साथ अन्याय करने वाली अमीर और बेहतर लोगों के लिये लाभप्रद है और इसलिये वह भी ठीक-ठीक

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

वितरण करने वाली नहीं है। सामाजिक न्याय के वह विरुद्ध है और समता के सिद्धांत के विपरीत है। तो व्यय रीति और कर नीति, दोनों में यह खराबी है।

यह जो सरकार की सहकारिता की योजना है, हमारे कृषि मंत्री जी अभी आये हैं, और समाज कल्याण आदि की जो योजनायें हैं, उनसे थोड़े से ही लोगों को फायदा होता है और आम जनता को कोई फायदा नहीं होता और इस बात का सबूत मैं विरोधी दल के भाषणों से या उनकी बातों से नहीं, बल्कि सरकार ने जो एक मूल्यांकन और जन सहयोग समिति कायम की थी उत्तर प्रदेश, में और जिसके अध्यक्ष माननीय गोविंद सहाय जी थे, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, उसके आधार पर कहता हूं। इस रिपोर्ट में माननीय गोविन्द सहाय जी ने यह कहा है कि "अब कार्यक्रमों का दायरा सीमित होने लगा है और उसका लाभ थोड़े से लोगों तक ही सिकुड़ता जा रहा है।" यह गोविंद सहाय कमेटी की राय है कि उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है और इसके अलावा उन्होंने पृष्ठ १२ पर यह भी कहा है कि "इस कार्यक्रम की ओर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोग और विशेषरूप से छोटे-छोटे किसान भी, भूमिहीन मजदूर, कारीगर और खेती न करने वाले आम लोग आकर्षित नहीं हो सके हैं, यद्यपि गांवों में उन्हीं लोगों की काफी आबादी होती है।" राज्य के सभी भागों से प्राप्त आंकड़ों द्वारा इस बात की पुष्टि हुई है और गोविन्द सहाय समिति यह कहती है।

फिर पृष्ठ १३ पर मोटे टाइप में एक बात कही गयी है जिससे मेरी बात को अधिक पुष्टि होती है और वह यह है कि "उच्चतर उद्देश्यों के आधार पर प्रगति का अनुमान लगाया जाय तो यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि इन संस्थाओं द्वारा जनता को सामाजिक तथा आर्थिक जीवन दिलाने में बहुत कम प्रगति हुई है।" यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार का यह दावा सही नहीं है कि बहुत प्रगति हो रही है। यह सरकारी कमेटी उसका खंडन करती है। असल में सही बात तो यह है कि योजनायें भी जनता की योजनायें नहीं होतीं। ये पार्टी की योजनायें हैं, नौकरशाही की योजनायें हैं और इसीलिये इन से जनता को लाभ नहीं होता।

अब सरकार की छोटी मोटी नीतियों को मैं छोड़ता हूं, क्योंकि समय कम हो हो चला है। उद्योग और कृषि नीति पर मैं आता हूं। यह दोनों नीतियां भी सरकार की ऐसी हैं कि उद्योग नीति से तो लोगों को उद्योग-धंधे करने और व्यवसाय करने की प्रेरणा अब रही नहीं और वह इस बात से स्पष्ट है कि लोग अपनी बचत का रुपया धंधों में लगाकर और कमाने के बजाय सरकार की अब बचत योजनाओं में लगा रहे हैं, बैंको में डिपाजिट के रूप में जमा कर रहे हैं और तीसरा काम यह भी कर रहे हैं कि वह इन सब चीजों को सरकार को आसानी से कर्जे में दे रहे हैं, क्योंकि व्यवसायों में इतना लाभ नहीं है जितना कि सरकार इनके नामों पर व्याज देती है---उससे यह उद्योगों की हालत है।

कृषि नीति भी इतनी बुरी है कि उससे पैदावार बढ़ाने का किसानों में उत्साह नहीं रहा, प्रेरणा नहीं रही। किसानों के सामने यह सवाल है कि हम पैदावार क्यों बढ़ावें? पैदावार बढ़ाने से हमें क्या फायदा है? खुल्लमखुल्ला वह यह कहते हैं कि आज तो पैदावार कम करने में हमारा फायदा है। जब पैदा कम होता है तो तो कीमत ज्यादा होती है, इसलिए पैदा कम करने में फायदा है। उनको पैदावार बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन नहीं है और लोगों को जाने दें, भारत कृषक समाज नाम की एक संस्था हैं, उसकी मीटिंग इसी नौ दस फरवरी को हुई। उसके सभापति केन्द्रीय सरकार के फूड मिनिस्टर, श्री पंजाब राव देशमुख हैं और उन्होंने यह कहा कि किसान यह कहता है कि हम खाद्य समस्या को हल कर सकते हैं। इतनी पैदावार बढ़ा सकते हैं कि हमारा देश स्वयं आत्म निर्भर हो जाय, इतनी पैदावार बढ़ा सकते हैं कि दूसरे देशों से गल्ला मंगाना न पड़े और इतनी पैदावार बढ़ा सकते हैं कि दूसरे देशों को अन्न दे सकें। लेकिन पैदावार बढ़ाने

में तो हमारी कीमतें कम होंगी, खेती में नुकसान होगा इसलिए हम पैदावार नहीं बढ़ाते--- यह भारत कृषक समाज का हाल है ।

इन बातों के बाद, और चीजों को छोड़कर के एक बात और कह कर रचनात्मक सुझावों की तरफ आऊंगा ।

श्री अध्यक्ष---तीन चार मिनट और रह गये हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं सिर्फ इतना और कह दूं कि नलकूपों से घाटा होने लग गया है, नहरों की आमदनी में घाटा होने लगा है और बिजली के अंडरटेकिंग्स में, जिनके बारे में स्टेट्यूटरी प्रावीजन यह है कि ६ फीसदी का लाभ होना चाहिए, उनमें में भी नगण्य लाभ हो रहा है । तो ये एक प्रकार से लायबिलिटीज हैं, और दो और बुराइयां हैं जिनसे मैं सदन और सरकार को आगाह करना चाहता हूं । एक तो यह कि सरकार की नीतियों का परिणाम यह हो रहा है कि भौतिकतावादी भावना इतनी बढ़ रही है कि जिसकी कोई इन्तहा नहीं । सरकार धर्म निरपेक्ष नीति को मानती है, लेकिन उसके माने यह नहीं हैं कि हम धार्मिक भावना का विरोध करें और नैतिकता और सदाचार की उपेक्षा करें । लेकिन वह हमारे यहां किया जाता है । मैं डाक्टर देशमुख ने जो कुछ कहा है, वह कहता हूं । उन्होंने श्रीनिवास शास्त्री एण्डाउमेंट लेक्चर्स में, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के आसपिसीज में हुए, कहा था---

"It is my belief that in seats of power, there is not enough intolerence or necessary fanatical hatred of anything in the nature of shoddy and corrupt practice and there is too ready a making of terms with evil for the sake of political expediency and saving of face. But these unnoticed and unchecked erosions of moral law do harm on a more rapid and intensive scale than is the case with erosion of land surface in the absence of conservation measures."

अब मैं दो तीन मिनट में कुछ रचनात्मक सुझाव जो दे सकता हूं वह दूंगा। पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार और सदन एक बात तो मान ले कि इस संसार में रूस, चीन, इंग्लैंड और अमेरिका के चार देश ही नहीं हैं, और भी हैं और उन देशों में भी निर्माण के, प्रगति के कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, जो इन चारों से कम नहीं हैं, बढ़े हुए हैं। इसराइल ने, जापान ने, पश्चिमी जर्मनी ने कितनी प्रगति निर्माण में की है उसको भी हमें देखना चाहिये और सरकार इतना कर ले कि वेस्ट जर्मनी में जो टैक्स सर्टिफिकेट सिस्टम है उसको यहां मान ले। उस पर यहां कार्य किया जाय तो हमारी इनफ्लेशन की, भारी टैक्सों की सब बीमारियां खत्म हो सकती हैं। वह सिस्टम यह है कि सरकार एक एप्रूव्ड इन्डस्ट्रीज की लिस्ट बना लेती है और उस लिस्ट को बनाकर, उस इन्डस्ट्री को चलाने वालों ने जितना रुपया लगाया होता है, उस रुपये को कूतती है, उसका पता लगाती है और तब उसी के अनुपात में अपनी सेक्यूरिटीज कर्ज में देती है और इस तरह से जो लाभ होता है उसी के अनुपात में टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है। इससे उद्योग-धन्धे और व्यवसाय बढ़ते हैं। रोजगार भी बढ़ता है और प्रोफेसर कीन्स की मल्टीप्लायर थ्योरी के मुताबिक चौगुना रोजगार बढ़ता है। इस सिस्टम से बेरोजगारी दूर होती है । एक फायदा इससे यह भी होता है कि इससे मुद्रास्फीत नहीं होता है जो कि हमारे देश में सरकार की आज की नीति से होता है। इसलिये मेरे इस सुझाव पर सरकार को विचार करना चाहिये।

बेकारी दूर करने के लिये मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार न्यूनतम वेतन के आधार पर सब लोगों को धन्धा दे । योजना आयोग ने यह बताया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ ४० लाख व्यक्ति बेकार होंगे और १० करोड़ ऐसे होंगे जो कि ३ महीने बेकार रहते हैं। इनको अगर हम ढाई करोड़ मान लें साल भर में, तो कुल करीब ४ करोड़ के हो जाते हैं। तो अगर न्यूनतम वेतन के आधार पर इन लोगों को हम कुछ धन्धे दे देते हैं तो इससे ५ करोड़ रुपये रोज की आमदनी हो सकती है और यह साल भर में अठारह-

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

उन्नीस अरब हो सकती है। बेकारी को दूर करने का यही सीधा तरीका है। इसके अभाव में हमें सरकार को उनके खाने-कपड़े का भार वहन करना पड़ता है। तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये और इन लोगों को काम दिलाने के लिये, गांवों में मकान बनवाने की समस्या, वहां पर सिंचाई और यातायात के साधन उपलब्ध कराने की समस्या, स्कूल की इमारतें तथा अन्य निर्माण के कार्य ऐसे हैं जिनमें इन लोगों को लगाया जा सकता है और बेकारी दूर की जा सकती है बिना करदाता पर कर लगाये। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह आज रूस, चीन और अमेरिका की बात को छोड़ दे और अपने देश को देखे और हमारे यहां जो भी नव-निर्माण के लिये जरूरी चीजें हैं उनको ग्रहण करे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले आप से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपने चूंकि पिछले साल भी मुझे बोलने के लिये आधे घन्टे का समय दिया था, इसलिये मेहरबानी करके इस साल भी मुझे आधे घन्टे का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---पार साल एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैंने आपको आधे घंटे का समय दिया था क्योंकि आप सदन को बहुत सी सूचनायें दे सकते हैं। इसलिये अब भी वही परिपाटी रहेगी और आपको आधे घन्टे का समय मिलेगा।

श्री नवलकिशोर---अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सन् १९६०-६१ का बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इससे पहले मैं अपने मित्र माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष पहली बार विरोधी दल की तरफ से इतनी सुन्दर तथा रचनात्मक स्पीच दी। उन्होंने बजट के बनाने के सम्बन्ध में और उसको पेश करने के सम्बन्ध में जो बहुत से प्रस्ताव किये, उनमें से अधिकांश से मैं स्वयं भी सहमत हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक लेख इस बात का दिया है कि पिछले सालों में इस प्रदेश में कितनी प्रगति और कितना विकास हुआ है। मान्यवर, यह बात सही है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चारों तरफ विकास भी हुआ है और प्रगति भी हुई है। मैं उसकी डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। यह स्वाभाविक बात भी है कि जब हम करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करें तो उससे कुछ काम तो होता ही है। मैं केवल अपने आप को इन बातों की तरफ ही सीमित रखूंगा कि हमारी स्टेट के जो रिसोर्सेज थे उनको कहां तक एकोनामिकली और एफीशिएण्टली यूटीलाइज किया गया है और कहाँ तक नहीं, क्योंकि नियोजन की हमारी ऐसी हालत में बुनियादी चीज यह है कि हम जो भी अपना फायनेंशल टारगेट रखें उसके अन्तर्गत सबसे पहली कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि हम अपने उन ध्येयों को कम से कम पैसा खर्च करके प्राप्त कर सकें।

माननीय तिवारी जी ने शिकायत की कि बजट पहले डेफिसिट होता है बाद में वह सरप्लस हो जाता है। मेरी निश्चित राय है कि वह सरप्लस नहीं बनता। यह कहना कन्फ्यूजन मे भरा है और मिसलीडिंग है। सरप्लस बजट वह है जिसमें फिक्स्ड टारगेट को पूरा करने के बाद शासकीय तथा अनप्रोडक्टिव आइटम्स के खर्च में कमी हो, लेकिन मैं देखता हूं कि जो बचत दिखाई जाती है वह सेविंग नहीं होती बल्कि अनस्पेन्ट मनी होता है। बहुत सी चीजों पर, जिन पर हम रुपया दे देते हैं विभाग अपने कार्यों पर खर्च नहीं कर पाते। अगर हम देखें तो पायेंगे कि चाहे आइटम्स छूट जायं और उनका पैसा खर्च न हो लेकिन उसके ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर में कमी नहीं होती बल्कि वह बढ़ ही जाती है। इस दृष्टिकोण से देखने पर यह बजट सरप्लस कभी नहीं होता। हां, एक बात ही है कि हमारे एस्टीमेट्स सही तरीके से नहीं बनाये जाते। मुझे आठ सालों का एस्टीमेट्स कमेटी का अनुभव है और मैं कह सकता हूं कि हमारे आफिसरान और डिपार्टमेन्ट्स जितना ध्यान उनको इस्टीमेट्स बनाने पर देना चाहिये वह नहीं देते हैं और उसी के कारण गलत एस्टीमेट्स आते हैं और इसका कारण यह भी है कि उनके लिये कोई दंड का विधान नहीं है। इसलिये वह समझते हैं कि चाहे जैसा एस्टीमेट बना दें हमारी

सरकार इतनी सीधी है कि सप्लीमेन्टरी के तौर पर या और तौर से हमारी मांग को पूरा कर ही देगी। तो मैं यह चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बात के लिये कोशिश करे कि जिन विभागों के एस्टीमेट्स सही न हों उनके बारे में इन्क्वायरी होनी चाहिये और जो आफिसरान या कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके लिये दंड होना चाहिये, क्योंकि जनकोष से खिलवाड़ करने देना मुनासिब नहीं है। अगर यह नहीं होगा तो एस्टीमेट्स सही नहीं बन सकते।

मैंने कहा था कि प्रगति हुई है। उसके लिये मैं क्या, सभी सरकार के आभारी हैं। इस वर्ष भी कुछ विकास की बड़ी-बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। मैं सब का जिक्र न करके दो-चार बातें कहना चाहता हूं। देहरादून में आपने सैनिक स्कूल, की बात कही है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। आपने एन० सी० सी० केडर (cader) को बढ़ाने की बात कही है उससे भी सारा प्रदेश सहमत होगा, विशेषकर आज जब हमारी सीमाओं पर हलचल मच रही है तब उसके लिये इसकी बड़ी जरूरत है। एक थरमल पावर स्टेशन साढ़े चार लाख किलोवाट का मिर्जापुर में बनाने की बात है, रामगंगा प्रोजेक्ट की बात और यमुना प्रोजेक्ट की, कोआपरेटिव की १५ करोड़ से ३६ करोड़ रुपया कर्ज देने की बातें कही कई हैं। यह सब अच्छी बातें हैं और उसके लिये वित्त मन्त्री बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं, जिसकी तरफ मैंने संकेत किया था।

हमारा समाजवादी व्यवस्था बनाने का ध्येय है और घोषणा भी है, निश्चित नीति भी है। उसके ऊपर कोई विशेष टिप्पणी भी नहीं हुई है और यह सही भी है कि हम जब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकन्ड फाइव ईयर प्लान से चलकर थर्ड और फोर्थ में जायेंगे तो हर साल बुनियादी नीतियों के अन्दर तो तब्दीली होना सम्भव भी नहीं है, हर प्लान के आरम्भ में कुछ मूलभूत नीतियां निर्धारित कर दी जाती हैं। लेकिन समाजवाद की बात जब हम कहते हैं तो उसके अन्दर जो जनकोष है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इतना अधिक विकास होता जाना चाहिये कि हमको आगे चलकर टैक्स लगाने की विशेष जरूरत न पड़े और बाजार से कर्ज लेने की जरूरत भी न पड़े। वैसे मैं कर्ज लेने को कोई अनुचित बात नहीं मानता, वह जरूरी और मुनासिब बात है। हमारे बुजुर्ग पालीवाल जी ने आपत्ति की कि डेफिसिट फायनेंसिंग नहीं होनी चाहिये, क्योंकि उससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं; लेकिन में उनसे इसमें सहमत नहीं हूं। मुझे डेफिसिट बजेटिंग की पद्धति के मानने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रोग्रेसिव स्टेट्स में डेफिसिट बजटिंग भी होती है और डेफिसिट फायनेंसिंग भी होती है, हालांकि दोनों में अन्तर होता है। प्रदेशीय सरकार केवल डेफिसिट बजेटिंग ही कर सकती है—डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात केन्द्रीय सरकार का क्षेत्र है, लेकिन वह तभी अच्छा होता है जब कि हमारा पैसा प्रोडक्टिव आइटम्स पर ही खर्च किया जाय, अनप्रोडक्टिव आइटम्स पर न खर्च किया जाय। उस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमने जितना कैपिटल जितना आउट ले इस प्रदेश के अन्दर आज़ादी के बाद फैलाया है उसका उतना रिटर्न जितना कि हमको मिलना चाहिये था, नहीं मिल पाया है। मिसाल के तौर पर मैं तीन-चार एग्जाम्पुल्स आपके सामने पेश करूंगा।

सबसे पहले मैं स्टेट ट्यूबवेल्स को लेता हूं। स्टेट ट्यूबवेल्स में सन् १९५५ के बाद लगभग ४ सालों में—पहले १७ करोड़ का आउट ले था अब १७ करोड़ के बजाय वह बढ़कर ३०-३२ करोड़ पहुंच गया है और वर्किंग एक्सपेंसेज भी दूने के लगभग हो चुके हैं। मगर आय उस अनुपात में उतनी नहीं बढ़ी है, कुछ अवश्य बढ़ी है लेकिन वह दूनी नहीं हुई है। इसका फल यह हुआ कि स्टेट ट्यूबवेल्स में जहां पहले चार या सवा चार परसेन्ट का घाटा था वह अब बढ़कर ७ १/२ फीसदी के आस-पास पहुंच गया है।

इसी प्रकार से कैनाल्स के अन्दर हम देखते हैं कि करीब ३०-३२ करोड़ रुपया कैनाल्स को बढ़ाने में और खर्च किया गया मगर जो आय प्राप्त हुई वह उस अनुपात में कहीं कम है जिस अनुपात में पैसा खर्च किया है। आज स्थिति यह है कि अगर हम सभी नहरों की पूरी तस्वीर को अपने सामने रखें तो हम देखेंगे कि जहां हमको ढाई परसेन्ट का लाभ होता था वहां आज करीब-करीब पौन या एक परसेन्ट का घाटा होने लगा है।

[श्री नवलकिशोर]

एलेक्ट्रिसिटी पर हमने बहुत जोर दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब एक एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी बन गया है और हमारे प्रदेश के एक योग्य अधिकारी उसके चेयरमैन हैं। मगर जो उसकी स्थिति है उसमें मुश्किल से हमको एक परसेन्ट का प्राफिट होता है। मान्यवर, मैंने यह बात इसलिये कही कि आमतौर से जो हम कर्जा बाजार से लेते हैं वह करीब-करीब साढ़े चार, पांच या साढ़े पांच परसेन्ट सूद पर मिलता है। इसलिये अगर हमको उससे कम से कम ६ परसेन्ट का रिटर्न नहीं मिलता तो उसके मानी यह होते हैं कि जो हमको सूद पड़ेगा वह कहीं ज्यादा होगा बजाय उसके जितनी कि हमको उससे आमदनी होगी और उससे हमारे प्रदेश के ऊपर कर्जे का भार और सूद का भार दिन प्रति दिन बढ़ता जायगा। इसलिये इस ओर मैंने सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित क ने की कोशिश की है।

मान्यवर, यह स्पष्ट है कि जब तक इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल खत्म होगा तबतक हम इन दो योजनाओं पर इस प्रदेश में ४०० करोड़ रुपये के आस-पास खर्च कर देंगे। हमको देखना चाहिये कि उसका परिणाम क्या हुआ। जैसा कि कहा गया कि हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम घटी है वह सही है। यह देहात में भी घटी है और शहरों में भी घटी है। और दोनों में काफी अन्तर भी है। हमारे पास इसके जो आंकड़े हैं---सन् १९५५-५६ के आंकड़े नहीं है उनको छोड़कर भी---हमारी आमदनी घटी है। अगर हम सन् १९५६-५७ के बाद ही देखें तो शहरी आय में अवश्य थोड़ी सी बढ़ौत्तरी हुई है। मेरे खयाल में सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की गई, कृषि विभाग से भी बहुत काम किया गया, पैसा भी बहुत खर्च किया गया मगर यह भी सही है कि खाद्यान्न की जो पर एकड़ ईल्ड है उसमें कोई विशेष बढ़ौत्तरी नहीं हुई। यह आज सोचने की बात है। हमारी नीति सही है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, हम पैसा भी खर्च करते हैं, नीयत भी हमारी साफ है, सरकार की पूरी चेष्टा और कोशिश भी है, हमारे मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं उन्होंने भी दिन रात कोशिश की है कि इस प्रदेश का जीवन स्तर ऊंचा हो। फिर क्या कारण है, क्या कमी है, क्या लूपहोल्स हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी पर कैपिटा इनकम घटती जा रही है?

गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो आंकड़े दिये थे उसमें भी लिखा था कि यू० पी० की पर कैपिटा इनकम घटी है। जैसा कि पालीवाल जी ने कहा कि ढेबर साहब ने यह कहा कि, धनी-धनी हो रहा है और गरीब-गरीब। मैं भी कहता हूं कि ढेबर साहब ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब-गरीब होते जा रहे हैं यही नहीं उन्होंने यह भी कहा "The congress is drifting towards right" यानी कांग्रेस बजाय इसके कि वह वामपक्ष की ओर जाय। वह दक्षिण पक्ष की तरफ जा रही है और जब इन्दिरा जी कांग्रेस प्रेसीडेंट हुई तब उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे देश की समाजवाद की प्रगति की गति बहुत धीमी है। इसके लिये हमको सोचना है कि हमारे अन्दर क्या कमी है और इसके लिये हम क्या उपाय करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में कितनी उन्नति क्यों न हो जाय, मगर फिर भी किसी देश या प्रदेश की इकोनामी साउन्ड नहीं होगी तब तक जब तक उस प्रदेश की औद्योगिक उन्नति नहीं हो। इसके लिये आवश्यक है कि उस प्रदेश का इंडस्ट्रिअलाइजेशन किया जाय। मेरा यह विश्वास है कि ९ वर्ष के नियोजन और प्लानिंग के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से तथा भारत यूनियन में इस प्रदेश का जो स्थान है उसके हिसाब से भी यदि देखा जाय तो हमारा प्रदेश औद्योगीकरण में काफी पीछे है और पिछड़ा हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस साल की बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत से आंकड़े दिये हैं। उन्होंने बतलाया है कि सवा दो सौ नये लाइसेंस दिये गये हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि मिर्जापुर में एक अल्मूनियम फैक्टरी लगाने की बात की गयी है। उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। उन्होंने एक बात और बतलायी कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर उद्योगों के विकास के लिये ४६ करोड़ कैपिटल आउट ले की बात रखी गयी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े

हमारे पास हैं, उनके हिसाब से तथा हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी जितना एक्सपैंशन इंडस्ट्रियल डाइरेक्टोरेट का हुआ है, जितने आफिसरान उसके अन्दर बढ़े हैं उतना इंडस्ट्रियल एक्सपैंशन सही रूप में नहीं हो पाया है।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

दूसरी बात जो कर्ज देने की है, वह ठीक है, पर हम नहीं जानते कि जिनको कर्ज दिया जाता है उनको किस तरह से परसू करते हैं कि वह धन सही व्यय हो रहा है। जहां तक ट्रेनिंग पाने वालों की बात है कि ट्रेनिंग कम-प्रोडक्शन केन्द्रों पर साढ़े ६ हजार आदमियों को हम ट्रेंड कर सकेंगे, परन्तु उनको फालो अप (follow up) करने की बात है कि उनकी खपत के लिये अभी तक कौन-कौन स्कीम बन सकी हैं। यह भी साफ होना चाहिये कि आखिर उन ट्रेंड आदमियों को किस-किस इंडस्ट्री में लगाया जा सकेगा तथा उनकी खपत की जा सकेगी। अन्यथा प्रशिक्षितों की बेकारी बढ़ेगी।

एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार की तरफ से अभी दो दिन हुए एक जवाब यह दिया गया कि बिड़ला को ५५ हजार किलोवाट बिजली देने के बाद भी हमारे पास काफी बिजली बच जायेगी जो कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इंडस्ट्रीज के एक्सपैंशन के लिये १५ या २० साल तक के लिए काफी होगी। समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो सकेगा? साफ है कि हमारे पास कोई औद्योगिक प्लान नहीं है। अगर हमारे पास पावर हो और कोई इंडस्ट्रियल स्कीम न हो, कोई प्रोजेक्ट न हो तो इसके माने यह हैं कि वह भी हमारा एक बहुत बड़ा वेस्टेज होगा। साथ ही अगर हमारे पास स्कीम्स हों और पावर न हो तो वह भी हमारा बहुत बड़ा वेस्टेज होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब रिहन्ड डैम की योजना बनायी गयी थी तब उस समय ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिये उद्योग सम्बन्धी कोई इंटीग्रेटेड स्कीम नहीं थीं। यह हमारी त्रुटिपूर्ण प्लानिंग है। अब कहा जा रहा है कि सभी जगहों का सर्वेक्षण किया जायगा। बहुत अच्छी बात है कि सर्वे किया जाय। बहरहाल सरकार ने एक सही कदम उस ओर उठाया लेकिन अब तक दो तीन साल के अन्दर मेरा अपना खयाल है कि किसी आफिसर ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि वह इस बात की जांच करे कि उसके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा उद्योग पहले था और वह कब तथा किस कारण से बन्द हो गया। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप पूछें तो वहां का आफिसर आपको इसकी सूचना नहीं दे सकता है। वह यह भी नहीं बतला सकता है कि उसके यहां किस-किस इंडस्ट्री के लिये क्या-क्या चांसेज और प्रोस्पेक्ट्स हैं।

बहरहाल, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यह सही बात है कि सरकार ने कोशिश की और इस सम्बन्ध में उसने एक कमेटी भी बैठायी। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी कुछ कमेटीज बैठायीं, यह बात भी अपनी जगह पर सही है लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है तथा बहुत सी स्कीम्स भी हैं, जिसका जिक्र बहुत ही लम्बा चौड़ा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किया है। माताटीला की पुरानी योजना के अन्तर्गत भी उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है। इसी तरह से हरदुआगंज तथा और भी बहुत से स्थान हैं जहां बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बात है। लेकिन इस समय मुझे केवल एक बात कहनी है कि पावर डेवलपमेन्ट तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्कीम इंटीग्रेटेड बननी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसे इस बात को देखना चाहिये कि हमारे यहां बिजली की जो जेनरेशन कास्ट है वह इतनी ज्यादा क्यों है। यह देखना चाहिये कि केवल इंडस्ट्री के लिये बिजली होना ही काफी नहीं है बल्कि वह कम कीमत पर भी मिलनी चाहिये। एक बात कही गई कि रिहन्द बांध से जो बिजली पैदा होगी उसकी कास्ट १६५ रुपया पर किलोवाट पर इयर होगी और फिर वह १७५ पर किलोवाट पर बिड़ला जी को दी जायगी, इस तरह से यह तो ठीक ही है कि हमें दस रुपये का मुनाफा पर-किलोवाट होगा जब हम १७५ के रेट पर देंगे। लेकिन मुझे बड़ा सन्देह है इन सरकारी आंकड़ों पर और माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो आंकड़ों के बारे में हंसी में कहा

[श्री नवल किशोर]

भी था--कि "lies, damn lies and statistics" मेरा विचार यह है कि हमारे विभागों को अभी व्यावसायिक कास्ट निकालने के तरीकों का अनुभव नहीं है। मुझे इस बात की खुशी तो जरूर है कि श्री बिड़ला को बिजली दी गई एक नये उद्योग के लिये और सही दी गई। मैं तो यहां तक सहमत हूं कि यदि नो प्राफिट नो लास (no profit no loss) के बेसिस पर भी दी जाय तो ठीक है लेकिन यह न होना चाहिये कि किसी को भी बिजली सरकारी एक्सचेकर की कास्ट पर दी जाय। मुझे डर है कि सरकारी आंकड़े और हिसाब गलत न हों। मुझे जो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है उस के आधार पर मैंने जो हिसाब लगाया है उस के आधार पर १७५ रुपया पर किलोवाट जब बिजली दी जायगी तो ५५ हजार किलोवाट की कीमत जोड़ कर आती है ९६.२५ लाख रुपया और ४७ करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसे कुल १ लाख ५ हजार किलोवाट बिजली मिलेगी, उसमें से ५५ हजार किलोवाट बिजली जो हम दे देंगे उस पर साढ़े २४ करोड़ की पूंजी लागत आती है और इसका अगर ४ प्रतिशत के सूद से ही हिसाब लगाया जाय तो हमें ९८ लाख रुपया देना होगा। बहरहाल इस के डिटेल में ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि हमारे बिजली के जितने भी काम हैं उन के बारे में यह एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखे कि हमारी कास्ट आफ जेनरेशन क्यों ज्यादा है और किस तरह से उस में कमी हो सकती है।

अब कोआपरेटिव की बात आती है। मान्यवर, यह सही है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की तादाद बढ़ी, मार्केटिंग सोसाइटीज की तादाद बढ़ी और लेबर कोआपरेटिब्ज भी बढ़ीं लैण्ड मार्गेज बैंक की भी स्थापना हुई और खुशी है कि कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियां भी कायम हो रही हैं और हम सब जानते हैं कि हम ने अभी यह स्वीकार किया है कि हम इस सूबे का जो ढाँचा बनाने जा रहे हैं उस का आधार कोआपरेटिव होगा। मेरा खयाल है कि अगर इस कोआपरेटिव मूवमेंट के पीछे हम ने कोआपरेटिव स्प्रिट को पैदा नहीं किया तो महज सोसाइटियों का नाम बदलने से या कुछ हेरफेर करने से हमारा काम पूरा न होगा। मुझे दुख है कि हमारे सूबे में आम तौर से इस विभाग के बारे में लोगों में कुछ गलत धारणायें हैं, न जाने लोगों का क्यों ऐसा खयाल बन गया है कि इस विभाग में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और गुटबन्दी होती है। लोगों का कहना है कि जिला विकास कौंसिल के चैयरमैन या फेडरेशन के मंत्री जब नियुक्ति किये जाते हैं या और नियुक्तियां की जाती हैं तो उन में फेवरेटिज्म और गुटबन्दी बहुत होती है। मैं अदब के साथ माननीय मंत्री जी से और उनसे अधिक माननीय मुख्य मंत्री जी से निवदन करना चाहता हूं कि वह देखें कि इस प्रकार की धारणा लोगों में पैदा न हो।

शिक्षा के संबंध में भी बजट में बहुत चर्चा है। पहली बात मुझे यह कहनी है कि मेरा यह विश्वास है कि जनरल एजूकेशन और टेक्निकल एजूकेशन एक साथ होनी चाहिये, उनका विभाजन उचित नहीं है। दूसरे टेक्निकल एजूकेशन के लिये जो स्कूल कालेज खोले जाते हैं उनमें एक कोआर्डिनेशन और इन्टीग्रेशन होना चाहिये और देखना चाहिये कि प्रदेश को क्या मांग है, तथा किस क्षेत्र की क्या मांग है। हम ने ओवरसीयर्स के दस पंद्रह बीस स्कूल खोल दिये, हमारे यहां हर साल सैकड़ों ओवरसियर निकलते हैं मगर उनको जगहें नहीं मिलती और आज जो हमारे अन्य बेकार भाई हैं उनकी जो संख्या है उसमें उनकी भी एक तादाद बढ़ जाती है। सही प्लानिंग के माने यह हैं कि चाहे देश हो, या प्रदेश हो, सरकार को यह मालूम हो कि हमें अगले तीन चार-पांच साल में कितने ओवरसियर, कितने इंजीनियर और कितने टेक्नीशियंस की जरूरत है, किस किस क्षेत्र में किस-किस तरह के आदमियों की आवश्यकता है, उसी के मुताबिक प्रयत्न करना चाहिये। हम इंस्टीट्यूशंस भी खोल देते हैं, कोर्सेज भी शुरू कर देते हैं लेकिन उनके जो डिप्लोमा या सर्टीफिकेट्स हैं उनको मान्यता नहीं देते। उदाहरण के लिये कलेक्टरगंज बरेली में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहां ड्राफ्ट्समैन की ट्रेनिंग होती है। लेकिन हमारी प्रदेशीय सरकार ने उस ट्रेनिंग को और उस सर्टीफिकेट को कोई मान्यता प्रदान नहीं की है यद्यपि केंद्रीय सरकार उसको मानती है। इस तरह की बात बहुत अनुचित मालूम होती है।

एक बात और देखी मैंने इस बजट में। माननीय वित्त मंत्री जी ने इकानामी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। उनके मन में तो बात होगी, शायद कोशिश भी होगी। लेकिन 'इकोनामी' शब्द का इस्तेमाल बजट भाषण के अन्दर कहीं भी नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि एक माने में अच्छा ही हुआ। हम एक बात की चर्चा करें और फिर कर न पायें तो अच्छी बात नहीं होती। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हम हर साल इस बात की चर्चा करते हैं कि इकानामी हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसकी वजह क्या है ? जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूं, जब तक इकानामी हर विभाग और डिपार्टमेंटल हेड के साथ artiele of living faith न बन जाय तब तक हो नहीं सकती। इकानामी कमेटी बैठी। तीन साल लग गये। बड़ी मेहनत की। अपनी रिपोर्ट भी दी। मुझे आज तक पता नहीं कि उसके ऊपर क्या काम हुआ। मेरा भी संबंध एस्टीमेट कमेटी के साथ रहा और कुछ समय तक, उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी संबंध रहा था। उसने रिपोर्टें दीं। उनमें तमाम मेहनत की। लेकिन उन पर क्या अमल हुआ इसके बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। असली बात यह है कि जो एटीट्यूड सरकारी कर्मचारी शुरू से लेते हैं वही एटीट्यूड आखीर तक उनका बना रहता है। चाहे एक दफा बहस की जाय और चाहे छः दफा। पता नहीं क्या स्थिति है ? हमारी सरकार को भी बहुत कुछ उसी को इंडोर्स करना पड़ता है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो फायनैन्शियल एक्सपेंडीचर होता है उस पर पार्लियामेंटरी कंट्रोल के लिये सिर्फ तीन कमेटियां हैं। फायनेंस कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी। सही या गलत, हमारे प्रदेश में फायनेंस कमेटी नहीं है। बनाई जाय तो अच्छी बात है। एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है। अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि ये कमेटियां नइफेक्टिव होती जा रही हैं क्योंकि कर्मचारियों के मन में ऐसी धारणा है कि हम जो एटीट्यूड लेंगे अल्टीमेटली हमारी बात को ही माना जायगा। मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कोई भी कमेटी हो, अक्सर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में कमेटी इसलिये भी बनाई जाती है ताकि थोड़ा सा साइड ट्रैकिंग हो जाय। उस बात को छोड़ दीजिये। जो भी कमेटी आप बनावें, उनकी जो भी सिफारिशें या सुझाव हों, उनका जो महत्वपूर्ण स्थान है उसका सरकार को ध्यान रखना चाहिये।

मैं एस्टीमेट्स कमेटी की बात कह रहा था। अब तक मैंने दो नई टेंडेंसीज देखी हैं। एक तो हमारे जो इंजीनियर साहबान हैं वे शुरू में एक छोटा सा एस्टीमेट बनाकर भेज देते हैं किसी भी एक स्कीम का, और शायद उसके पीछे धारणा यह है कि हम अगर कम ऐस्टीमेट बनायेंगे तो प्रदेश की सरकार उसको स्वीकार कर लेगी। माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले १०,१२ साल में जितनी स्कीम्स इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, चाहे पावर विभाग हो, दी गई हैं उनमें से कितनी स्कीम्स वे हैं जिनको विभाग ने कहा था कि प्रोडक्टिव हैं और बाद को जाकर अनप्रोडक्टिव हो गईं ? और अगर अनप्रोडक्टिव हो गई तो सरकार से मेरी मांग है कि वह इनक्वायरी बैठाये और देखे कि प्रोडक्टिव स्कीम्स अनप्रोडक्टिव क्यों बन गईं और क्या कारण था तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की। आज देखा यह जाता है कि स्कीम्स के ऐस्टीमेट्स में ३० फीसदी से लेकर १०० फीसदी तक इजाफा हुआ है। इसका क्या कारण है ?

मुझे खुशी है माननीय मुख्य मंत्री जी ने माता टीला बांध, सपरार डैम, अर्जुन डैम तथा रिहन्द पर कुछ इनक्वायरी बैठायी थी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--वह इनक्वायरी खत्म हो गई।

श्री नवलकिशोर--बहरहाल, मैं समझता हूं कि खत्म नहीं हुई। लेकिन इस बात को मानते हुए कि जांच करायी गई, मैं जानना चाहता हूं कि उन जांचों का क्या फल हुआ और उसके अन्तर्गत सरकार ने संबंधित कर्मचारियों के लिये क्या क्या दंड दिया या क्या कार्यवाही की।

[श्री नवल किशोर]

एक बात और है कि हम लोगों की जो स्कीम्स होती हैं वे बहुत अच्छी होती हैं मगर जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें तमाम झगड़े खड़े हो जाते हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप बावजूद सरकार की तारीफ के कि उसने इन सर्विसेज से इतना विकास का काम लिया, डेवलपमेंट की ऐक्टीविटीज में तथा प्लानिंग के उपयुक्त तथा उस ट्यून में हमारी सर्विसेज नहीं हैं। मैं ही इस बात को नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारे प्रधान मंत्री तक ने कहा है और बंगलौर कांग्रेस सेशन में कांग्रेस ने इस पर प्रस्ताव भी पास किया है। अब तो आपने रिटायरमेंट की एज ५८ कर दी, उसके बाद भी मैं जानना चाहता हूं कि जो नऐफिशियेंट अफसर हैं आपके यहां कोई वजह नहीं है कि उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट क्यों न दिया जाय, एक्सटेंशन का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये।

श्री राजनारायण—जिन आदमियों के खिलाफ जांच की गई उनको प्रोमोट कर दिया गया।

श्री नवलकिशोर—जैसा हमारे एक भाई ने कहा, धारणा यह है कि अगर किसी अफसर को प्रोमोट करना हो तो उसकी आप कोई न कोई शिकायत कर दीजिये और उसका प्रोमोशन हो जायगा। यह एक धारणा है। मैं नहीं कहता कि यह कहां तक सही है। मगर है ऐसी धारणा जनता में। यही नहीं, लोग आम तौर से कहते हैं कि सिफारिश के बिला कुछ हो ही नहीं सकता है।

अभी हमारे एक भाई ने चर्चा किया था, उससे पहले तो मुझको ज्ञान नहीं था, कि बिजली विभाग के जो चीफ इंजीनियर थे उनको एक मंत्री ने जो कि उस समय उस विभाग के मंत्री थे किन्हीं ग्राउन्ड्स पर इस बात के लिये मजबूर किया कि वे छुट्टी लें और उसके पीछे यह अन्डर स्टैंडिंग थी कि वे छुट्टी के बाद दुबारा वापस नहीं आयेंगे। लेकिन आज उनके लिये एक नई पोस्ट क्रिएट की गई कि वह केंद्र और प्रांतीय सरकार के बीच लेजां अफसर के पद पर काम करें। मुझे उनसे कोई निजी शिकायत नहीं है। मगर इस तरह की बातों से शासन के अन्दर अनुशासन कमजोर होता है और अच्छी व स्वस्थ परम्परा नहीं बनती।

इसके अलावा एक जहनियत और पैदा हो गई है कि स्कीम्स को बिना पूरी तरह से जांचे काम शुरू कर दिया जाता है इस उम्मीद में कि हमको ५० फीसदी केंद्रीय सरकार दे देगी। यह जहनियत गलत है। क्योंकि केंद्रीय धन भी जन कोष ही है। मुझे मालूम है कि ऐसी स्कीम्स हैं जिन पर काम शुरू होने के बाद २,३ साल तक ऐलीमेंट्री सर्वे नहीं हो पाया, मिसाल के तौर पर पोलीभीत कोलोनाइजेशन स्कीम को लीजिए।

हमारी सर्विसेज में एक नया मर्ज और पैदा हो गया है जिससे जनतंत्र को बहुत खतरा है और वह जाति-बिरादरी की बात है। इसकी ओर हमारे प्रधान मंत्री ने भी इशारा किया है और मैं भी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। अच्छे शासन के लिये यह भी जरूरी है कि सर्विसेज के अन्दर भी कंटेंटमेंट की बात होनी चाहिये। तनख्वाहों में डिस-पेरिटी इतनी ज्यादा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे दुख है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया भी हमारी इस दिक्कत को दिन प्रति दिन बढ़ाती जाती है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि सेंटर की पे दूसरी हो और स्टेट की पे दूसरी हो। मैं चाहता हूं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ इस ईश्यू को टेक अप करे। ये डिसपैरिटीज खत्म होनी चाहिये।

दूसरे, जो इंट्रीज होती हैं सर्विसेज के अन्दर उनको भी समाप्त करना चाहिये। आज भी सचिवालय में गुटबाजी चलती है। हमने सेक्रेटेरियट रिआर्गेनाइजेशन की बात कही थी, एक स्कीम अमल में आई मगर चूंकि श्री दास जो इंचार्ज थे वे हट गये तो स्कीम भी हट गयी। अब नये चीफ सेक्रेटरी के आने पर संभवतः नई स्कीम चालू की

जायेगी। मैं समझता हूं इस तरह से एक्सपेरीमेंट्स नहीं होने चाहिये। आखिर में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग आस्टेरिटी की बहुत बात करते हैं। लेकिन मुझे यह महसूस होता है कि ये जितनी बातें हैं वे किसान के लिये होती हैं और औरों से इनका वास्ता नहीं है। हमारे स्वयं अपने जीवन में तथा शासन के अन्दर आस्टेरिटी की कोई बात दिखाई नहीं देती है।

जहां तक मंत्रिमंडल के सदस्यों की बात है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उनके हिसाब से उनकी जिन्दगी स्वयं बड़ी सादा होती है लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जाड़ों के महीनों में एयर कंडीशंड कम्पार्टमेंट्स में हमारे सेक्रेटरीज ट्रैविल करें और इस गरीब प्रदेश में जब कि हमारी ग्रामीण पर कैपिटा इन्कम १९३ रुपये हो यह बड़ा अनुचित मालूम होता है। यों भी शासन का व्यय भार बहुत अधिक है ही।

मायन्वर! मैंने कुछ बात सरकार के सामने रखी है। मुझे आशा है कि सरकार इन बातों की तरफ ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट को देखने के बाद मेरी यह निश्चित धारणा हो गयी है कि सरकार का लक्ष्य जो समाजवादी समाज की स्थापना है वह केवल एक धोखे की बात है। इस बजट को मैं एक रुढ़िवादी बजट के रूप में देखता हूं और यह बजट गम्भीर मौलिक कमजोरियों का शिकार है।

मैं इस सरकार के वित्त मंत्री का तीन बातों की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे प्रदेश का प्रशासन है। आज जो प्रशासन की स्थिति हमारे प्रदेश में है, सरकार चाहे १ अरब का बजट प्रस्तुत करे या ७ अरब का बजट प्रस्तुत करे, उसे देखते हुए प्रदेश की जनता में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि हम अपनी निगाह पीछे ले जायं और उस समय की हालत को देखें जब ४७-४८ में, कांग्रेस ने प्रदेश का शासन अपने हाथों में लिया उस समय पूरे प्रशासन के ऊपर २,५६,७३,२०० रुपये खर्च होते थे और आज वह रकम बढ़ कर ५,७३,६०,५०० रुपये हो गयी है। यानी करीब-करीब १०५ प्रतिशत प्रशासन के ऊपर अधिक व्यय हो रहा है तो इतना अधिक रुपया व्यय करने के बाद आज प्रशासन की क्या स्थिति हमारे प्रदेश के अन्दर है। हमारे प्रदेश के प्रशासन की सबसे बड़ी दो कमजोरियां हैं, लाल फीताशाही और नौकरशाही।

मैं इस बात को नम्रता से कहना चाहता हूं कि नौकरशाही और लालफीताशाही हमारे प्रदेश के नीचे के कर्मचारियों में नहीं है, जो बड़े-बड़े कमचारी हैं उनके अन्दर है। वे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर प्रदेश के शासन का सबसे अधिक रुपया खर्च होता है, जिनकी सुविधा व सुख के लिये प्रदेश का शासन सबसे अधिक खर्च करता है और जो नीचे के कर्मचारियों पर सारी जिम्मेदारी फेंक कर तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। आज प्रदेश के प्रशासन की हालत यह है कि जिलों के अन्दर बड़े-बड़े उच्च अधिकारी वहां की स्थानीय राजनीति में भाग लेते हैं। जिले के अधिकारी साजिश करके पत्रकारों पर हमला कराते हैं, राजनीतिक पार्टियों पर हमला कराते हैं और साजिश करके अखबार निकाला जाता है। इन सब बातों में पार्टी के नेताओं का, पत्रकारों का और जिले के अधिकारियों का खुल कर हाथ होता है। यदि इसकी निन्दा और शिकायत की जाती है तो सरकार का ध्यान उस तरफ बिलकुल नहीं जाता। यदि प्रदेश का शासन आज स्वच्छ होता और कार्यकुशलता बढ़ी होती तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिये थी। हम देखें कि जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उनकी तादाद बराबर बढ़ती चली जा रही है। यदि हम देखें तो अदालत के अन्दर जो मुकदमें चल रहे हैं, चाहे दीवानी के हों चाहे फौजदारी के हों, उनमें पिछले १० वर्षों में कोई कमी नहीं हुई है। यदि कमी हुई है तो नाम मात्र को। सन् १९५३ में प्रदेश की अदालतों में ७८९ हजार मुकदमें चल रहे थे और सन् १९५८ में ७७८ हजार उनकी संख्या थी। तो यह कमी कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी हम प्रशंसा कर सकें।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

जुरमाने की रकम जो अदालतों ने सन् १९५३ में वसूल की वह थी ५६ सौ ६६ हजार और सन् ५८ में वह थी ५८ सौ ५८ हजार। सवाल यह पैदा होता है कि क्या हमारे प्रदेश का प्रशासन इस बात में कामयाब हुआ कि वह मुकदमेबाजी को रोक सके, बढ़ते हुए अपराधों की संख्या को रोक सके ? क्या जुरमाना लगा कर या दंड दे कर प्रदेश और देश के अन्दर समाजवादी व्यवस्था कायम की जा सकती है ? इसके साथ ही साथ जहां एक तरफ मुकदमेबाजी बढ़ी रही है, अदालतों में जुरमाना ज्यादा वसूल किया जा रहा है वहां दूसरी तरफ न्याय प्रशासन महंगा हो गया है। और न्याय प्रशासन के ऊपर जहां सन् १९४७-४८ में १,०४,०२,५०० रुपये खर्च किये गये वहां सन् ५८ में उस पर १,८२,५६,५०० रुपये खर्च हुए। तो दस वर्षों में इतनी वृद्धि न्याय प्रशासन के खर्च में हुई ।

दूसरी बात यह भी देखने की है कि हमारा प्रशासन आज तक इस बात में भी कामयाब नहीं हो सका कि प्रदेश की गरीब जनता की आय को भी बढ़ा सके। वह इस बात में भी कामयाब नहीं हुआ कि प्रदेश के कृषि उत्पादन को बढ़ा सके या प्रदेश के उद्योग की हालत को स्थिर कर सके, गरीब मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा सके, छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा सके । तो फिर प्रशासन सफल है या असफल इस बात का निर्णय यह सरकार स्वयं करे।

इन तमाम बातों को देखते हुए आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के शासन के अन्दर आमूल परिवर्तन हो, उसके अन्दर प्रजातांत्रिक भावनायें पैदा हों, उसके अन्दर समाजवादी लक्ष्यों को पूरा करने की कार्यकुशलता बढ़े। इसके लिये प्रशासन के सुधार के लिये एक कमेटी बिठानी होगी और यह कमेटी जितनी जल्दी बिठायी जाय उतना ही प्रदेश की जनता का हित होगा। अलग अलग कमेटियां बिठाने से, चाहे वह पुलिस कमीशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी कमीशन हो, चाहे पे कमीशन हो, काम नहीं चलने वाला है। जहां उन कमीशनों को बिठाने की जरूरत है वहां इस बात की भी जरूरत है कि प्रशासन के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने के लिये एक कमेटी शीघ्रातिशीघ्र बिठायी जाय। आप देखेंगे कि आज सरकार के एक विभाग का दूसरे विभाग से कोआर्डिनेशन नहीं है। आज अगर कृषि का उत्पादन बढ़ाना है तो कृषि विभाग अपने ढंग से काम करता है, प्लानिंग विभाग अपने ढंग से काम करता है, सहकारिता विभाग अपने ढंग से काम करता है, परन्तु उनमें आपस में कोई सहयोग नहीं है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि प्रदेश के अन्दर कृषि का उत्पादन एक प्रकार से घटा है। सरकार कहती है कि सन् ४८--४९ के बाद २५ प्रतिशत की वृद्धि कृषि उत्पादन में की गयी है। लेकिन जब से प्लानिंग शुरू हुआ है तब से मैंने आंकड़े निकाले हैं जिनको देखने से पता चलता है कि सन् ५३-५४ में जो हमारे मुख्य खाद्य पदार्थ हैं, जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, उनकी उपज ९० सौ ६१ हजार टन थी और सन् ५८-५९ में यह ९७ सौ २७ हजार टन हो गयी यानी ७.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई प्लानिंग में सारी ताकत लगा देने के बाद। लेकिन यह वृद्धि उस समय हुई जब कि इस प्रदेश में जितनी जमीन पर खेती होती थी वह सन् ५३-५४ में ४५७.८ लाख एकड़ थी और सन् ५८-५९ में ४८३.६ लाख एकड़ पर खेती होती थी। यानी जमीन में ५.६ एकड़ प्रतिशत की वृद्धि हुई और पैदावार में केवल ७·३ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई । तो डेढ़ प्रतिशत वृद्धि भी हम खेती के उत्पादन में नहीं कर सके। क्या हमारे प्रदेश की सरकार ने इस बात का निर्णय कर रखा है कि हम हमेशा भीख मांगते रहेंगे केंद्रीय सरकार से और केंद्रीय सरकार भीख मांगती रहेगी विदेशों से ? जिस कृषि उत्पादन को प्रमुखता दी जा रही है, सारा प्लानिंग विभाग, कृषि विभाग और सारी मशीनरी उस पर लगी हो, उसमें एक प्रतिशत की वृद्धि ! यह हमारे प्रदेश के प्रशासन की शर्मनाक स्थिति है। हमारा यह निश्चित विश्वास है कि हम इस स्थिति से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि उन मौलिक भूमि सुधारों को न किया जाय जो नितांत आवश्यक हैं। कांग्रेस की आज से २५ वर्ष पहले की यह उद्घोषित नीति है कि भूमि की हदबन्दी होगी। लेकिन तेरह वर्ष के शासन के बाद जो कदम उठाये गये हैं उसकी आलोचना हम पहले भी कर चुके हैं। इस बजट में यह कोई

व्यवस्था नहीं है कि अगर हदबन्दी होगी तो उस पर कितना खर्चा होगा। क्या इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि सरकार इस बजट के अन्दर कोई भी भूमि-सुधार नहीं करने जा रही है ?

श्रीमन्, तीसरी बात मुझे जो कहनी है वह प्रदेश के पिछड़े इलाकों के संबंध में कहनी है। अगर प्रदेश को बढ़ाना है, तो पिछड़े इलाकों की ओर सबसे पहले दृष्टि डालनी चाहिये। हमारे देश में, पूर्वी जिलों, पहाड़ी और बुंदेलखंड के इलाके की क्या स्थिति है ? सरकार ने एक साल पहले कुछ योजनायें इन इलाकों के लिये बनायी थीं लेकिन आज के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि जो ५६ लाख रुपया विशेष योजनाओं के लिये निश्चित किया गया था उसमें केवल ९२ रुपया खर्च किया गया है। क्या इसी प्रकार पिछड़े इलाकों की दशा सुधरेगी ? पिछड़े इलाकों की क्या दशा है, इस संबंध में नेशनल कौंसिल आफ ऐप्लाइड इकानामिक्स रिचर्स, नयी दिल्ली द्वारा बस्ती में जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें उनका मत है कि जहां देश में १० प्रतिशत धन उद्योग में लगा हुआ है, वहां इन जिलों के अन्दर केवल २ प्रतिशत है। जब तक यह स्थिति बनी रहती है, उत्तर प्रदेश पूर्वी, पहाड़ी और बुंदेलखंड इलाके आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक इन में बसी दो करोड़ जनता की हालत यही बनी रहती है तब तक प्रदेश की जनता की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती।

सरकार ने संतोष किया है कि प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम १९३.५ हो गयी है। लेकिन पूर्वी इलाकों की इन्कम क्या है ? १६५ रुपये पर कैपिटा, जब कि पूरे देश का ऐवरेज है २४७ रुपये। प्लानिंग कमीशन ने मिनिमम स्टैंडर्ड आफ लिविंग जो फिक्स किया है उसकी इन्कम है ४२५ रुपये पर कैपिटा, पर इयर। लेकिन प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम है १९३.५ और पूर्वी इलाकों की १६५। क्या यह भयावह स्थिति नहीं है। मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का प्लानिंग विभाग किस बात को, किन तथ्यों को और वस्तुस्थिति को रख कर काम करता है। मुझे तो इस बात का यकीन हो गया है, और मुझे प्लानिंग विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करने से जैसा पता चला है, उनका कोई विश्वास सरकार की योजनाओं पर नहीं है। वह जानते हैं कि उनके रास्ते के अन्दर दूसरे विभाग अड़ंगे डालते हैं, टांगें अड़ाते हैं, दूसरे विभाग उनके साथ सहयोग नहीं करते, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार की तरफ से प्रगतिशील कदम उठाये जाने पर उनके विरोधी भी होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में कार्य–संचालन का भार जिनके ऊपर हो उनकी मनःस्थिति जब ऐसी हो, उनकी भावना ऐसी हो, उनके विचार ऐसे हों, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का नियोजन अपना सही स्वरूप नहीं धारण कर सकता।

श्रीमन्, तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि शिक्षा की स्थिति जो हमारे प्रदेश के अन्दर है वह कुछ सन्तोषजनक नहीं है। हमारे प्रदेश में केवल २८ प्रतिशत बच्चे जो पढ़ने योग्य हैं वह स्कूलों में जाते हैं। इससे पहले हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने जब अपना बजट पेश किया था तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि इस साल छठे दर्जे की फीस वह माफ कर रहे हैं, अगले साल सातवें की और उसके अगले साल आठवें की फीस भी माफ करेंगे। वह एक वादा उन्होंने किया था। वह वादा केवल ४३० माननीय सदस्यों के साथ नहीं था बल्कि प्रदेश की सात करोड़ जनता के साथ था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस वादे को क्यों तोड़ा ? और तोड़ा ही नहीं बल्कि श्रीमन्, जो छठे दर्जे की फीस माफ भी की गई थी उससे भी पीछे जाने की बात सरकार ने की। तो इस प्रकार की स्थिति जब प्रदेश के अन्दर होगी, वायदे किये जायेंगे और उन वायदों को बिना कोई वजन दिये हुए तोड़ने की प्रवृत्ति पैदा होगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की स्थिति सुधर नहीं सकती। यह कुछ ऐसे सुझाव हैं, कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिनकी तरफ मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। ये सब जितने तथ्य और आंकड़े मैंने रखे उनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पिछले १३ साल के कांग्रेस के शासन के इतिहास में कुशासन, एक ऐसे शासन के रूप में देखा जायगा जो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को जो उसे प्रदेश की जनता के प्रति पूरी करनी थीं, पूरा करने में असफल रही है।

*श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट उपस्थित किया है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं विशेषकर एन० सी० सी० का विस्तार, पी० ए० सी० का स्थायीकरण और एक प्रारम्भिक सैनिक कालेज की स्थापना। निस्सन्देह आज हमारी सीमा पर इस तरीके की हालत हो गई है कि हमें बाहा खतरा उत्पन्न हो गया है और उसका उपचार करना है। किन्तु मैं एक अन्दरूनी खतरे की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अपने भाषण में, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन एक चलते तरीके से, एक अस्पष्ट रूप में उन्होंने जिक्र किया है कि हमें एक चैलेंज है जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं। श्रीमन्, मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी संस्कृति के फूल और हमारी नैतिक मान्यताओं की पत्तियां मुरझाती जाती हैं, वह निर्जीव हो गई हैं और उनमें एक खिजां का मौसम पैदा हो गया है। आज की, वर्तमान काल की आंधी में वह उड़ती चली जा रही हैं। इस तरीके की एक परिस्थिति आज श्रीमन्, पैदा है। बाहर जो खतरा है उसका तो मुझे विश्वास है कि हम उसका मुकाबिला कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वह बाहरी खतरा हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है किन्तु कभी कभी मुझे इस बात का सन्देह होता है कि यह नैतिक दीन अवस्था, नैतिक ह्रास हमारे समाज में अगर पैदा हुआ तो यह हमारे लिये खतरे की बात हो सकती है। श्रीमन्, मैं इस बात की चर्चा न करता यदि इसका कोई सम्बन्ध प्रशासन से न होता। मेरा खयाल है कि इस नैतिक स्तर की गिरावट का सम्बन्ध प्रशासन से है। आज मैं इस बात को कुछ लोगों से बात करते सुनता हूं, कुछ विभागों के अधिकारियों से बात भी की है कि ईमानदार व्यक्ति के लिये वहां बड़ा कठिन हो जाता है। अगर कोई ईमानदार आदमी साहसी नवयुवक पहुंच जाता है, तो उसको इस तरह की बात कही जाती है कि जिससे वह किसी तरह से सफल न हो सके। उसकी ईमानदारी और उसकी योग्यता वहां पर किसी काम की नहीं है।

आज प्रशासन में आमतौर पर मेरा खयाल है कि जातिवाद काम कर रहा है। इस तरह की बात पैदा हो गई है और लोगों की इस किस्म की धारणा हो गई है कि बिना सिफारिश के कोई काम नहीं हो सकता है। यह एक नैतिक ह्रास है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस बात का निवेदन करूंगा कि वह इस बात का उपचार सोचें और करें। यह जो श्रीमन्, बजट का साल है, यह बहुत महत्वपूर्ण साल है क्योंकि जहां तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है उसका यह अन्तिम वर्ष है। इसमें वह पुष्पित होगी और पल्लवित होगी। उसके ऊपर क्या फूल आये यह हमको देखने को मिलेगा। इससे भी महवपूर्ण बात यह है कि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का गर्भ वर्ष है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जन्म इसी साल में होने वाला है। इस बजट को देखने का जो मुझे थोड़ा बहुत समय मिला है मैंने उसको इसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। यह बात साफ है कि मैं पूरे तरीके से उसकी विवेचना नहीं कर सकूंगा लेकिन फिर भी उसी आशय से निवेदन करूंगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक सब से बड़ा उद्देश्य यह था कि आय में वृद्धि करके जीवन के स्तर को बढ़ायें। इस सम्बन्ध में काफी आंकड़े पेश किये जा चुके हैं। मेरे मित्र उपनेता विरोधी दल ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया है। माननीय सदस्यों में दीपंकर जी और पालीवाल जी ने और अन्य साथियों ने भी उसका जिक्र किया है। मैं उन आंकड़ों को लेकर सदन का समय लेना नहीं चाहता, किन्तु एक बात की ओर अवश्य मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जो हालत हुई है उसमें हमारे प्रदेश की आय बढ़ी नहीं है जब कि समस्त देश में पहली पंचवर्षीय योजना के परिणामस्वरूप ११ प्रतिशत आय बढ़ी है। श्रीमन्, १९४८-४९ में जब हमने आजादी प्राप्त की तो उस समय तमाम देश की औसत प्रति व्यक्ति आय २४६.९ रुपये थी और हमारे प्रदेश की आय २४१.८२ रुपये थी। बहुत थोड़ा अन्तर था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किन्तु सन् १९५६–५७ में तमाम देश में प्रति व्यक्ति आय २८४ हो गई जब कि हमारे प्रदेश में वह आय केवल २५८.४ हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि तमाम देश में पंचवर्षीय योजना के द्वारा प्रगति हुई, आय में वृद्धि हुई और तरक्की हुई किन्तु हमारे प्रदेश में उतनी तरक्की नहीं हुई जितनी कि देश के अन्य स्थानों पर हुई है। काफी कहा जा चुका है, मुझे उसकी तरफ कोई खास तवज्जह दिलाने की जरूरत नहीं है किन्तु एक बात मानता मैं हूं कि इस चीज में कुछ जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की भी है। प्रदेश की आय उस समय तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि यहां पर उद्योग स्थापित नहीं किये जायेंगे और मुझे यह महसूस होता है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस प्रदेश के प्रति उद्योगीकरण के लिये, उद्योग स्थापित करने के लिये वह व्यवहार नहीं हुआ जिसका होना आवश्यक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना बन रही है। मैं आशा करता हूं कि उसमें इस बात का काफी ध्यान रखा जायगा। वैसे भी यह बात आवश्यक है।

इस चीज को छोड़ कर श्रीमन्, अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आता हूं। एक मुख्य उद्देश्य हमारी योजना बनाने का यह भी था कि आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर हो। आर्थिक विषमता को देखने के लिये तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन दो तीन चीजें मेरे हाथ लग सकी हैं। पहली चीज तो सरकार की नीति है आर्थिक विषमता दूर करने के, उसके कर्मचारियों की क्या स्थिति है यह देखा जाय। श्रीमन्, तीन वर्ष १९५७, ५८ और ५९ के आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। १०० रुपये से कम के जितने नौकर सरकार के थे १९५६ में उनका प्रतिशत था ९४.४। १९५७ में उनका प्रतिशत हुआ ९४.१ और १९५८ में वह हो गया ९३.७। कोई खास घटोत्तरी इनमें नहीं हुई। नीचे वालों की तनख्वाह बढ़ा कर उनको ऊपर ज्यादा नहीं ले जाय गया। दूसरी ओर जो ५०० से अधिक पाने वाले कर्मचारी हैं उनका प्रतिशत बढ़ता गया है। ५०० से ७५० तक के जो लोग हैं उनमें १९५७–५८ में ११ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है, ७०० से १००० के जो लोग हैं उनमें १८ प्रतिशत और १००० से ऊपर के जो लोग हैं उनमें एक वर्ष में ८ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। यदि विषमता को दूर करना है तो ऊपर के लोगों का प्रतिशत कम करें और नीचे वालों का प्रतिशत कम करें, तभी वह बराबर आ सकते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों के विषय में हमारी नीति है।

तीसरे, श्रीमन्, ग्रामीण और नागरिक आय में अंतर है। माननीय पालीवाल जी ने कुछ आंकड़े दिये हैं। उनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं। सन् १९४८ में ग्रामीण और नागरिक आय का अनुपात था २ : ४, और अब वह बढ़ कर ४ : साढ़े तेरह हो गया है, यानी अंतर बढ़ा है सन् १९४८ के मुकाबले में।

इस के अतिरिक्त जो चीजें बिकती है मैंने उनके सूचकांक को देखने का भी प्रयत्न किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि नगर की कंज्यूमर्स गुड्स का सूचकांक, अगर सन् १९४८ को सौ मान लें तो सन् ५७ में ९५ था और फरवरी, १९५९ में वह १०३ हो गया। यानी केवल ८ फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है जब कि ग्रामीण वस्तुओं में अगर १९५४–५५ को सौ मान लें तो १९५७ में १४४ था और फरवरी में १६८ हो गया। २४ सूचकांक की बढ़ोत्तरी हुई ग्रामीण वस्तुओं में। इन बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि आर्थिक क्षेत्र में हम जिस विषमता को दूर करना चाहते थे वह लक्ष्य यही नहीं कि पूरा नहीं हुआ, बल्कि हम उससे पीछे गये हैं। मैं आशा करता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो बनेगी उसमें इस बात का ध्यान रखा जायगा।

श्रीमन्, अब मैं सामाजिक क्षेत्र की ओर आता हूं। हमारे समाज की कुछ कड़ियां ऐसी थीं कि जो काफी कमजोर थीं और हमने इस बात का निश्चय किया कि जो कमजोर कड़ियां हैं उनको हम सक्त बनायेंगे। उनकी अधिक सहायता करें। मैं विशेष कर ध्यान दिलाना चाहता हूं हरिजन वर्ग की ओर। श्रीमन्, प्रति वर्ष बजट में रुपया रखा जाता है और मैं उसका स्वागत करता हूं, किन्तु मुझे स्वयं का अनुभव है। हमारा एक भू-भाग है प्रदेश का—बुंदेलखंड—उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। वास्तव में वहां की यह हालत है कि यदि मैं स्वयं उसको न देखता और अनुभव न करता और मुझसे कोई कहता तो मैं उसका विश्वास नहीं करता। वहां पर हरिजन आतंकित हैं। स्वतंत्रता देवी का कभी उन्होंने दर्शन नहीं किया, उसके मंदिर

[श्री कैलाशप्रकाश]

में वह पहुंच नहीं सकते हैं। आज भी वह कर्ज में जकड़े हुए हैं। वहां पर समाज के लिये पंचायतों के पास भूमि पड़ी हुई है किन्तु वह हजिरनों को, वहां के खेतिहर मजदूरों को नहीं मिल सकती है। वहां के उद्योग-धंधों में उनका कोई हाथ नहीं हो सकता है। इस तरीके की परिस्थिति उस हिस्से में है और यह एक बड़ी सामाजिक विषमता है। मैं इस बात की आशा करता हूं कि आगे जो योजना बने उसमें इस तरीके की विषमताओं के हटाने की कोशिश की जाय। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनलाइसेंस्ड आर्म्स काफी तादाद में हैं और सब की जानकारी में हैं और कोई कार्यवाही उस सिलसिले में नहीं होती। गरीब आदमियों की, पिछड़े हुए लोगों को अनलाइसेंस्ड आर्म्स रख करके दबाया जाता है, आतंकित किया जाता है।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में विकेन्द्रीकरण का जिक्र किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि विकेन्द्रीकरण के नाम पर केन्द्रीयकरण होता जाता है। अभी इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी एक लाचारी प्रकट की बजट के सिलसिले में, कि हमको केन्द्र से चूंकि सहायता मिलती है केन्द्र से सम्बन्ध है इसलिये हम बजट को उस तरीके से नहीं उपस्थित कर सकते हैं, उस समय उपस्थित नहीं कर सकते हैं, उस समय उस पर विचार नहीं कर सकते हैं जब हम चाहते हैं, क्योंकि केन्द्र के हाथ में पैसा है, उस पैसे की तरफ हमको देखना पड़ता है। और चाहे प्रधान मंत्री जी भी कहते हों कि होना विकेन्द्रीकरण चाहिये, लेकिन नतीजा इन १० सालों का यह निकला है कि केन्द्रीकरण हुआ है।

श्रीमन्, जब प्रदेश और गांव का सम्बन्ध आता है तब भी मैं यही बात देखता हूं। गांव की वास्तविक परिस्थिति यह है कि उनके लिये आज कोई स्वतंत्रता प्रतीत नहीं होती। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि हम पंचायतों को कुछ अधिकार देने जा रहे हैं कि वह अपने काम, जो डेवलपमेंट के उनके यहां होंगे, वह उनके द्वारा करायें। यह एक एजेंसी का काम है। इससे पंचायतों को कोई स्वतंत्रता नहीं मिला करती है। और प्रदेशों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है, पंचायतों को विकास का पूरा अधिकार दिया गया है। हमारा प्रदेश इस बात में अग्रगामी था। मैं आवश्यक समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण हो और पंचायतों को अगर हम ग्राम में चाहते हैं कि उनकी एजेंसी होगी तो उनको रुपये से सहायता मिलनी चाहिये, तभी उनमें वास्तविक जन-सहयोग की भावना पैदा हो सकती है। श्री बलवन्त राय मेहता कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में विकेन्द्रीकरण का जिक्र किया है और जो हमारे यहां श्री गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जन-सहयोग प्राप्त नहीं है। मैं इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी आय का कुछ हिस्सा हमें पंचायतों को अनुदान के रूप में मिलना चाहिये जिससे कि वे अपना खर्च कर सकें और उसके ऊपर उन्हें पूरा नियन्त्रण हो। उस रुपये को वे जिस काम में भी खर्च करना उचित समझते हों उसमें वे खर्च कर सकें।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे यह भी महसूस होता है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ मजबूत होती चली जाती है। नियमों में चाहे पंचायतों को अधिकार हो लेकिन अधिकार उस पर सेक्रेटरियों को ही है। नियमों में चाहे अधिकार कोआपरेटिव सोसाइटियों को हो, किन्तु सुपरवाइजर को ही उस पर अधिकार है। इस तरीके से जन-सहयोग प्राप्त होना तथा वास्तविक रूप से कोई भी कार्य होना मुझे सम्भव प्रतीत नहीं होता है। श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया, ब्यूरोक्रेसी कुछ मजबूत होती जाती है और इस सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री नवल किशोर जी ने कुछ उदाहरण भी पेश किये। आज जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं उनका वह सम्मान नहीं है जो सम्मान उनका होना चाहिये। मैं मानता हूं कि प्रजातन्त्र के अन्दर जो एक्जीक्यूटिव होती है उसको अधिकार होंगे, उनको उसके अधिकार दिये जायं, किन्तु एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता का भी अपना एक स्थान है। उसको नीति निर्धारित करने का अधिकार है और कर्मचारियों को उसे पूरा करने का अधिकार है। लेकिन मैं देखता यह हूं कि यह चीज एक तरह से पूरी नहीं हो रही है।

जतनी भी कमेटियां हम जिलों में बनाते हैं और आज काफी कमेटियां बनी हुई हैं, उनमें अधिकांशतः के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय ही बना दिये जाते हैं। यहां तक कि अंतरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष भी कलेक्टर बने हुए हैं। मेयर हमारे यहां का प्रमुख व्यक्ति होता है किन्तु मेयर की स्थिति अपने नगर में वह नहीं है जो कि जिलाधीश की है। जिस तरह से किसी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को, चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो, कलेक्टर का उत्तरदायित्व नहीं दिया जा सकता है, उसी तरह से कलेक्टर को भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता का उत्तरदायित्व नहीं दिया जा सकता। उनके इस क्षेत्र का बंटवारा होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रजातंत्र की जो परम्परा है वह एक तरह से दूषित हो जायेगी और प्रजातंत्र को सुगमता से चलाने के लिये जिस तरह के बैलेंस और चेक की जरूरत होती है वह भी संभव नहीं होगा।

मुझे और भी निवेदन करना था किन्तु समय कम है, इसलिये मैं एक ही शब्द और कहना चाहता हूं और वह यह, जैसा कि मेरे मित्र माननीय नवल किशोर जी ने भी कहा है, हमारी जो प्लान्स होती हैं उनमें हमें अधिक सावधानी बरतनी चाहिये। मेरा यह निश्चित मत है कि जो भी हमारी प्लांस हों, चाहे भवन निर्माण के कार्य हों, या और इसी तरह की चीजें हों, उनमें हमें इस बात का दृष्टिकोण सदैव सामने रखना चाहिये कि हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है। हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थित क्या है। मैं तो इस राय का हूं कि कोई भी भवन जो ३० साल के लिये बनने वाला हो वह चाहे ५ ही साल के लिये क्यों न बने, लेकिन उसके बनाने में कास्ट हमारी आर्थिक इकोनामी के अनुसार ही होना चाहिये। ब्लाक डेवलपमेंट्स की जो इमारतें बनी हुई हैं उनमें और जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनके जो मकान बने हुये हैं उनमें कितना फर्क है और उनमें कितने सालों के बाद उन्नति करके फर्क दूर हो सकता है। हमें एक आदर्श स्थापित करना चाहिये और वह आदर्श ऐसा हो कि जिससे वह लोग भी जिनकी हम उन्नति करना चाहते हैं वे भी उसको फालो कर सकें।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, अन्य पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष १९६०-६१ का बजट उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उपस्थित किया गया है। क्या मैं इस बजट से पूछ सकता हूं कि क्या कभी इस बजट में गरीब किसानों की झोपड़ियों की तरफ दृष्टिपात किया है? क्या रोटी के अभाव में बिलखते हुए गरीब के बच्चों की तरफ भी कभी नजर करने का कष्ट किया है। कदापि नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। यह बजट पूंजीपतियों का बजट है, एकांगी बजट कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं समझता था कि १९६०-६१ के बजट पढ़ने से गरीब किसानों के लिये कोई नयी रोशनी, नयी प्रतिभा, कोई नयी आशा का संचार हो सकेगा, लेकिन बजट के मनन करने से सारी आशाओं पर पानी सा फिर गया है। क्या सोशलिस्टिक पैटर्न का नमूना यह है कि १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले लोग अब तक इस प्रदेश में पाये जाते हैं जो किसी भी समाजवादी देश के लिये, प्रदेश के लिये शोभा की चीज नहीं कही जा सकती है। मान्यवर, पूज्य बापू की अन्तरात्मा, प्रदेश और देश की जनता स्वराज्य की लड़ाई में लड़ी, उसके फलस्वरूप नामिनल स्वराज्य मिला। गरीबों और किसानों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ते समय बहुत वादे किये गये थे लेकिन हरगिज वे पूरे नहीं किये गये। मान्यवर, यह मालूम ही है कि आजादी की लड़ाई में हिन्दुस्तान के लोगों ने किस उत्साह के साथ, किस लगन के साथ और किस मुस्तैदी से त्याग किया उसको किसी भुक्तभोगी का हृदय ही जानता होगा, लेकिन आज देश में राजनीति के प्रति काफी उदासीनता दिखलाई देती है। कोई भी नवयुवक प्रसन्नचित्त राजनीति में आने से हिचकता है क्योंकि इनको काफी धोखा हो चुका है। वे देखते हैं कि हमारेसाथ बड़े बड़े वादे किये गये थे। लेकिन एक भी पूरे नहीं किये। देश की गरीब जनता के सामने यह कहा गया था कि स्वराज्य होने के बाद जमींदारी प्रथा तोड़ी जायगी और लगान आधी की जायगी। ठीक है, जमींदारी प्रथा तोड़ी गयी लेकिन हमारा लगान तो आधा नहीं हुआ लगान बढ़ा दिया गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारे भूतपूर्व जमींदार थे तो लगान के वसूल करने में काफी सहूलियतें थीं। जब गरीब किसान के घर में शादी विवाह या कोई गमी

[श्री यमुना सिंह]

पड़ती थी तो हमारे भूतपूर्व जमींदार लगान वसूल करने में काफी सहूलियतें देते थे, लेकिन आज देखने में आता है कि बड़े बड़े वादे के बाद आज हमारे दरवाजे पर चाहे मुरदा भले ही पड़ा रहे लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार के सिपाही किसान की कमर में रस्सी बांधकर मालगुजारी वसूल कर ही लेते हैं। लानत है। मालूम नहीं कि पूज्य बापू की आत्मा स्वर्ग में बैठी हुई अपने शिष्यों को कैसा आशीर्वाद देती होगी इसका फैसला देश की जनता ही करेगी। देश में आज भी एक तरफ कंगाली और दूसरी तरफ करोड़ पंथी का नग्न नृत्य हो रहा है जब कि सरकार यह कहती है कि हम जनता को समाजवादी ढर्रे की ओर ले जाना चाहते हैं। कहां गया वह बापू का रामराज्य का नक्शा? देखने में आता है एक तरफ भुखमरी है, भूख से लड़के बिलबिला रहे हैं और दूसरी तरफ कुत्तों को मलाई अच्छी नहीं लगती? एक टरफ टूटी सी झोपड़ी और दूसरी तरफ धवलधाम, ऊंची अट्टालिका जो गगन से बातें कर रही है! एक तरफ गवर्नर का महल जिसमें कि अखबार पढ़ने का घर अलग से, हजामत बनाने का घर अलग से, बात करने का घर अलग से, सोने का अलग से, बीबी से बात करने का घर अलग से और दूसरी तरफ किसानों की एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें कि बैल भी है, गाय भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है, चौका भी है, चूल्हा भी है, मां भी है, लड़का भी है, लड़की भी है. . .

श्री उपाध्यक्ष---और बहू भी है। (हंसी)

श्री यमुनासिंह---जी हां, सही है। तो जो आज देश में पूंजी का अन्तर चल रहा है उसे हिन्दुस्तान की जनता, इस प्रदेश की जनता उसको बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। आजादी की लड़ाई के बाद गरीब किसानों के साथ जो वादे किये गये थे उनके लिये आज क्या किया गया है? इसको जनता के साथ अगर कुठाराघात नहीं कहा जायगा तो क्या कहा जायगा?

मान्यवर, यह जरूर है कि हिन्दुस्तान में ८० या ८५ प्रतिशत जनता खेतिहर है जिसकी जीविका खेती पर ही मुनहसिर है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बड़ा सुन्दर राग अलापा है कि हम कृषि की उन्नति के लिये किसानों को कर्जा देते हैं। भला कहीं कीचड़ से कीचड़ साफ होता है? क्या कर्ज के देने से हिन्दुस्तान के किसान तरक्की कर सकते हैं? कभी नहीं, हरगिज नहीं। देखने में यह आता है कि किसानों को कर्ज दे देकर उनकी कमर सरकार टेढ़ी कर रही है। सरकार कर्जा देकर तरक्की करने जा रही है, कीचड़ से कीचड़ साफ करने जा रही है, लेकिन वह नहीं देखती है कि किसान जो कि जमीन को चीरकर और अपनी हड्डी गलाकर जमीन से काफी से काफी अन्न पैदा कर सकता है उस पिछड़ी हुई जाति के हरिजन के पास खेत तो हैं ही नहीं। सरकार का ध्यान इस ओर कभी नहीं गया है। जो गरीब किसान धूप और बरसात बरदाश्त करके अपने खेतों में काम कर सकता है उसकी भुजाओं में शक्ति है लेकिन उसके पास खेत नहीं हैं जिससे कि वह अन्न पैदा कर सके जिससे हमारी गरीबी दूर हो। इस तरफ माननीय मंत्री जी ने कभी ख्याल नहीं किया। माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि खाद के लिये विकास योजनाओं में हम काफी कर्ज देते हैं। ठीक है, परसाल गाजीपुर मरदह ब्लाक में ८० हजार रुपये की खाद बंटी, लेकिन दो महीने के बाद पत्थर पड़ गया। उसे बांटते समय तो यह कहा गया था कि तीन वर्ष के अन्दर यह ८० हजार रुपया वसूल करेंगे लेकिन जिस समय पत्थर मार गया तो एक महीने में सारा रुपया वसूल किया गया जिससे किसानों की कमर टेढ़ी हो गयी और मालूम नहीं कब तक टेढ़ी रहेगी, इसको परमात्मा ही जानता है। पूर्वी जिलों में यह कहा गया है कि तालाब खोदने का काम सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह हो सकता है कि यह स्कीम कागजों में हो लेकिन गांवों में तो कहीं दिखाई नहीं देती। देखने में आता है कि अब पोखरे कहीं भी काम के नहीं दिखाई दे रहे हैं। जमींदारी प्रथा टूटने से पहले कोई भी ऐसा गांव नहीं था

जहां २,४ या १०,२० अच्छे पोखरे न हों। सरकार कहती है कि पूर्वी जिलों के गांवों में उसने तालाबों की खुदाई का काम शुरू किया है, लेकिन हमें तो गांवों में उसका कहीं नाम निशान दिखाई नहीं देता।

वित्त मंत्री का कहना है कि कम्पोस्ट के गड्ढे खोदे गये हैं लेकिन वे सूख रहे हैं। उसमें मल-मूत्र का नाम नहीं है। मल-मूत्र आवे कहां से? गांवों में जानवर धीरे-धीरे घटते जा रहे हैं। न उनके चारे का कोई प्रबन्ध है और न पानी का। केवल गड्ढों से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार लाखों रुपया खाद के लिये देती है कि शोरा का खाद डाला जाय। लेकिन देखने में आ रहा है कि उससे हमारे खेत ऊसर होते जा रहे हैं। मरदह ब्लाक में, गाजीपुर जिले में ८०,००० रुपये का खाद बांटा गया। मैं कहता हूं कि ये ८०,००० रुपये बच सकते हैं। पहले गांवों में भेड़ों और गायों के ऐकड़ रहा करते थे और चरवाहे जिस किसान के खेत में उन्हें बैठा देते थे वह उन्हें कुछ थोड़ा सा रुपया और खाने को दे दिया करता था। इससे उनका जमीन उर्वरा रहा करती थी क्योंकि जानवरों का मल-मूत्र उसमें मिल जाता था। अगर १० रुपये प्रति मास भी उन चरवाहों को दे दिये जावें तो उससे कहीं अधिक लाभ होगा बमुकाबिले ८०,००० रुपये के खाद के।

विकास के काम पर हमारे ग्रामों में मक्खियां भिनभिना रही हैं। यह जरूर है कि विकास के काम में कुछ पढ़े-लिखे लोगों को नौकरियां मिल गई हैं। उसके सिवाय और कोई फायदा दिखाई नहीं देता है। गांव में खड़ंजा लगा देने से विकास नहीं हो सकता है। वहां यह देखना है कि हरिजन और पिछड़ी जाति के कितने लड़के लड़कियों को स्कूल भेजा गया। यह अमेरिका नहीं है कि गांव में खड़ंजे लगाये जावें। अगर हमारा किसान चारपाई से उतर कर खड़ंजे पर खड़ाऊं पहन कर चलेगा तो उसके जानवर दूध नहीं देंगे। जो धोती को टूंग कर कीचड़ में जाकर जानवर को चारा देगा वही किसान दूध पा सकता है।

सिंचाई का कुछ काम हुआ है लेकिन उतना ही हुआ है जितना कि गरम तवे पर पानी की बूंद। पूर्वी जिलों में रबी के इलाके में कुछ नलकूप अवश्य बनाये गये हैं लेकिन धान के एरिया में नहीं बनाये गये जहां कि दोहरी फसल हो सकती है। गाजीपुर जिले में चन्द्रप्रभा नहर की शाखा जमानिया तहसील में निकल रही है जो निरा व्यर्थ है। वह जमीन बलुवट है जहां केवल बाजरा होता है। उसके समतल न होने से वहां पानी नहीं जा सकता है। जमानिया की ब्लाक कमेटी से सरकार के पास प्रस्ताव भी आ चुका है कि उनको नहर की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट उसे देखे। हां, गाजीपुर में बहरियाबाद है, वहां जरूर नहर बनाई जा सकती है। पचोत्तर इलाका है जहां १४ आने धान की खेती होती है, वहां क्यों नहीं नहर बनाते हैं? और जहां कोई फायदा नहीं है, वहां दो एक आदमियों की लीडरी के लिये ऐसा किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि उस नहर को रोकने की कृपा करे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं पहले भी सदन के सामने २, ३ बार कह चुका हूं कि सदस्यों को १० मिनट और नेताओं को १५ मिनट मिलें। मेरा सुझाव नहीं माना गया। नेताओं के लिये ३० मिनट तो सदस्यों के लिये १५ मिनट काफी नहीं हैं। श्रीमन्, मैं केवल १५ मिनट बोला हूं, १५ मिनट मेरे बाकी रहे हैं क्योंकि मैं किसानों का नेता हूं। इसलिये मुझे वे १५ मिनट मिलने चाहिये। मेरे सुझाव पर वोट लिया जावे तो सब मेरे साथ रहेंगे और ८ आदमी भी ऐसे दुटप्पे नहीं निकलेंगे जो मेरे सुझाव के खिलाफ जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—पुजारी जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप कृपया बैठें। आप मुझे राय लेने दीजिये।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं सबके सामने कहता हूं। यह दुख की बात है .....

(इस समय माइक्रोफोन बन्द कर दिया गया मगर श्री टीकाराम पुजारी बोलते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष—पुजारी जी, आप मेरे बार बार मना करने पर भी अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप कृपया सदन छोड़कर चले जावें। (श्री टीकाराम पुजारी बोलते रहे। श्री उपाध्यक्ष ने मार्शल को पुकारा मगर वह नहीं थे।)

पुजारी जी, मैं आप से बार बार कह चुका हूं कि अब आपको आज की कार्यवाही में भाग लेने का हक नहीं है। आप कृपा करके इस सदन को छोड़ दें। मैं फिर आपको यह आज्ञा दे रहा हूं कि आप सदन छोड़ दें।

श्री टीकाराम पुजारी—मेरी उचित बात है। इसके ऊपर वोट लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं श्री भोलानाथ उपाध्याय (समिति अधिकारी) को आदेश देता हूं कि वे आपको बलपूर्वक सदन से बाहर निकाल दें।

श्री टीकाराम पुजारी—मेरे सुझाव को मान लिया जाय और मेरे प्रस्ताव पर वोट लिया जाय।

(श्री भोलानाथ उपाध्याय श्री टीकाराम पुजारी के पास गये और उन्होंने उनसे सदन छोड़ने की प्रार्थना की।)

श्री उपाध्यक्ष---आप सदन से बाहर चले जाइये, झगड़ा न कीजिये।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं किसानों द्वारा चुन कर आया हूं लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जाता है और डिक्टेटरशिप की जाती है। मैं तो चला ही जा रहा हूं।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन के बाहर चले गये।)

*नियोजन उप मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बजट पर भाषण का तीसरा दिन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग सदन में कृपया शांति रखें।

श्री सुल्तान आलम खां—आज इस बजट पर भाषण का तीसरा दिन है और सब तो नहीं लेकिन बहुत सी तकरीरें मुझे यहां सुनने का मौका मिला। मैंने बड़े गौर से वे तकरीरें सुनीं। मैं आशा यह कर रहा था कि आज की जो स्थिति है, खासतौर पर हमारी सीमाओं की, इस मौके पर हम सब लोग मिल कर सर जोड़ कर इस बात की कोशिश करके हम इस सूबे को ऊपर उठाने के लिये मुश्तरका तौर पर कोशिश करें। लेकिन मुझे पूरी तौर पर निराशा हुई जब मैंने इस किस्म की तकरीरें सुनीं जिन तकरीरों के जरिये अक्सर ऐसी बातें भी सुनने को मिलीं जिनको मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर पसन्द नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि यह कहना कहां तक सही होगा कि यहां ग्राम विकास के नाम पर ग्रामों में आज मक्खियां भिनभिना रही हैं और जो कुछ भी काम विकास के हुए हैं या जो खड़ंजे लगाये गये हैं वे सब बेकार हैं। बहरहाल जो कुछ समझ में आया उसको कहा गया। जो एतराजात हुए हैं वे सभी तीन किस्म के एतराजात हैं। एक तो बिलकुल जनरल किस्म का है, जैसा कि जनरल होता है। कई एतराज ऐसे भी हैं जो कि वजनदार हैं और सरकार अपनी जगह पर उन पर गौर करेगी। और बाज बाज ऐसे भी एतराजात आये जिनको सुनने के बाद मैं अपना माथा खुजलाने लगा और कम से कम मेरी समझ में नहीं आया कि ये तमाम चीजें कैसे मुमकिन हैं।

माननीय सदस्यों ने बजट के ऊपर यह एतराज किया कि बजट में बहुत शार्ट फाल्स होते हैं और जितना रुपया इसमें रखा जाता है वह सब का सब पूरी तौर पर खर्च नहीं होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका यह एतराज सही है । अभी दूसरे प्लान में भी कई ऐसे मौके आये कि जितना रुपया हम खर्च करना चाहते थे उतना नहीं खर्च कर सके। लेकिन अगर टारगेट के मुताबिक हम खर्च नहीं कर सके तो इसके माने यह तो नहीं होते कि चाहे हम उस काम को पूरा कर सकें या न कर सकें लेकिन हमें उस रुपये को जरूर खर्च करना ही चाहिये। जो रुपया हमारे पास आता है, वह गरीब जनता के पास से टैक्स के रूप में आता है और हम पर इस बात की जिम्मेदारी है और इस सदन के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जितना रुपया वह खर्च करे उसकी आखिरी पाई में भी बहुत किफायतशारी बरती जाय।

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के अन्दर बताया है हमारे हाथ बाज बाज चीजों में पाबन्द हैं और आम तौर से हमारा जो प्लानिंग का बजट है उसके अन्दर प्लानिंग कमीशन के मशविरे से, केंद्रीय सरकार के मशविरे से ही खर्च करना होता है क्योंकि रुपया उसके लिये वहीं से आता है। अगर हम ऐसा नहीं करते और उनकी बात का खयाल न करें तो हमको करीब करीब आधा या उससे कुछ ज्यादा खर्च करने को पैसा न मिले।

अभी यहां यह बहस हुई कि शनिवार को जो यहां छुट्टी दी जाती है वह छुट्टी बन्द कर दी गई, लेकिन इसके पहले ही बताया जा चुका है कि उसको बन्द करने का मतलब यही था कि किसी सूरत से बजट पास हो, क्योंकि वोट आन अकाउन्ट आता और उस के बाद बजट पास होता तो शायद शार्टफाल और ज्यादा होता। उसी को बचाने के लिये ऐसी कोशिश है कि हमारा हिसाब-किताब का तरीका ऐसा हो जिसमें हम इस रुपये का खर्च बजट पास होने के बाद अप्रैल से ही फौरन शुरू कर दें ताकि पूरा साल अपनी स्कीमों को पूरा करने के लिये मिल जाय। काफी खतोकिताबत के बाद केंद्रीय सरकार से यह तय हुआ कि वेज एन्ड मीन्स के तरीके पर हमें वह मन्थली इन्सटालमेंट दें ताकि हमारे पास एडवांस में रुपया रहे और उस के जरिये से हमारे काम चलते रहें। इस तरह से आइन्दा शार्टफाल्स में कमी होगी लेकिन यह ठीक है कि वह अभी हैं और रुपया कम खर्च हुआ। उस की बहुत सी वजह हैं। आप को मालूम होगा कि विदेशी मुद्रा या फारेन एक्सचेंज के मिलने में काफी दिक्कत होती है, टेक्निकल परसोनेल की भी कमी है और तमाम किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें भी हैं।

किसी बजट को देखने के लिये सिर्फ अचीवमेंट्स की तरफ ही ध्यान देना ज्यादा सही न होगा। हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि उन अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिये जो आनेस्ट अफर्ट की गई है वह कहां तक की गई है। अगर आनेस्ट अफर्ट की कमी रही और अचीवमेंट्स हासिल न हो सके तो सरकार की जिम्मेदारी आती है लेकिन पूरी आनेस्ट अफर्ट करने के बाद भी कुछ ऐसे असबाब सामने आयें कि जिन की वजह से अचीवमेंट हासिल न हो सके या शार्टफाल हों तो उसमें सरकार की गलती नहीं हो सकती। यह चीज किसी भी सरकार के जमाने में मुमकिन हो सकती है और खास तौर से उस जमाने में जब कि प्लांड इकानामी का जमाना हो और उस के मुताबिक काम करना हो तो किसी भी सरकार के सामने इस तरह की दिक्कत आ सकती है और उसे उनका सामना करना होगा। देखने की बात यह है कि जो बजट बना है उस के अन्दर इस बात की कोशिश है या नहीं कि इस सूबे का विकास और नियोजन किया जाय। वह इस में है। हां, इस को देखने से यह भी पता चलेगा कि ५५ करोड़ रुपया योजना के लिये रखा गया है और इस बात की भी कोशिश की गई है कि किन किन चीजों को प्रायरटी मिलनी चाहिये, और वह दी गई है। आप इस में देखेंगे कि बार्डर के विकास के संबंध में सरकार का काफी ध्यान गया है और वहां जो जरूरी चीजें करने को या बनने को थीं उन के ऊपर खर्च करने के लिये काफी रुपया रखा गया है।

इस बात को जानने की कोशिश भी जरूर माननीय सदस्यों को होगी कि ८ साल से, जब से हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम क्या कर सके हैं और क्या हमारी खामियां हैं और क्या हम करना चाहते हैं । यह सही है कि यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के पांचवें साल का बजट है और इस के खत्म होने के बाद हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ होगी और उस के बाद आखिरी ५ साल का इंतजाम हमें करना होगा ।

[श्री सुल्तान आलम खां]

आप जानते हैं कि यह नियोजन का जमाना है, प्लांड इकानामी का जमाना है, और जमाना इतनी तेजी के साथ बदलता जा रहा है कि बाज वक्त इंसान उसके साथ साथ कदम नहीं रख पाता, बाज वक्त उसके खयालात भी उस जमाने के साथ बराबर नहीं जा सकते। ऐसी सूरत में इस बात का इमकान है कि जाबजा प्लान में आपको तरमीमात करनी पड़ें। वह की गई हैं। नये नये रिसर्च होते हैं, नये नये एक्सपेरीमेंट होते हैं, उनके जरिये से हम नई चीजों को सीखते हैं। हमारा प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। हम मुख्तलिफ चीजों पर वहां रिसर्च करते हैं और जब कामयाबी हो जाती है तो उनको रेकमेंड करते हैं कि उन्हें इस्तेमाल में लाया जाय। यह भी देखने में आया कि किसी काम को हम सही समझ कर हाथ में लेते हैं लेकिन उसमें जरूरत पड़ जाती है तब्दीली करने की और तरमीम करनी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस जमाने में किसी चीज की इतनी इस्टैबिलिटी नहीं हो सकती कि उसको बदल न सकें, उसमें नई नई विचारधारा न आ सके या उसमें कोई नया परिवर्तन न किया जा सके। तो इस नुक्तेनजर से इस बजट को देखने की जरूरत है।

एक चीज और है। हमारा जो प्लानिंग का काम है वह हमारा सबसे बड़ा नैशनल काम है। हम इसे पार्टीबंदी से जरा ऊंचे उठ कर और व्यक्तिगत तौर से जरा ऊंचे उठकर देखने की कोशिश करें तो उस वक्त हम महसूस करेंगे कि वाकई इस आठ साल की मुद्दत में इस सूबे में बहुत कुछ हुआ है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभी बहुत कुछ करना है। जितना हुआ है उससे कहीं ज्यादा करना है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं वह तरीका सही है या नहीं। जैसा कि आपको याद होगा, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी एग्रीकल्चर के ऊपर काफी जोर दिया गया। लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी कोशिश की गई कि सूबे को इंडस्ट्रियेलाइज किया जाय। अभी एक दोस्त ने इस बात की शिकायत की कि सेन्टर से हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में उतनी हेल्प नहीं मिली जितनी जरूरत थी। मैं इस बात को मानता हूं कि यह बात एक बड़ी हद तक सही है, लेकिन एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में परिस्थितियों के मुताबिक जितनी कोशिश की गई है वह सही है या नहीं, यह हमें देखना है। अभी एक दोस्त ने बतलाया कि जो लोन्स दिये गये हैं वह बिग इंडस्ट्रीज को दिये गये हैं। उनके खयाल में लोन्स सिर्फ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को ही मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता कि अगर इस मुल्क को तरक्की देनी है और पूरी तौर से डेवलप करना है तो हम बिगइंडस्ट्रीज को किस तरह से भूल सकते हैं। खासकर प्लांड इकानामी के जमाने में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो हमें काटेज इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस किस्म का एतराज कुछ अपनी जगह पर वक्त नहीं रखता।

एक बुजुर्ग की मैंने यह भी तकरीर पढ़ी थी कि सरकार को तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए और कामर्शियल अंडरटेकिंग्स नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, हर शख्स चाहता है कि हमारे मुल्क के अंदर सोशलिस्ट पैटर्न की सोसायटी आनी चाहिए। चाहे आफीशियली किसी ने मंजूर किया हो या नहीं, लेकिन हर पार्टी का दावा रहा है कि ऊंच-नीच हमारे यहां से जाना चाहिए। सबको बराबर होना चाहिए। अगर सबको बराबर करना है, अगर हमें सोशलिस्ट पैटर्न की सोसायटी इस मुल्क में कायम करनी है तो उसके लिये हमको यह करना पड़ेगा कि जो चीजें सरकार जितनी सहूलियत के साथ अन्डरटेक कर सकती है कमर्शियलाइज करने की वह उसे करनी चाहिये, इसलिये कि उसका यह बुनियादी उसूल है कि दौलत चन्द आदमियों के हाथ में न रहे बल्कि आम जनता के हाथ में आये। यह सही है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का सवाल उठता है। लेकिन इसके लिये

केन्द्रीय सरकार की नीति बिल्कुल साफ है । उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास कर दिया है वह बिल्कुल साफ है । लेकिन उसके साथ साथ हम पब्लिक सैक्टर के अन्दर किसी शख्स को मजबूर नहीं कर सकते कि डेमोक्रेटिक सेट-अप में वह फलां किस्म की इंडस्ट्री चलाये । तो यह सरकार रफ्ता रफ्ता उन एसेन्शियल चीजों को, जिनको वह ज्यादा जरूरी समझती है अगर कमर्शियलाइज अन्डर टेकिंग के तौर पर ले ले तो क्या बेजा है ?

यह भी कहा जाता है कि जो अन्डरटेकिंग्स लिये गये हैं उनमें कोई मुनाफा नहीं है, सिवाय ट्रांसपोर्ट के । लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि हम कन्ट्री को रिकांस्ट्रक्ट कर रहे हैं । तो ऐसी सूरत में अगर हम चाहें कि एक दिन के अन्दर किसी अन्डरटेकिंग को लें और उसको तिजारती उसूल पर मुनाफा देना शुरू कर दें, यह चीज नामुमकिन है । कोई भी आप काम करें, चाहे ट्यूब-वेल बनायें, नहर बनायें, बिजली घर बनायें, आप चाहें कि पहले दिन से ही पूरा यूटीलाइजेशन होने लगे तो यह नामुमकिन है । उसके पोटेंशियल को पूरे तरीके से फैलाने के लिये समय लगेगा और जैसे जैसे समय बढ़ता जायगा उसमें तरक्की होगी । कोई भी आदमी या सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसके कामों में कमियां नहीं हैं । लेकिन उसके लिये कंस्ट्रक्टिव सुझाव आने चाहिये जिससे वह काम हो सके, तभी कमियां दूर की जा सकती हैं ।

अक्सर इस बात की भी शिकायत की गई कि प्रोडक्शन गिरता चला जा रहा है, अनइम्प्लायमेंट बढ़ता चला जा रहा है । क्या कभी इस बात पर भी गौर किया गया कि इसकी वजह क्या है । मेरे पास फ़िगर्स हैं लेकिन समय कम होने की वजह से नहीं दूंगा । लेकिन जो आपका बेसिक ईयर माना जाता है १९४८, उसके मुकाबले प्रोडक्शन बढ़ा है । प्रोडक्शन का इंडेक्स सन् १९४८ के मुकाबले पिछले साल १२५ हो गया और इस तरह से इम्प्लायमेंट भी बढ़ता जा रहा है और इम्प्लायमेंट ऐक्सचेंजेज ज्यादा काम कर रहे हैं । लेकिन मैं मानता हूं कि आबादी बढ़ने के कारण हर चीज उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है । अगर इस आबादी को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता । हो सकता है कि कल दूसरी गवर्नमेंट आये और आप इधर आयें, तो आपके सामने भी यही समस्या होगी । और इस समस्या को हल करना आसान काम नहीं है । अगर इसको नेशनल बेसिस पर टैकिल किया जाय तो इसमें कुछ कामयाबी हो सकती है । इन तमाम दिक्कतों को देख कर हमें निराश हो कर नहीं बैठना चाहिये । सरकार इस तरफ कदम उठा रही है ।

डिसेन्ट्रेलाइजेशन के बारे में आज कहा गया कि उसकी जरूरत है । कौन इसको नहीं मानता ? सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है । जहां तक फ़ाइनेंशियल डिसेन्ट्रेलाइजेशन का ताल्लुक था, गवर्नमेंट ने फायनेन्शियल डिसेंट्रलाइजेशन किया । हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स को बहुत सी पावर्स दी गयी हैं और उनको हर चीज के लिये गवर्नमेंट को खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती । जहां तक कम्युनिटी-डेवलपमेंट-प्रोजेक्ट प्रोग्राम का ताल्लुक है, उनमें डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है और इस बात का मौका दिया गया है कि वे अपना प्रोग्राम बनायें और उसे चलाने की कोशिश करें । यह सही है कि आन्ध्र व राजस्थान में पूरे तौर से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है, लेकिन बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी नहीं किया है । उनमें से यह भी एक स्टेट है । हम चाहते यह हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ चलें । जरा तेजी से कदम उठाने में कुछ खतरा भी होता है । हमारे दोस्त इस बात के लिये तैयार हो जाते हैं कि वे बड़ा कदम उठायें और आगे बढ़ें, लेकिन जो खतरा होता है उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर डालना चाहते हैं । इसलिये कदम उस तरफ बढ़ रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और मुस्तकिल तौर पर बढ़ रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब हम इस सूबे में पूरा डिसेंट्रलाइजेशन कर सकेंगे । लेकिन जिस स्थिति में प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसमें हर शख्स मदद कर सकता है, उसमें हर शख्स हिस्सा ले सकता है ।

आज यहां तक ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज का ताल्लुक है, अन्तरिम जिला परिषद् का ताल्लुक है, उसमें सब लोग मौजूद हैं । आपके प्लानिंग बोर्ड में सब लोग मौजूद

[श्री सुल्तान आलम खां]

हैं और अगर पूरा सहयोग उसके जरिये देने की कोशिश करें तो इस काम को कामयाबी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि हम अपना वक्त झगड़े और लड़ाई में सर्फ करें आज की स्थिति में इस बात की जरूरत है कि हम अपने मुल्क को ऊंचा उठायें। हम आज इस पोजीशन में नहीं हैं कि लड़ने झगड़ने में अपना वक्त जाया करें, बल्कि हमें चाहिये कि कांस्ट्रक्टिव चैनल्स में अपने वक्त को सर्फ करें, कोआपरेटिव बेसिस पर काम करें तो प्रदेश की तरक्की होगी। करप्शन का नाम इस बार कम लिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है तो इस प्रकार काम करने से उसके हटने में मदद मिलेगी।

एक बात भूलनी नहीं चाहिये। आज इस प्रदेश में १३३ करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ है और इसके अन्दर कोई टैक्स भी नहीं लगाया गया है और लोग यहां के जो टैक्स देते हैं उसी से काम चलता है। लोगों का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग, मैं इस बात को महसूस करता हूं, जरूर ऊंचा हुआ है। आज लोग देहातों में जायं और देखें, वहां वे वे चीजें पायेंगे जो १०-११ साल पहले नहीं मिलती थीं। मुझे याद है कि जब १५ साल पहले बंगाल में कहत पड़ा था तो ३० लाख आदमी मर गये थे। खुदा का शुक्र है कि डेढ़ सेर का गल्ला बिका और कोई स्टारवेशन डेथ नहीं हुई। बंगाल में जब कहद पड़ा था तो गल्ले का भाव ४ सेर तक आया था लेकिन बावजूद इसके ३० लाख आदमी मर गये। इससे जाहिर है कि हमारा स्टैंडर्ड आफ लिविंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ रहा है।

श्री भूप किशोर (जिला एटा)---श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो आपने बोलने की इजाजत दी और मेरे ऊपर जो अनुकम्पा की है उसके लिये मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं देखता हूं कि हर वक्त बजट बनाने में मजाक बनाया जाता है। वही पुरानी ढपली और वही पुराना राग अलापा जाता है। लाखों करोड़ों रुपये का बजट आता है लेकिन गरीब जनता का कोई लाभ नहीं होता है। बजट के द्वारा ८० करोड़ जनता पर कर लगा कर उसकी आंखों में एक तरफ धूल झोंकने का काम किया जाता है और दूसरी तरफ मिनिस्टरों के शहरों में सड़कें बनाने पर रुपया खर्च किया जाता है या उनके ऐशो-आराम में रुपया खर्च किया जाता है। यानी गरीब जनता भूखों मरती है लेकिन मिनिस्टरों के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं की जाती है। मैं देख रहा हूं कि स्वतंत्रता के बाद मिनिस्टरों के खर्चे बराबर बढ़ते गये। उन्होंने बापू जी की बातों को बिलकुल भुला दिया। पहले चन्द रुपयों में एक आदमी का गुजर होता था लेकिन आज का मिनिस्टर ६ हजार रुपये अपने ऊपर महीने में खर्च करवाता है। आज हाल यह है कि कहीं पिथौरा रोड बन रही है, कहीं बनारसी रोड बन रही है लेकिन सराय अगहत सखसा से जहां पर बुद्धजी का जन्म हुआ था वहां तक अलीगंज से जो सड़क बहुत जरूरी थी उसको आजतक मद्दे नजर नहीं रखा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पक्षपात होता है। मैं देखता हूं कि मिनिस्टरों को जिताने के लिये कोई काम बाकी नहीं रखा जाता है और विरोधी दल के एम० एल० एज० की बातों को कोई तरजीह नहीं दी जाती है। जो एम० एल० एज० कांग्रेस के टिकट पर चुन कर आये हैं उनके कहने पर ध्यान दिया जाता है और वहां थोड़ा बहुत काम करा दिया जाता है जिससे वे आगे जीत जायं। मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूं और सन् ६२ में यही बातें आपको ले डूबेंगी और विरोधी पक्ष में भी १०-५ आदमी आपके नहीं आ सकेंगे।

इस प्रदेश में ७८ फी सदी आबादी बैकवर्ड क्लासेज की है लेकिन नौकरियों में उनका प्रति शत केवल ५ ही है और सवर्ण, जिनकी आबादी केवल २२ परसेंट है, वे सेंट परसेंट नौकरियों में भरे हुये हैं। आखिर यह कहां का इन्साफ है कि ७८ परसेंट वाले तो केवल ५ पर सेंट पाये और २२ परसेंट वाले सेंट परसेंट छाये रहें? मैं देखता हूं कि स्वतंत्रता

प्राप्ति के बाद बराबर गरीबी बढ़ती गयी और इस सरकार ने जाति पांति को बहुत बढ़ावा दिया है। जितने बड़े बड़े उद्योग हैं वे सब सवर्णों पूंजीपतियों के हाथ में हैं। क्यों नहीं उनका राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे वे दूसरे लोगों के बराबर आवें और नीचे के लोग ऊपर उठ सकें ?

आज सरकार ने सरकारी मुलाजिमों को मनमानी करने की छूट दे दी है। सरकार का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं रह गया है जिससे दिन प्रति दिन उनमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। वे रिश्वतें ले कर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये धन इकट्ठा कर रहे हैं; और पुलिस डिपार्टमेंट ने तो अन्धा धुन्ध कर रखा है। उसमें वह करप्शन है जो आज तक सुनने में नहीं आया। आज थानेदार एस० पी० से एक पैक्ट करता है और उस पैक्ट के अनुसार २-३ सौ रुपये माहवार वह एस० पी० को देता है और फिर मनमाने तरीके से रुपया पैदा करता है, डकैतियां डलवाता है, लूट मार करवाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आंकड़े पुलिस की तरफ से दिये गये हैं ये बिलकुल गलत हैं। मेरी पर्सनल जानकारी है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है और दूसरे क्षेत्रों की भी मुझे जानकारी है कि डकैतियां पड़ जाती हैं मगर रिपोर्ट ३२३ की लिखी जाती है। भाले और बन्दूकें चलती हैं डकैती पड़ती है, मगर रिपोर्ट में लिखा जाता है कि घर पर चढ़ कर गोली से मार दिया। किसी ने आग लगा दी तो ३५८ में रिपोर्ट दर्ज कर दी। यह बेईमानी क्यों होती है ? उसके माने हैं कि सरकारी मुलाजमीन ने एक अपनी पार्टी सी बना ली है और वे सरकार को धोखा दे रहे हैं, सरकार के साथ गद्दारी कर रहे हैं।

अब मैं प्लानिंग के ऊपर आता हूं। इस विभाग में जो कुछ काम किया गया है वह सब खत्म हो गया। अगर कहीं कंकड़ डाला गया तो अब वहां गड्ढा हो गया है और कहीं खडन्जा बिछाया गया तो वह भी खत्म सा हो गया है। प्लानिंग विभाग में जो ए० डी० ओ० और ग्राम सेविकायें रख दी गयी हैं इन्होंने तो बी० डी० ओज० के ऊपर ऐसा रोब जमा रखा है कि वे उनसे काम नहीं ले सकते हैं। मेरे क्षेत्र में एक ए० डी० ओ० ने बी० डी० ओ० के खिलाफ यह दरख्वास्त दे दी कि वे मुझको बुलाते हैं। जब इसकी इनक्वायरी हुई तो बी० डी० ओ० ने पैर पकड़ लिये और कहा कि माफ करो। हम तुम से काम नहीं लेंगे। जब इन्क्वायरी हुई तो उन्होंने कह दिया कि यह दरख्वास्त ही मेरी लिखी हुई नहीं है। मैं पूछता हूं कि उसको क्यों नहीं डिस्मिस किया गया है। स्त्रियां रख कर प्लानिंग विभाग को बदनाम किया जाता है और काम भी नहीं हो रहा है।

अब मैं माल विभाग की दशा बताता हूं। माल विभाग में आजकल इतनी बेईमानी घुस गयी है जिससे किसान को सांस तक नहीं ले मिल रही है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एस० डी० एम० के पेशकार, हाकिम के आने से पहले कोर्ट में अपनी अपनी दूकान खोल देते हैं और थैलियों में रुपये भरते जाते हैं। फिर उसका बटवारा होता है। रुपये में दस आने तो एस० डी० एम० या तहसीलदार के होते हैं। छः आने पेशकार और चपरासी के होते हैं। मुकदमों की जब तारीख लगायी जाती है तो दोनों फरीकों से बीस बीस आने ले लिये जाते हैं। जब बन्दूक के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त जाती है तो तहसीलदार का पेशकार तहसीलदार से उस पर तभी लिखवाता है जब उसको कुछ मिल जाता है। इसी तरह से एस० डी० एम० का पेशकार पचास रुपये लेता है। तब कहीं दो-चार महीने घूमने के बाद उसको लाइसेंस दिये जानेकी मंजूरी होती है। यह न्याय है ? इस प्रकार जो बदमाश लोग हैं दे पैसा दे कर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं लेकिन भले आदमी, जो रिश्वत नहीं दे सकते उनको लाइसेंस नहीं मिलता। अमलदरामद के लिए जब कोई दरख्वास्त नायब तहसीलदार के पास जाती है तो जो पांच रुपया दे देता है उसका तो अमलदरामद हो जाता है और जो नहीं देता उसको उलझाये रहते हैं। इसी तरह से जो सबसे छोटा कर्मचारी माल विभाग में लेखपाल है, उसका कहना ही क्या ! वह तो उस क्षेत्र का गवर्नर है। S. D. M. और D. M. के दौरा होने पर अगर उसको दूध न दो, लकड़ी न दो, तो गलत इंदराज करके परेशान

[श्री भूप किशोर]

करता है और मुकदमे इतने लगा देता है कि जिन्दगी भर नहीं छूटते हैं। इस समय माल विभाग के माल मंत्री, ठाकुर हुकुम सिंह जी, मौजूद नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको बतलाता कि क्या हो रहा है। अगर कोई जमीन खरीद लेता है तो जब तक दस रुपये सैकड़ा लेखपाल को न दे तब तक अमलदरामद नहीं होगा। वह कब्जा दूसरे के नाम लिखा देगा। अब बताइये गरीब जनता कैसे रहेगी?

एक चीज और है। इन चीजों को रोकने के लिये ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं। सिंचाई, अमलदरामद, नीचे और ऊंचे दरजे की शिक्षा के लिए उनको अधिकार दिये जाने चाहिए। जो रिपोर्टें पुलिस में लिखी जाती हैं वे पहले गांव पंचायतों में लिखी जायं। इससे फिर बेईमानी नहीं हो सकती। मैं एक बड़े मजे की बात बतलाता हूं। अलीगंज में कुछ लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा ज्यादती की गयी। उनमें से एक माननीय मुख्य मंत्री को दरख्वास्त देने आये। मेरे सामने दरख्वास्त दी गयी और जब वह घर पर वापस गये तो जिस मुकदमे में थानेदार महोदय ने उनको झूठा फांस रखा था, जब वह अपने मुकदमे की तारीख करके लौटे, तो बस थाने के पास ही खड़ी होती है; और बस से उतरकर जब थाने के सामने से वह निकले तो क्या हुआ कि थानेदार महोदय ने एक कांस्टेबिल से पकड़वाकर उसे थाने में बन्द करवा दिया और उसका आर्म्स ऐक्ट में चालान कर दिया। उससे कहा कि मुख्य मन्त्री तो अब यहां हैं नहीं, यहां तो मेरी कलम है, अब मुख्य मन्त्री बचायें यहां आकर। तो मुख्य मन्त्री को दरख्वास्त देने पर, उस आदमी का चालान कर दिया गया। यह मनमाना अधिकार पुलिस को आपने दे रखा है। इस तरफ जरा आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उनकी ज्यादतियों को रोकने की कोशिश कीजिए नहीं तो गई सरकार यह। फिर लौटकर यह सरकार नहीं बनने की है। (व्यवधान) नहीं बैठ सकते। बैठ क्यों जायं? आप बैठे रहिए।

देहाती क्षेत्रों में गरीबी बराबर बढ़ती चली जा रही है, दिनोदिन भुखमरी का प्रकोप होता चला जा रहा है। सरकार ने जितने भी काम किये हैं वह सब शहरी जनता के लिए किये हैं। उद्योग-धन्धे जो खोले हैं वह भी सब शहरों में ही खोले हैं। कर्ज अगर दिया जाता है तो डालमिया और बिरला को और बड़े बड़े साहूकारों को दिया जाता है। देहात के किसानों को कर्ज नहीं दिया जाता है। किसान कर्ज लेने जाय भी तो उसको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कर्जा देने वाले लोग जो सरकार के अफसर हैं वे उनसे रिश्वत लेते हैं और यहां तक होता है कि जो कर्ज उसको मिलता है उसमें से ५० प्रतिशत निकल जाता है। कुछ पटवारी ले लेता है, कुछ कानूनगो ले लेता है, कुछ नायब तहसीलदार ले लेता है, तब उसकी हैसियत तस्दीक हो पाती है। इस तरह ब्याज से दुगनी तिगुनी रकम यों ही चली जाती है। इस पर भी वक्त पर रुपया उसे मिलता नहीं। अगर उसे बैल खरीदना है तो रुपया उसे मिलेगा कब? जब आषाढ़ की जुताई हो जायगी और क्वार बीत जायगा। आप उससे कहते हैं कि पैदावार बढ़ाओ, पैदावार बढ़ाओ। तो क्या पैदावार घर बैठे बढ़ जायगी? कुआं बनाने के लिए रुपया नहीं दिया जाता। जब मांगा जाता है तो कहीं एकाध जगह दे दिया। पानी देते नहीं और खाद दी जाती है। नतीजा यह होता है कि बिना पानी के खाद नुकसान कर जाती है। ट्यूबवेल में तो यहां तक है कि जब तक आपरेटर को रुपया न दो, वह पानी नहीं देता है। गरीब आदमी इतना परेशान होता है कि रुपया न होने की वजह से वह रिश्वत नहीं दे सकता है, और उसका खेत वैसे ही गैर भरा रह जाता है।

श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह बजट, जो उन्होंने पेश किया

है, बहुत ही उम्दा है। उन्होंने इसमें सब से पहली अच्छी बात जो की है वह यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। आप जानते हैं कि हमारे किसानों में और जनता में आमतौर पर यह शिकायत रहती है कि कोई न कोई नया टैक्स हर साल लगाया जाता है और जब इस साल यह एलान किया गया कि कोई नया टैक्स नहीं लगने जा रहा है तो उनको बहुत राहत हुई। हमारे किसानों के ऊपर तरह तरह के टैक्स लगते हैं चाहे वह सर्कमस्टांसेज़ ऐंड प्रापर्टी टैक्स हो, चाहे लगान हो, चाहे नहर का महसूल हो, चाहे इन्कम टैक्स हो, चाहे टौल टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, इतने टैक्स लगते हैं कि उसकी वजह से उनको बड़ी परेशानी होती है। लेकिन आज उन्हें यह जानकर कि उनके ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लग रहा है बड़ी खुशी हुई। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं और मैं इसलिये भी वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ नयी बातें भी इसमें की हैं। मसलन्, सेल्स टैक्स से कुछ चीजों को एग्ज़ैम्ट किया है और इसके अलावा उन्होंने जो फोर्थ क्लास के इम्प्लायीज़ हैं उनके भत्ते में भी कुछ बढ़ोत्तरी की है। यह क़दम जो उन्होंने उठाया है वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की तरफ एक कदम आगे ले जाता है। इससे गरीबों को काफी फायदा होगा ऐसा मेरा खयाल है। इसके लिये भी वह बधाई के पात्र हैं। वह इसलिये भी बधाई के पात्र हैं कि आज उन्होंने इंडो-तिब्बत बार्डर के मसले पर, जिस पर बहुत काफी विवाद हुआ है, उस तरफ भी खयाल किया है और काफी रुपया उसके लिये रखा है। वह इसलिये भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसानों के लिये कुछ फायदें की बातें इसमें कही हैं और साथ ही साथ नौजवानों को फौजी ट्रेनिंग दिलाने के लिये भी कुछ बातें इसमें रखी हैं; लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस बात पर ग़ौर करना पड़ेगा कि टक्स इतने ज्यादा न हों, थोड़े हों। वह ज्यादा से ज्यादा एक या दो हों। उसके लिये इस तरह से सोचा जाय कि जितनी आमदनी किसानों की होती है, जितनी आमदनी एक खानदान की होती है उसमें प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगाये जांय। यह बहुत बड़ा मसला है। मुझे उम्मीद है कि इस पर गौर किया जायगा और इसमें कुछ न कुछ जरूर होगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस बजट में कृषि पर जितना खर्च करना चाहिये उतना नहीं किया गया है। आज हम देखते हैं कि जब कभी पानी बहुत बरस गया या कभी बिलकुल नहीं बरसा तो इस वजह से नदियों में बाढ़ या वाटर लागिंग होता है और फसलें बहुत खराब होती हैं। सब लोग बो नहीं पाते हैं। लाखों और करोड़ों रुपये का नुकसान होता है लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। शायद इस तरफ भी ध्यान नहीं किया गया है कि अगर कहीं लड़ाई हो जाय तो हमको कितने बड़े जख़ीरे की जरूरत पड़ेगी। हमको चाहिये कि कृषि के सिलसिले में जितना रुपया खर्च करें उतना ही कम है। चाहे १० करोड़ रुपया इसमें लगा दिया जाय तो वह हमारे लिये कम ही है। आप जानते हैं कि अगर हम १० करोड़ रुपया किसानों के ऊपर लगा दें और यह इमारतें २, ४, ६ साल के लिये रोक दें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारी रोजी के सम्बन्ध में शिकायतें हमें एक दिन के लिये भी असह्य हो जाती हैं। इस वजह से यह रुपया अगर इस तरह लगाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरफ ज्यादा रुपया होता। हमें यह चाहिये था कि काश्तकारों में इस बात का एलान कर दिया जाय कि जो काश्तकार ३० मन या ४० मन या इस तरह से जो निर्धारित कर दिया जाय, या इससे ज्यादा फी बीघा पैदा करें तो उसका उस एक बीघे का लगान माफ कर दिया जायगा। उसके लिये नहर का लगान माफ कर दिया जायगा। हम यह भी एलान कर दें कि जो हरी खाद है उसको बांटी जायगी, कुयें की इमदाद उसको दी जायगी। जो सिंचाई के लिये कुयें होते हैं उनमें बहुत कमी होती है। उसके लिये तकावी पाने में लोग बड़ी तकलीफ उठाते हैं। उसके लिये उनमें होड़ नहीं होती है। मैं यह चाहता हूं कि कुयें के बनाने के सम्बन्ध में उनमें आपस में होड़ सी हो जाय। सिंचाई के लिये तो उनमें होड़ होती है। सरकार की तरफ से सिंचाई के लिये जो उनको सहायता दी जाती है वह इतनी अपर्याप्त है कि उससे वह अपना कुआं नहीं बना सकते। अगर सरकार इस तरह से एलान करेगी तो वह कुआं बना लेंगे और उनमें होड़-सी लग जायगी। मैं यह भी देखता हूं कि पानी पीने वाले कुयें के लिये अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है लेकिन जो सिंचाई के

[श्री हरकेश बहादुर]

कुयें होते हैं उस सम्बन्ध में कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। उसके लिये तकावी की बात होती है। मैं चाहता हूं कि उस तरफ ध्यान दिया जाय और उनको उसके लिये भी अनुदान दिया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हमारे काश्तकारों में होड़ लग जाय कि हमें उत्पादन करना है और सरकार उनके लिये जो भी मुमकिन मदद हो वह दे तो उम्मीद करता हूं कि इस सिलसिले में जो यह वर्षा का अभाव या वर्षा का ज्यादा होना है उसमें प्रकृति भी हमसे हार मान जायगी। हम इसके बावजूद भी काफी अनाज पैदा कर लेंगे। माननीय वित्त मंत्री ने बतलाया है कि हमारा ध्येय इस साल अनाज पैदा करने का करीब १८ लाख टन अधिक का है। जैसा कि आप जानते हैं,जो आंकड़ों सम्बन्धी बुलेटिन हमें मिला है उसमें बड़ी सुन्दर बात कही गयी है, इन आंकड़ों से हमको काफी ज्ञान मिलता है और हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रदेश की क्या हालत है। इससे हम जान सकते हैं कि १९५७-५८ में हमारे उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। उसके बाद वह १३१ के बजाय १३४ हो गया है १९५९ में। लेकिन इसमें टेबिल नम्बर ४ में क्या यह लाख टन है या मन है, समझ में नहीं आता। यह छोटी सी ग़लती रह गयी है। मैं महसूस करता हूं कि उत्पादन में काफी कमी है और इस सिलसिले में हमें बहुत कुछ करना है। हमको यह बताने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे देहात के रहने वालों की पर-कैपिटा आमदनी बहुत कम है। शहर वालों की आमदनी भले ही बढ़ी हो, देहात की नहीं बढ़ी। वह आज भी १९३.५ है और यह तो १८२.३ तक हो गयी थी। ऐसी हालत में हमें गौर करना है कि हमारी आमदनी कैसे बढ़े और इसके लिये मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि हम कृषि पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें और कोई तरीका नहीं हो सकता।

इसके साथ ही मैं अपने जिले की कुछ बात कहना चाहता हूं। कृषि के सिलसिले में मेरे जिले से ट्यूबवेलों की मांग की गयी। हमारे जिलाधीश ने, अंतरिम परिषद् ने और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने मांग की। लेकिन कहा जाता है कि वहां के पानी का स्ट्रेटा इतना नीचा है कि ट्यूबवेल नहीं बन सकते। वहां कुछ ट्यूब वेल काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी हालत में नये ट्यूब वेल्स के लिये यह दलील मेरी समझ में नहीं आती कि कहां तक ठीक है। इसके अलावा मेरे जिले में पच्चीसों मील का क्षेत्र ऐसा है कि जहां वाटर लांगिग हो जाता है और लाखों मन फसल बरबाद होती है। ४, ५ साल से उसकी स्कीम तैयार है, मंजूर हो चुकी है लेकिन अधूरी पड़ी हुई है। उस पानी का निकास किया जाय और उससे पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय।

कहा जाता है कि यह बैलेन्स्ड बजट है। मुझे इस बात पर शक होने लगता है। और वह इसलिये कि मेरे जिले की आबादी १२ लाख की है और कुल सूबे की आबादी ६ करोड़ की है और इस तरह से हमारा जिला कुल का १/५० होता है। उसका दो परसेंट हिस्सा होता है। इस २ परसेंट के लिये १३० करोड़ के बजट में मेरे जिले को क्या मिला जब मैं देखने लगा तो मुझे कोई खास चीज दिखाई नहीं पड़ी। यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे जिले में उद्योगों की बहुत कमी है। बड़ी इंडस्ट्री तो क्या कोई छोटी इंडस्ट्री भी वहां नहीं है जिससे लोगों की आमदनी बढ़ सके। हमारे यहां बांस होता है, सन और जूट होता है, तिलहन काफी तादाद में होता है और गन्ना भी पैदा होता है लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। हां, बगल में इलाहाबाद का जिला है वहां उद्योग हैं। हमारे जिले के लोग कहते हैं कि क्या बात है कि हमारे यहां यह चीजें नहीं मिलतीं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में एजूकेशन की हालत बहुत खराब है। एजूकेशन के बारे में अंतरिम जिला परिषद् की एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह कि कहते यह हैं कि ३५ या ४० लड़कों के क्लास पर एक अध्यापक। हो लेकिन हमारे यहां अंतरिम परिषद् के पास पैसा नहीं है और इसका नतीजा यह है कि ५० और ६० लड़कों पर एक मास्टर है। यह पढ़ाई का एक मखौल है, इससे कोई फायदा नहीं। आप समझ सकते हैं कि क्या एक अध्यापक ५० या ६० लड़कों की निगहबानी कर सकता है, उनके चाल-चलन को बना सकता है और उनको पढ़ा सकता है? कई मर्तबा कहा गया कि हमारे जिला बोर्ड, अंतरिम जिला परिषद्, को काफी रुपया दिया जाय और इस डेफिसिट को पूरा किया जाय लेकिन इस पर अभी तक कुछ नहीं किया गया। इस बजट में कोई प्रावीजन नहीं रखा गया।

मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि अस्पतालों के लिये कहा जाता है कि हर ५ मील पर एक अस्पताल बनाया जायगा और किसी आदमी को भी ५ मील से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जिले में एक ऐसी जगह है जहां पर सहूलियत देने के बजाय सहूलियत उठा ली गयी। एक रामगंज है तहसील पट्टी में। वहां पर एक डाक्टर था जिसको ५०० रुपया हर साल इमदाद दी जाती थी ताकि उससे लोगों को दवा दी जा सके। वह इमदाद बन्द कर दी गयी और नतीजा यह है कि वहां कोई अस्पताल न होने से लोगों को ८–८, ९–९ मील जाना पड़ता है, तकलीफ होती है बावजूद इसके कि वहां पर अंतरिम जिला परिषद् और डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी से यह प्रस्ताव हुआ कि वहां पर एक अस्पताल खोला जाय, लेकिन नहीं खोला गया, मैं इस बात को भी आपके समक्ष रखता हूं।

इन सब चीजों के साथ ही साथ मैं यह महसूस करता हूं कि जो हमारा बजट रखा गया है, जैसी परिस्थिति में रखा गया है, हमारी सेकेंड फाइव ईयर प्लान का यह लास्ट ईयर है और बहुत सी चीजें इसमें करनी हैं। जिन परिस्थितियों में यह बजट रखा गया है, निहायत उम्दा है और जितनी बातें की गयी हैं उनके लिए वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। जय हिन्द।

*श्री राम दीन (जिला मैनपुरी)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने इस बजट पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, मैं सोचता तो यह था कि इस बजट का समर्थन करूं, लेकिन अपनी छोटी बुद्धि से, जितनी मैं अपने में रखता हूं, जब इसको देखता हूं तो मालूम होता है कि हमारे देश में जो ८०–९० फीसदी गरीब हैं उनके लिए मैंने इसमें कोई चीज लिखी नहीं पायी, इसलिये मुझे इस बजट का अवश्य विरोध करना पड़ रहा है। इस १९६०–६१ में बजट में, श्रीमन्, प्रदेश के किसी भी जिले को जनता के लिये कोई ऐसी बात नहीं रखी गयी जिसमें उसकी तरक्की के लिए सोचा गया हो। मान्यवर, गरीब जायं कहां? किसान, मजदूर और जो निम्न स्तर के कर्मचारी विभाग में काम कर रहे हैं चपरासी, पंखा खींचने वाले और छोटे कर्मचारी, मास्टर वर्ग और पुलिस का कांस्टेबिल, जरा बताये यह सरकार कि इनके बारे में इस बजट में कौन से पन्ने में ऐसी चीज सोची गयी जिससे वह खाना खा सकें।

श्रीमन्, यह बड़े ही दुख की बात है कि जब हमारा देश आजाद है, जब हमारे देश के विधान में यह तय है कि हम गरीब और अमीर को देख कर बजट बनायें, हमारे गरीबों को भी रोटी मिले यह हमारे भारत के विधान ने तय कर दिया है, लेकिन फिर भी आज हमारी सरकार गरीबों की तरफ कतई ध्यान नहीं देती है। यह बड़े शर्म की बात है। जो सरकार गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देगी वह सरकार कदापि चल नहीं सकती, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।

श्रीमन्, अब मैं किसानों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में ८५ प्रतिशत किसान हैं। उन्होंने इस देश की आजादी के लिये अपनी सारी हस्ती मिटा दी। आज उन किसानों के साथ क्या हो रहा है? क्या सहूलियतें उनको दी जा रही हैं, यह मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। सन् १९४२ में देश की आजादी में हमारे किसानों ने जो कुछ किया उसका फायदा आज यह कांग्रेसी लोग उठा रहे हैं। उसका कुछ भी फायदा किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। उस समय यह कांग्रेसी कहा करते थे कि पानी पहाड़ों से आता है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। लेकिन जब देश आजाद हुआ, इन लोगों ने हुकूमत सम्भाली, तब उसी पानी पर चौगुना टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। आज तिगुना, चौगुना टैक्स उनसे वसूल किया जा रहा है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं और उसे सुन लिया जाय। श्रीमन्, उस किसान से जिसने अपना तन मन धन सब कुछ इस देश के लिये कुर्बान कर दिया उसी किसान के ऊपर कई प्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदीन]

के टैक्स लाद दिये गये । श्रीमन्, वह किसान गल्ला बेचने जाय तो टैक्स दे, अगर वह कोई चीज खरीदे तो टैक्स दे, अपने खाने के लिये यदि वह अपना ही गल्ला खरीदे तो टैक्स दे, यह बड़ी शर्म की बात है । इस सरकार के लिये और मैं क्या कहूं ?

श्रीमन्, जिस ढंग से यह बजट बनाया जाता है उसमें किसानों की भलाई की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । आज कितनी ही भूमि प्रदेश में ऐसी पड़ी हुई है जो भूमिहीनों को मिलनी चाहिये । लेकिन वह मिलती किसे है ? आज इसके आंकड़े माननीय मंत्री जी हर जगह से मंगाकर देखें । जमीन उन्हें दी जाती है जिनका अधिकारियों से कुछ संबंध है, जिनका एम० एल० ए० लोगों से कुछ सम्बन्ध है, जिनका मिनिस्टरों से कुछ सम्बन्ध है, उन लोगों को जमीन मिलती है । वह जमीन उन्हें दी जाती है जिनके पास दो, ढाई सौ बीघे जमीन मौजूद है ।

श्रीमन्, अब मैं थोड़ा सा हरिजनों के बारे में भी कहना चाहता हूं । यह ऐसा समाज है जिसे आज यह सारा देश भूला हुआ है और इसी की बदौलत यह सरकार आज गुलाब का फूल लगाये बैठी है । इसमें जरा भी कसर नहीं है और अगर कोई कमी हो तो जो माननीय सदस्य उधर से खड़े हों वह हमें सुधार दें । ८० फीसदी और ९० फीसदी के लिये तो १५,२० और २५ फीसदी खाना, मकान, वगैरह और १५ या २० फीसदी लोगों के लिये सारे देश की सम्पत्ति ! यह क्या लज्जा की बात नहीं है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि खाने वाले कम हैं और कमाने वाले ज्यादा हैं । अगर कमाने वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा तो सरकार की बुरी दशा हो जायगी । अब गरीब जनता भी उठने लगी है; वह भी समझती है कि उसे क्या करना है ।

हरिजनों के लिये मैं निवेदन करूं कि मैंने हर जगह देखा है, और कोई जिला नहीं है कि जहां पर भोजन, उठना, बैठना, बीमारी आदि यह फर्क न चलता हो और इधर हमारी सरकार २०,२५ हजार रुपया प्रति वर्ष उनपर खर्च करती है । अगर गत १० वर्षों के भीतर कोई काम उनके लिये हुआ हो तो हमें बताया जाय । जो कुछ होता है सिर्फ कागजों में होता है । कागज हमारे अधिकारी देखें, मिनिस्टर साहब देखें लेकिन जिले में जाइये और देखिये कि क्या होता है । मैंने पहले भी दावत दी थी कि १ घंटा, २ घंटा हमारे साथ कोई मिनिस्टर साहब चलें तो मैं दिखाऊं कि एक एक बात जो मैं कह रहा हूं वह कितनी सही है और अगर एक बात भी मेरी गलत निकाल दीजिये तो जो सजा आप हमें दें उसे हम मंजूर करने के लिये तैयार हैं । लेकिन यहां कागजों में बजट बनता है, कागज में खर्च हो गया और कागज में ही खत्म हो गया । कोई भी गलत बात इसमें हो तो हमें बतावें । मैं पूछना चाहता हूं कि ४ साल पहले इसी सरकार ने निश्चय किया था और एक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बिठाया गया था । क्या उस कमीशन की भाग दौड़ में पैसा खर्च नहीं हुआ ? तब, जो रिपोर्ट उस कमीशन ने दी वह अब तक क्यों नहीं लागू हुई, इसका जवाब दे यह सरकार । कोई माननीय मंत्री बतायें कि वह क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्रीमन्, चकबंदी हमारे प्रदेश में लागू की गयी है । हमारे जिले में भी लगाई गई । जहां बिलकुल ऊसर जमीन है, जहां कोई भी ऐसा खेत नहीं है जिसमें खेती हो सके, लेकिन आर्डर हो गया, चकबंदी होगी । सरकार के पास वहां के प्रधान ने लिखकर भेजा है कि हमें चकबंदी नहीं चाहिये लेकिन फिर भी वहां के अधिकारी चाहते हैं और चकबंदी हो रही है, चाहे वहां की जनता कहती ही रहे कि हमारे यहां से चकबंदी हटाकर दूसरी जगह ले जायी जाय । वहां की जनता की मांग है कि जहां से मिनिस्टर साहब चुनकर आये हैं वहां ले जाइये । श्रीमन्, छुआछूत जो है वह क्या बला है, हम नहीं समझ पाये आज तक । हमारे देश में जब तक यह छुआछूत रहेगी तब तक मैं चैलेंज करता हूं कि देश तरक्की नहीं कर पायेगा । मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार हो, यह लांछन केवल इस सरकार पर ही नहीं है, वह अगर छुआछूत को नहीं मिटायेगी तो वह तरक्की नहीं कर सकती । श्रीमन्, जब तक हममें एक जगह प्रेम से बैठने की शक्ति नहीं होगी तब तक तरक्की नहीं हो सकती । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार

इस छुआछूत, उठने–बैठने की तरफ ध्यान दे और यह केवल कागजों में देखने से ही नहीं होगा। श्रीमन्, देहातों में कष्ट करके घूमा जाय तब पता चलेगा कि यह बात सोलह आने बदस्तूर है। श्रीमन्, सरकार हरिजनों को अनुदान देती है, मैं इस अनुदान के विरुद्ध हूं क्योंकि जो रुपया दिया जाता है उसका एक-चौथाई वहां पहुंचता है। इसके स्थान पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक दो लाख रुपया, जो वह प्रति जिला प्रति वर्ष अनुदान देती है और इसी तरह से जो एक दो लाख रुपया हर जिले में तकावी वगैरह का देती है, इन दोनों को मिलाकर तीन चार लाख रुपये से जिलों में एक कारखाना खोल दिया जाय जिनमें गरीब हरिजनों को रखा जाय जो कि आज रोटी के लिये बहुत परेशान हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव पर उचित ध्यान देगी और यह चीज सरकार के हित में भी है।

इसके अलावा, श्रीमन्, सरकार ने जो नशा निषेध की बला फैलाई है वह मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि जहां भलेमानुस रहते हैं वहां पर नशा निषेध किया गया है, लेकिन लखनऊ में क्यों नहीं इसको लागू किया गया। लखनऊ, नैनीताल, देहली वगैरह में, श्रीमन्, भले आदमी ही रहते हैं, मैं कुछ और अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, वहां पर सरकार नशा निषेध करने का निर्णय क्यों नहीं लेती है? श्रीमन्, मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जिस चीज को हम करते हैं उसके लिये किसी दूसरे को रोकने का हमें कोई हक नहीं है। इसलिये सरकार को पहले लखनऊ में नशाबन्दी करनी चाहिये तब कहीं दूसरी जगह के लिये सोचे।

इसके अलावा, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि ९० फीसदी जो गरीब हैं जो पैसा कमाते हैं उनसे सरकार जो टैक्स लेती है वह बड़े बड़े बांधों और लखनऊ जैसे शहरों की सड़कों पर खर्च किया जाता है। अगर हम असेम्बली में आ गये, मिनिस्टर हो गये तो बढ़िया से बढ़िया कार खरीद लो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब जनता जिसकी गाढ़ी कमाई का पैसा है उसको क्या मिलता है। कुछ नहीं। मिलता है टाटा जैसे बड़े बड़े सेठ लोगों को। जितना भी गरीब जनता की कमाई का पैसा होता है वह सब पूंजीपतियों के पास चला जाता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है वह इसका कारण बताये। श्रीमन्, मेरी बात अधूरी रह गयी इसलिय मुझे कुछ समय और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप कृपा करके बैठें, आपका समय समाप्त हो गया।

***कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष का बजट है। मान्यवर, इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश की सीमा पर खतरा पैदा हो गया है। यह सत्य ह। वास्तव में आज हमारा देश और प्रदेश बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जनता अपनी जिम्मेदारियों और कर्त्तव्यों के प्रति सचेत रहे और सरकार के सभी प्रयत्नों और योजनाओं को सफल बनाने के लिये पूर्ण प्रयत्न करे। परन्तु इसमें संकट भावात्मक है। मान्यवर, आज जनतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति जनता की आस्था कम होती चली जा रही है और उन मूल आधारों के लिये भी चुनौती दी जाने लगी है। मान्यवर, राज्य एक सावरेन संस्था है और अगर सरकार चाहती है कि जनता उसके प्रयत्नों और उसकी योजनाओं को सफल बनावे, उसकी आज्ञाओं का पूर्णतया पालन करे तो सरकार भी जनतंत्र के प्राणों की सुरक्षा करे। जनतंत्र के तीन मूलाधारों को पूर्णतः सुरक्षा करे। जनतंत्र के वे तीन मूल आधार क्या हैं—प्रथम दो को तो मैं जनतंत्र का लंग्स कहूंगी, अर्थात् फुफ्फुस व फेफड़ा और तीसरे को जनतंत्र का हृदय कहूंगी। श्रीमन्, उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था करना तो नं० १ है और दूसरा नम्बर है बहुत बड़े पैमाने पर शासित की इच्छा पूर्ति और तीसरा नम्बर है शासन यंत्र की ऐसी व्यवस्था जिससे जनता स्वतंत्रता पूर्वक शांतिपूर्वक अपने शासन में बोल सके, अपना मत प्रदान कर सके।

मान्यवर, मैं इस ९ वर्ष के दर्मियान अपनी सरकार को इन तीन जनतंत्र के मूलाधा ों के पालन करने में सर्वथा असमर्थ पाती हूं, ऐसा मैं कहने के लिये विवश हूं। मान्यवर, एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री,]

उदाहरण है इन तीन मूलाधारों के पालन करने का जिसे सफलता कहा जाता है। केरल में कम्युनिस्ट सरकार से वहां की जनता ने विद्रोह किया। चूंकि सेंटर में कांग्रेस सरकार थी इसलिये जनता का वर्डिक्ट मांगा गया और जनता का निर्णय हुआ। शांतिपूर्वक हुआ, सुरक्षापूर्वक हुआ और स्वतंत्रतापूर्वक हुआ और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ हुआ, यह सत्य है। परन्तु चाहे वह जनरल एलेक्शन हो, जिला परिषद् का चुनाव हो, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, चाहे पार्टियों का चुनाव हो, उन सब में शासन को बीच में नहीं आना चाहिये और मतदाता को पूर्ण अधिकार देना चाहिये कि वह सुरक्षापूर्वक और स्वतंत्रतापूर्वक मत देवे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अपने अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहती हूं कि किस प्रकार से बल और शक्ति का प्रयोग यहां हुआ है। गत सितम्बर से प्रदेश में कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने जा रहे थे, उनमें हर मतदाता को स्वतंत्रतापूर्वक मत देने का अधिकार होना चाहिये था...

श्री उपाध्यक्ष---कांग्रेस के चुनावों से सरकार का क्या मतलब है ?

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---जहां तक मतदाता की स्वतंत्रता की बात है, चाहे कोई भी चुनाव हों उन के बीच में सरकार को नहीं आना चाहिये। किस तरह से सरकार के द्वारा हस्तक्षेप होता है यह मुझे कहना है। कोई भी सरकार हो उसे चुनावों के बीच में आकर मतदाता पर प्रभाव नहीं डालना चाहिये। यही मेरा लक्ष्य है। मैं भी बुलन्दशहर के जिले से प्रतिनिधि बनने के लिये उम्मीदवार थी। किसी के कहे हुये शब्दों का अनुकरण करना कोई भी दोष नहीं माना गया है और उसी तरह से राजनीति की बात है ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। मेरे उसी क्षेत्र में एक आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट भी थे। वह माननीय मुख्य मंत्री के पास आये ऐसा उन्हीं के शब्दों में कहा जाता है और उन्होंने शोर किया तमाम हल्के में कि मुझ आनरेरी मजिस्ट्रट बनाया जायगा और मेरे भाई को सन् ६२ में एम०एल०ए० बनाया जायगा। मैं यह सिद्ध करना चाहती हूं कि इसमें सरकार कहां आती है, उन आनरेरी मैजिस्ट्रेट ने हूबहू इन्हीं शब्दों में प्रचार किया। मैंने उसके खंडन के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा, संबंधित मंत्रियों को लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी जो खुला प्रचार सरकारी अधिकारियों की तरफ से हुआ, विलेज लेविल वर्कर, ए०डी०ओ०, बी०डी०ओ० और तहसीलदार सब ने खुलकर मुखालिफत की और जो अत्याचारों की परम्परा जारी हुई उस को कहने में मुझे खेद है और लज्जा और तकलीफ दोनों मुझे होती हैं। मेरे ऊपर ३ बार हमला हुआ, मैंने उसकी रिपोर्ट भी (हंसी)...हंसी का विषय नहीं है, शासक दल को हंसी आये लेकिन मुझे तो शर्म आती है कहने में। उसके बाद मेरे चुनाव के २ दिन पहले आग लगाई गई, २ गाड़ियों पर हमला किया गया, स्पेशल मैजिस्ट्रेट मेरे ४-५ मुस्तैद कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक पकड़ कर ले गये। मैंने इस बात की सूचना भी माननीय मुख्य मंत्री जी को तार द्वारा दी और सुरक्षा मंत्री जी को भी दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें पुरस्कार क्या मिला कि वह स्पेशल बेंच मैजिस्ट्रेट से स्पेशल मैजिस्ट्रेट बन गये। । श्रीमन्, इस तरह से टैक्स पेयर के पैसे से ४ मास में मेरे जिले में कम से कम २०-२५ बार उसी क्षेत्र के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब का दौरा हुआ और सरकारी जीप, कार और पेट्रोल बराबर पिक-अप में इस्तेमाल हुआ और मेरे खिलाफ प्रचार हुआ। सभी कमेटियों में आर०टी०ए० सब-इंस्पेक्टर वगैरा दलगत आदमी रखे गये।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---प्वाइंट आफ आर्डर, यह बजट की तकरीर हो रही है। इसमें क्या व्यक्तिगत बातें उठाई जा सकती हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय दीनदयालु जी, कौन सी व्यक्तिगत बात की चर्चा उन्होंने की, यह बतलावें।

श्री दीनदयालु शर्मा---कांग्रेस का एलेक्शन बजट से कोई ताल्लुक नहीं रखता और व्यक्तिगत बातें नहीं आनी चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष—मिनिस्टरों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज पर यह चार्ज है कि सरकारी कारें इस्तेमाल करके और सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करके कांग्रेस के एलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। अगर यह बात गलत है तो आप खंडन कीजिये। मैं उनको रोक नहीं सकता।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि शिक्षा मंत्री जी की स्पीच छपी हो, उठाकर उसे पढ़ लीजिये, समाधान हो जायगा। यही दशा करीब-करीब और जिलों में है जहां तक मुझे पता है। मुझे आशंका है कि सन् ६२ में विरोधी पक्ष के सदस्यों को स्वतंत्र और सुरक्षित मौका मिलेगा और सरकार के अन्दर जो मतभेद रखने वाले लोग हैं, स्वतंत्रता जिनका जनतंत्र में जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको वह अधिकार मिलेगा। मान्यवर, इस तरह का जो रवैया है अगर इसके लिये कोई कदम नहीं उठाया गया और सरकार तथा माननीय नेता सदन ने सकी ओर ध्यान नहीं दिया तो जनतंत्र के लिये बड़ा भारी खतरा है। माननीय मुख्य मंत्री जो समाजवाद के गुरू हैं और हमारे भी गुरु हैं, मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है। वह उपस्थित नहीं हैं। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन कर रही हूं क्योंकि वह समाजवाद के गुरु हैं और छः करोड़ जनता के पिता हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने २३३ लाख का घाटा बजट में बताया है। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, दो मिनट का समय मुझे और दे दिया जाय। ४ अरब ८९ करोड़ से बढ़कर ५ अरब १६ करोड़ रुपया प्रदेश पर ऋण हो गया। १५ करोड़ ब्याज का देना पड़ेगा। हमारी बहुत बड़ी पूंजी का भाग इस वक्त अनुत्पादक कार्यों में लग रहा है। सरकारी विभागों ने जो कार्य अपने हाथ में लिये हैं उनको चलाने के लिये सन् १९६१–६२ में १४० करोड़ रुपये की धनराशि राजस्व से लेने की आवश्यकता हुई और ७०० करोड़ तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये करना होगा। साधारण तथा योजना का व्यय सन् १९६१–६२ में ढाई अरब होगा और सरकार धन्यवाद की पात्र है कि नये कर नहीं लगाये जा रहे हैं। श्रीमन्, दोनों योजनाओं के द्वारा पब्लिक सेक्टर में राज्य की आय संतोषजनक रूप से नहीं बढ़ी है।

सन् १९५८ में कारखानों में २ लाख ८२ हजार आदमी काम करते थे। १९५९–६० में २ लाख ३६ हजार रह गये। ३०० आदमी के पीछे एक आदमी काम करता है। गत १० वर्ष में १ करोड़ आबादी बढ़ी। ८ लाख व्यक्ति रोजगार पाने वाले प्रतिवर्ष हमारे यहां हो जाते हैं। उत्पादन को देखिये। एलकोहल, रेक्टीफाइड स्प्रिट, पोर्टेबिल स्प्रिट २५ लाख गैलन कम हो गई। जूट २ हजार टन कम हो गया। बनस्पति तेल २ हजार टन कम हुआ, सीमेन्ट १ हजार टन कम हुई, कार्डबोर्ड कागज १३ हजार टन कम हुआ और कपड़ा ८ करोड़ गज कम हुआ। दालों में ३ लाख टन की कमी हुई और चीनी में २ लाख टन की। जिसके माने हुये कि २२ करोड़ रुपये की क्षति किसानों को हुई और इस साल भी अनुमान किया जाता है कि गन्ने में कमी हुई, जिसके कारण ३० करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान है।

मान्यवर, बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन किसानों की सिंचाई के लिये उसके वितरण को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। साथ ही औद्योगिक चीजों और कृषि की चीजों की दरों में भारी अन्तर है।

अब जरा अन्न उत्पादन के आंकड़े देखे जायं। १९५०–५१ में १०७ लाख ६९ हजार टन अन्न का उत्पादन था। १९५१–५६ तक अन्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया ९ लाख ८३ हजार टन। १९५४–५५ में १२४ लाख ५० हजार टन उत्पादन बढ़ा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा २० लाख टन जो मिला कर १४४ लाख ५० हजार टन हो गया। लेकिन वास्तविक स्थिति में बताना चाहती हूं कि १९५६–५७ में अन्न का उत्पादन १०७ लाख टन रह गया यानी १९५१ से भी ६९ हजार टन कम हो गया। इस वक्त ११३ लाख ६० हजार टन कम अन्न का उत्पादन है।

श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—मान्यवर, आपकी आज्ञा से सन् १९६०-६१ के बजट के ऊपर कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। यों तो सरकार चलाने के लिये पैसे की आवश्यकता होती है और मैं बजट के सिलसिले में कुछ इसकी पृष्ठभूमि पर अपनी नजर डालना चाहता हूं। १९४७ में जब हम आजाद हुये उस समय हमारा बजट २१,२२ करोड़ का होता था जो १२ साल बाद बढ़कर १३३ करोड़ हो गया। जो पैसा सरकार जनता के ऊपर खर्च करती है उसका कैसे दुरुपयोग होता है, अपव्यय होता है उसको ध्यान में रख कर मजबूर होना पड़ता है कि सरकार की बजट नीति की आलोचना की जाय।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, किसी भी परिवार में उसके भरण-पोषण के लिये नियोजन की आवश्यकता होती है। परिवार नियोजक भी अपने परिवार के सारे काम-काज चलाने के लिये एक योजना बनाता है और उसी हिसाब से पैसा खर्च करता है। इसी तरह से राज्य नियोजन के आधार पर हमारे प्रदेश में जो १२ साल में बजट २२ करोड़ से बढ़ कर १३३ करोड़ हो गया और जिसके ऊपर तथा जिसके सुख और आराम के लिये यह रुपया खर्च किया गया उसके सुख और आराम में कितनी वृद्धि हुई है यह भी हमें देखना है। क्योंकि यह सब पैसा जनता की गाढ़ी कमाई से, विभिन्न साधन जैसे जुर्माना, आबपाशी, लगान, अल्प बचत योजना, अन्य कर कृषि कर, बिक्री कर तथा पंचायत कर के रूप में लिया जाता है। तो हम अपने बजट को तीन व्यापक पहलुओं में बांट सकते हैं। १—कुछ पैसा प्रशासन के ऊपर व्यय होता है, २—कुछ पैसा सामुदायिक विकास में खर्च होता है, तथा ३—अन्य निर्माण-कार्यों पर खर्च होता है। हम जानना चाहते हैं कि वह पैसा जो जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई का करों के द्वारा सरकार वसूल करती है और एक योजना बनाती है, देश को उठाने के लिये स्कीम लाग् करती है, उन स्कीमों से देश और समाज को कितना फायदा होता है? इस सिलसिले में मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि हमारा बजट जो १३३ करोड़ का बना है इससे आज जनता को क्या लाभ हुआ। मैं तो यह अनुभव करता हूं कि सन् १९४७ से अब तक जो समय बीता है, इस बीते हुये समय में जनता के लिये सरकार ने जो कुछ किया है उससे जनता ने यही अनुभव किया है कि जैसा विश्वास जनता का आजादी लेने के समय पर सरकार के ऊपर था वैसा इस समय नहीं है। जनता को पूर्ण अविश्वास हो गया है सरकार पर और साथ ही साथ जनता का असहयोग भी सरकार के साथ है। ऐसा इसलिये है कि गरीब जनता का पैसा—मेहनत, मशक्कत और मुसीबत से कमाया हुआ पैसा—जब सरकार ठीक तरीके से खर्च नहीं कर पाती है तो उस पर जनता को बड़ी निराशा होती है और जब जनता के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि सरकार ने ये वायदे किये थे और १२ वर्ष होने पर भी देश में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ तब जनता के सामने निराशा होना स्वाभाविक है। मैं तो यही समझता हूं कि सरकार की जो बजट की नीति है, उससे गरीबी, नौकरशाही, अनैतिकता और राष्ट्रद्रोही तत्वों को पनपने के लिये ज्यादा स्थान मिला है। ऐसी स्थिति में जबकि १२ वर्ष में देश के विकास के लिये यह बजट बढ़ते बढ़ते अरबों के ऊपर पहुंच गया है देश के गरीब किसान की हालत वहीं पर पड़ी हुई है, बल्कि उससे भी ज्यादा खराब हुई है जितनी की आजादी के पहले थी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता के दिल व दिमाग में आजादी से पहले जो गलत भावनायें थीं आज उनको सरकार दूर नहीं कर पाई है और वह भय अभी दूर नहीं हुआ है। मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि १२ वर्ष में लगातार जो परिणाम सरकार के विकास के सिलसिले में हुये हैं वे हर पहलू से नाकामयाब रहे हैं। तो इससे जनता ने यही अर्थ निकाला कि इस सरकार से हमारा फायदा होने वाला नहीं है।

नियोजन के सिलसिले में मैं यह बतलाऊं कि जो पैसा जिस काम के लिये तय होता है उतना पैसा उस कार्य में खर्च नहीं हो पाता है। इससे नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है। पैसा जिस कार्य के लिये जितना रखा जाता है पूरा-पूरा उस कार्य में खर्च नहीं हो पाता है। जो सरकार की मशीनरी है उसमें उसका दुरुपयोग होता है और बीच के लोग भी उसको हड़प कर जाया

करते हैं। मेरा तो ऐसा खयाल है कि शायद चौथाई हिस्सा देश और प्रदेश के हित के लिये खर्च होता होगा तब भी मैं समझता हूं गनीमत है। मुश्किल से १/४ हिस्सा समाज पर व्यय होता होगा। बाकी ३/४ हिस्से का दुरुपयोग और अपव्यय हो रहा है।

पुलिस विभाग के बारे में भी मैं कुछ निवेदन कर दूं। यह जनप्रिय सरकार है। जिस कांग्रेस सरकार के जिम्मेदार नेताओं ने आजादी से पहले इसी पुलिस के कारण कितनी मुसीबतें व कठिनाइयां उठाई थीं और शायद उसी पुलिस को हटाने की बात कांग्रेस सोचती थी आज वही पुलिस प्रदेश की जनता पर कितने अत्याचार कर रही है। आज वही पुलिस विद्यार्थियों पर गोली चलाती है, मजदूर अपनी मांग रखता है तो उस पर गोली चलाती है, किसान यूनियनों पर पुलिस लाठी चार्ज करती है। बेकारी के साथ-साथ आज लाठी, डंडा व गोली की बौछार हो रही है। एक तरफ तो किसान और मजदूर रोजी-रोटी की मांग करता है और दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के हाथ में लाठी, डंडा और गोली है। जबतक हम यह नहीं देखेंगे कि सरकार जनता के खून और पसीने की कमाई किस हद तक उसके सुख और आराम के लिये खर्च करती है तब तक हम यह नहीं कह सकते कि सरकार की बजट नीति सही है। अगर सरकार वह पैसा गरीब के हित में खर्च करती तब तो मैं समझता कि सरकार की बजट नीति दुरुस्त है, अन्यथा गलत है। तो मैं पुलिस के सिलसिले में कह रहा था कि वही पुलिस जिससे कांग्रेस के लोगों को काफी घृणा हुई थी आज वही लाड़ली पुलिस मनमाना अत्याचार कर रही है। आज पुलिस शहरों और गांवों में रहने वाली जनता की गुन्डों के हमलों से रक्षा नहीं कर सकती बल्कि वह उल्टे गुन्डों को पनाह देती है और भले आदमियों को परेशान करती है। तो आज वह सरकार जो अपने को जितना की सरकार कहती है बावजूद इसके कि उसके राज्य में पुलिस का प्रशासन सही न हो लेकिन उसके हकूक बराबर बढ़ाये जांय, पुलिस अफसरों की संख्या बढ़ायी जाय और उसको बराबर बढ़ावा दिया जाता रहे, कैसे कह सकती है कि सचमुच जनता की सरकार है ? यह मैंने स्वयं देखा है कि जो गुन्डे गांवों में जनता को परेशान करते हैं पुलिस उन गुन्डों के लिये उचित प्रबन्ध नहीं कर पाती है और ऐसी हालत में जनता से भी पुलिस को सहयोग नहीं मिलता है क्योंकि वह समझती है कि गुन्डों के मुकाबले में पुलिस हमारी मदद नहीं कर सकती। इसलिये जहां कहीं भी शहादत वगैरह की जरूरत पड़ जाती है वहां भी जनता पुलिस का साथ न देने के लिये मजबूर हो जाती है।

श्रीमन्, एक तरफ तो यह हाल है और दूसरी तरफ हमारी सोशलिस्ट पार्टी जब से देश आजाद हुआ है तब से बराबर सरकार के सामने अपने सुझाव इस सिलसिले में रखती चली आ रही है मगर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सोशलिस्ट पार्टी बराबर यह कहती रही है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार इकट्ठा करती है उसका अपव्यय न करके अगर ठीक तरीके से उसको खर्च किया जाय तो विकास का काम बहुत जल्दी और अच्छा हो सकता है। सोशलिस्ट पार्टी ने दाम नीति, भाषा नीति, चौखम्भा शासन १०० और १,००० की मासिक आय तथा अन्य समाजवादी नीति के सुझाव दिये हैं। मगर यह सरकार उन सुझावों को भी नहीं मानती है। मैं तो कहूंगा कि यह सरकार बिलकुल हठवादिता पर तुली हुई है क्योंकि शासक दल यह समझता है कि अगर हम विरोधी दल के किसी आदमी या नेता की बात मान लेंगे तो इसमें हमारी शान घटती है। विरोधी दल के लोग चाहे शत प्रतिशत सत्य बात कहें लेकिन उसको सत्तारूढ़ दल कभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जान बूझ कर गलती करते हैं। जो बात विरोधी दल कहता है उस पर अमल भी किया जाता ह लकिन बाद में, समय पर अमल नहीं होता।

प्रथम पंचवर्षीय योजना १९५१ में लायी गयी और १९५६ में समाप्त हुई और १९५६ की योजना १९६१ में समाप्त होगी। इस दौरान में सरकार ने जो कर से पैसा इकट्ठा किया वह विकास की योजनाओं में लगाया। जैसा कि हमारे परिवारों में होता है जो कर्जा लेता रहता है, उसका अन्त में दिवाला पिट जाता है, इसी प्रकार से प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से कर्जा लेती है और केन्द्रीय सरकार विदेशी सरकारों से कर्जा लेती है। चार हजार करोड़ का

[श्री हरदयाल सिंह]

कर्जा चयांगकाई शेक ने लिया । उसका आधा तो मुफ्तखोर खा गये और आधा ही देश में लग पाया । उसी प्रकार हमारे प्रधान मंत्री जी ने सात सौ करोड़ कर्जा ले लिया है । इससे साफ है कि देश की क्या हालत होगी । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—मान्यवर, इस बजट के सिलसिले में जो विवाद इस सदन में हुआ है उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है । विरोधी दल के उपनेता, श्री नारायणदत्त जी ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर लगाया कि हमारा बजट बनाने में किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है । मुझे खेद है कि वह इस वक्त नहीं हैं । लेकिन मुझे आशा है कि वह जहां कहीं भी होंगे मेरी बात उन तक पहुंच जायगी ।

मुझे उनकी बातों और संदेहों में एक हल्की-सी झलक इस बात की आयी कि जैसे मानों हमारे बजट में वह फिर एक बार अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दि की दुनिया देखने की कोशिश कर रहे हों, लेजाफेर के जमाने का बजट, वही दकियानूसी बजट, प्राडक्टिव एक्स्पेंडीचर और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर को लेकर, ठीक उन्हीं बातों को ले कर हमारे समाजवादी दल के उपनेता भाई नारायणदत्त जी की दलीलें और तकरीर पेश हुई इसका मुझे खेद है । इसलिये नहीं कि उन्होंने इस बात को कहा—उनसे जरूर बड़ी बड़ी आशाएं की जा सकती हैं, बल्कि इसलिये कि इस सदन में और इस सदन के बाहर उन्होंने बजट बनाने के सम्बन्ध में राज्य की फिस्कल पालिसी के सम्बन्ध में गलत धारणा प्रतिपादित करने का शायद एक सिलसिला शुरू कर दिया । मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता । केवल दो तीन बातें ही कहना चाहता हूं ।

सबसे पहली बात यह है कि यह राज्य का बजट है, व्यापारी का बैलेंस शीट नहीं है । वह जमाना लद गया जब राज्य का सारा बजट और व्यापारी की बैलेंस शीट दोनों एक ही क्लास में रहती थीं । वह पूंजीवादी और सामन्तवादी जमाना बीत गया । अब हमने समाजवादी ढांचा बनाने का निश्चय किया है । तो वह तरीका चल नहीं सकता । मैं उन मित्रों को जिनके दिल में संदेह हो, उन किताबों से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना मुकाबला नहीं रखतीं । बड़े-बड़े विचारकों ने जो भी इस सम्बन्ध में विचार प्रकट किये हैं, उनको अगर जान लिया जाय तो साफ हो जायगा कि वह जमाना गया जब राज्य के बजट में रेवेन्यू कलेक्शन, ला ऐंड आर्डर के मेंटिनेंस की बात, इन दो बातों पर खर्च और शेष बातों पर कमाई रहती थी । आज राज्य का प्रसार, राज्य के कामों का प्रसार वेलफेयर स्टेट होने के नाते उन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की तरफ जा रहा है जहां जाने की पहले कभी सम्भावना या आज से बीस साल पहले भी जिसका कभी पूरा कयास या खयाल भी किसी को नहीं हुआ होगा । मैं भी, मान्यवर, बहुत सारे वक्त पहले इन दलीलों में उलझ जाता था कि क्या हमारा जो बजट है, क्या जो हम खर्चा रख रहे हैं या इसमें जो खर्चे हम कर रहे हैं इसके तरीके हमारे ठीक हैं या नहीं, कहीं हम भविष्य को गिरवीं तो नहीं कर रहे हैं । कई तरह की बातें और शंकायें मेरे भी दिल में आईं, लेकिन जैसे-जैसे हमने उसके ऊपर मनन किया, जैसे-जैसे दूसरे देशों और दूसरी दुनियां की बातों को देखने की कोशिश की, दिमाग पर से वह अन्धेरे का पर्दा हल्के हल्के उठना शुरू हुआ और मुझे खुशी है कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, और मुझे आशा है कि जितने इधर के बैठने वाले सदस्य हैं जिनके कन्धों पर राज्य को चलाने का भार है वे भी उस नये जमाने में जाने के लिये उस रास्ते पर चलेंगे । मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता होने के बावजूद भी, कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता होने के बावजूद भी, कमियों से भरा हुआ रास्ता होने के बावजूद भी, वे उस रास्ते पर चलने में नहीं हिचकिचायेंगे जहां इन्सान इन्सान की जिन्दगी पा सकता है । मैंने जो बात अभी पहले कही थी दोहराता हूं । क्या हमारे मित्र खासकर मेरे दोस्त नारायणदत्त जी तिवारी इसको किसी व्यापारी की बैलेंस शीट की तरह देखना चाहते थे जिस में कि मुनाफे की शकल हो, डिविडेंड की शक्ल हो, खर्चा कम से कम किया जाय, आमदनी ज्यादा से ज्यादा की जाय ? अगर उनकी यह

राय इस भवन को मिल जाय और कैटागारिकल राय मिल जाय तो मैं समझूंगा कि उन्होंने समाजवाद से छुट्टी ले ली और इसके बाद वह किसी दूसरी तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी समाजवादी शासन व्यवस्था इस तरह से नहीं चलाई जा सकती जिसमें कि बजट वर्ष में घाटे का सिलसिला न आये, आय का रास्ता ज्यादा रखा जाय और खर्च कम से कम कर दिया जाय और खर्च कम करने का मेथड यह रखा जाय कि समाज के कल्याण पर खर्च किया ही न जाय ताकि बचत हो सके। इस तरह से तो प्रगति एक दम खत्म हो जायगी।

श्रीमन्, दूसरे मुल्कों का इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा-सा जिक्र करना चाहता हूं। हमारे दोस्त तिवारी जी को बड़ा भारी भय है कि हमारी सरकार पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया है और भविष्य में आने वाली जो सरकारें होंगी न जाने उनके जो मंत्री होंगे उनके बजट का क्या हाल होगा ; और शायद उनको अपना भी डर रहा होगा कि वह मंत्री होंगे तो क्या होगा। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको इसमें किसी प्रकार के डर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। इसलिये नहीं कि वह मंत्री नहीं बनेंगे। इस बात को तो मैं छोड़ देता हूं। वह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो कोई भी मंत्री इस प्रदेश में आयेगा उसके सामने आज की जो परम्परायें हैं, जिस नींव पर हम समाज को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मदद मिलेगी इससे भी बड़ा साहसी बजट बनाने में, १३० करोड़ का ही नहीं, १,००० करोड़ का बजट बनाने में और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भविष्य इसकी ओर हमें बुला रहा है। उस ओर आगे बढ़ने में माननीय नारायणदत्त जी डरते हों तो भले ही डरें, लेकिन हमें उसमें डर की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। दुनिया कैसे आगे बढ़ी है, उसकी जरा-सी झांकी मैं देना चाहता हूं। किसी एक मुल्क का नहीं, दो-चार-छः-आठ-दस मुल्कों का पिछले दस-बीस सालों का बजट उठाकर आप देखें। बड़ा भय है लोगों के दिलोदिमाग पर कि बजट बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, कैसे इसका बोझ उठेगा। एक अजीब क्राई आफ बीविल्डरनेस सुनाई पड़ती है,। मैंने देखने की कोशिश की है कि दूसरी दुनिया कैसे आगे बढ़ी है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—दूसरी दुनिया या दूसरे देश ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं उस दुनिया में आपको ले नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान हमारा उस दुनिया में है जहां इन्सान बैलों को पकड़कर चक्के और बैलगाड़ी के सहारे चलने की बात करते हैं। उसके अलावा एक नयी दुनिया और है साइंस की और टेक्नालाजी की जिसकी ओरहम महज झांक रहे हैं दूर से। उसकी तरफ जब हम झांकने की कोशिश कर रहे हैं तो आवाजें डिस्पेयर की आ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि वह दूसरी दुनिया कैसे आगे बढ़ी और किस तेजी से आगे बढ़ी है किस मानी में आगे बढ़ी है। सिर्फ अमेरिका को, मान्यवर ले लिया जाय। काफी बड़ा और विशाल देश है। काफी उसके पास ताकत है। जो उसका फैडरल बजट था सन् १९१३ में वह था ७२५ मिलियन डालर का और सन् १९५१ में वह हो गया ४,००,६२१ मिलियन डालर का। अब जरा गौर करने की बात है। यह केवल फैडरल बजट की बात मैंने बताई। स्टेट्स और सिटीज और दूसरी लोकल बाडीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—कृपया यह भी बतला दीजिये कि पर कैपिटा इन्कम अमेरिका की कितनी है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—किसी भी देश की पर कैपिटा इन्कम घटती बढ़ती रहती है। यह उस देश की ताकत के ऊपर और उसकी प्रास्पैरिटी के ऊपर निर्भर रहती है। अगर आप खर्च करके, छलांग मार कर आगे पैर नहीं उठाते हैं तो आगे नहीं जाते हैं। आप वहीं पर खड़े रहते हैं। अगर हमारे मित्रों की राय उधर से यह हो कि चूंकि पर कैपिटा इन्कम ज्यादा नहीं है इसलिये छलांग न मारी जाय तो ठीक है। आप वहीं पर खड़े रहते हैं और अगर आप छलांग मारकर आगे जाने की कोशिश करते हैं तो फिर आवश्यकता इस बात की है कि चाहे

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

आपकी पर कैपिटा इन्कम ज्यादा हो या कम आप आगे बढ़ेंगे वरना आगे बढ़ना मुश्किल है। अगर हम पर कैपिटा इन्कम कम होने की वजह से मुश्किल का अनुभव करते हैं तो फिर बहुत सारी मुश्किल सामने आयेंगी। इसलिये तो और भी बड़ा बजट बनाना है ताकि यह कठिनाई दूर हो। कुछ इस सिलसिले में नारायणदत्त तिवारी जी ने सवाल उठाया था उस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगा।

अब, माननीय, इसको देखना है कि हमारे मित्र ने कहा कि इतना रुपया वहां खर्च कर दिया और इतने करोड़ रुपया सरकारी मुलाजिमों के लिये हो गया और इतना राज्य के ऊपर बोझ बढ़ गया और इस पर जोड़ कर आमदनी और खर्च को जो बचता है वह काफी बोझ राज्य के ऊपर रहता है। मुल्क की कितनी आमदनी है और कितना खर्चा होता है उसका जोड़कर वह हिसाब लगाते हैं। लेकिन मैं उस देश का हिसाब आपको बतलाता हूं जो आज अटामिक एरा में बहुत आगे बढ़ गया है। आज अमरिका का कर्जा जो फेडरल गवर्नमेंट का उनके ऊपर है उसको आप देखें तो आपको अन्दाजा होगा कितना बड़ा कर्जा उनके ऊपर है। जो देश इतना उन्नत है और उन्नति के शिखर पर बढ़ता जा रहा है, उस देश के राज्य पर आज जो स्थिति कर्जे की है उसके सम्बन्ध में मुनासिब राय कहीं से भी मिले उसको मानना चाहिये। हम कहते हैं कि इतना उसके लिये होना चाहिये और इतना फलां के लिये होना चाहिये लेकिन अमेरिका के कर्जे के सिलसिले म जहां तक मुझे मालूम है उनका जो एनुअल बजट है उस बजट से आठ या दस गुना उनके ऊपर कर्जा है और उनको जहां तक खयाल पड़ता है करीब करीब ७२ हजार करोड़ डालर सालाना सिर्फ इन्टरेस्ट देना पड़ता है उस कर्जे के ऊपर जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से ले रखा है। अगर इस सम्बन्ध में आप उसको देखें कि कितना बोझ उनके ऊपर पड़ता है तो शायद आपकी हिम्मत यह सोचने की भी नहीं पड़ेगी और आपके हाथ-पैर कांप जायेंगे उसके फिगर को ही गिनने में।

मैं इस सम्बन्ध में यह कह रहा था कि बजट के सम्बन्ध में कुछ धारणा बन गई है। उस धारणा की बाबत जो एक पब्लिक फाइनेन्स के सम्बन्ध में इकनामिस्ट हैं प्रोफेसर टेलर, उनका कोटेशन देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि तिवारी जी इसको दिलचस्पी से सुनेंगे। यह अंग्रेजी में है। आपकी आज्ञा से इसको पढ़ देना चाहता हूं। यह उसी के सम्बन्ध में है जो कि तिवारी जी ने कहा था कि एसेट्स का कोई नक्शा नहीं है कि कितनी सडकें हैं, कितना काम करना है, इसका कोई प्लान नहीं है। वे वित्त मन्त्री जी से बड़े नाराज थे। वह परेशान बहुत थे कि कर्जा तो हम लेते हैं लेकिन कितने हमारे पास असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है, वह बैलेन्स शीट अप्रोच के बारे में बजट की बाबत बहुत कुछ कह रहे थे तो मैं उनकी सूचना के लिये यह पढ़े देता हूं।

'A balance sheet approach, showing assets and liabilities of Government, is useless for this purpose. The principal liabilities of Government would be its outstanding debt, representing legal claims of others against the treasury. The assets of government would certainly include its cash on hand, but beyond this, assets have relatively little meaning. A value could be assigned to public buildings and government owned equipment, but these assets do not exist" I would like Mr. Narain Dutt Tewari.

श्री अध्यक्ष—आप इसका हिन्दी में अनुवाद भी करेंगे। इसलिये बीच में अंग्रेजी में टीका न करें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं क्षमा चाहता, हूं श्रीमन्। तो "but these 'assets' do not exist for earning income and are not real assets in the customary sense of the term." वह कहते हैं कि यह राज्य का बजट व्यापारी का बही-खाता नहीं होता और उसके आधार पर राज्य का बजट नहीं बनता। यह बजट बनता है किसी और रीति से और मकसद से। बहुत सारे काम करने

होते हैं जिनको राज्य पहले अनप्रोडक्टिव कह कर नहीं करता था । उन्हें कोई गरज नहीं थी कि बच्चों की सेहत सुधरे, उन्हें कोई गरज नहीं थी कि बच्चों की जिन्दगी बने। उन्हें क्या गरज थी कि पब्लिक स्कूल ठीक से चलें ? उन्हें क्या गरज थी कि लोगों को पीने का पानी ठीक से मिले ; यातायात के साधन ठीक हों ? तो यह उनका खयाल था कि यह हमारी आमदनी है, यह हमारा खर्च है। इतना हमारा राज्य है, इतने महल हैं, इतने महाल हैं। लेकिन आज वह मकान और महल बेकार हैं, बेमानी है इसलिये कि आगे चल कर वह लिखते हैं कि आखिर राज्य तो उनको नीलाम करने वाला है नहीं। जिस राज्य को उनको नीलाम करने की जरूरत होगी उसे जनता ही स्वयं उठा देगी। राज्यों को आज नीलाम होने की गुंजायश नहीं है, उसे जनता ही उठा देती है। तो यह मार्क्स को डर अर्थशास्त्रियों की बात के बिना जाने वाला नहीं था इसलिये मैंने सोचा कि उनको ही ढूंढ़ लाऊं। मैं और अधिक अर्थशास्त्रियों की बात में जाना नहीं चाहता लेकिन दावत देता हूं माननीय नारायणदत्त जी को कि चाहे वे मार्क्स को लें, उसकी पब्लिक फाइनेंस की बात करें चाहे न्यू डील का जो नया कंसेप्ट रूजवेल्ट साहब ने दिया है उसको ले कर बात करें और चाहे जिस तरह से हिन्दुस्तान चल रहा है उस तरह से चल कर बात करें, एक ही उत्तर उन्हें मिलेगा कि राज्य सरकारें ऋण लिये बगैर, अगर वह डेवलप्ड इकानामी के डेवलपमेन्ट की बात करना चाहती हैं तो, नहीं चल सकतीं, उनका काम चलने वाला नहीं है। दूसरे, जहां तक कर्ज लेने के मकसद और मंशा की बात है .....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैंने यह नहीं कहा कि बजट का बैलेंस शीट हो जाना चाहिये। मैंने कहा कि जितने असेट्स हैं उनकी इनवेंटरी होनी चाहिये। जैसे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऋण दिया गया.....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वह एक दूकान है। हम दूकान नहीं हैं। हम में और उसमें अन्तर है। हम बच्चों की सेहत पर खर्च करना चाहते हैं हालांकि उससे देखने में कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। लेकिन इस समय का १ रुपये का खर्च आगे हमारे राष्ट्र के लिये लाखों की संपदा हो सकता है। जो आप खोज रहे हैं वह हम हैं ही नहीं। आपको मिलेगा क्या ? राज्य सरकारों का बजट वह नहीं होता है जो आप देखना चाहते हैं। मैं एक और बात निवेदन कर रहा था, श्रीमन् कि बिना लोन्स के लिये हुए प्रगति नहीं होती। एक लेटेस्ट थ्योरी है और मैं आशा करता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी मेरी इस बात को गौर से सुनने की कृपा करेंगे। वह थ्योरी है—लोन टू पे बैक लोन। दुनिया के इकोनामिस्ट्स ने एक नया फ्रेज निकाला है, कर्ज वापिस देने के लिये कर्ज। आज बहुत सारी प्रगति, इन इकोनामिस्ट्स का कहना है कि इसी तरह से संभव है। वह सरकारें बेवकूफ होंगी जो अपने रेवेन्यू से लौटा कर कर्ज देना चाहेंगी। उनको इतना माना जाय, उनका बाजार इतना मजबूत होना चाहिये कि एक लोन को देने के लिये वह दूसरा लोन उठा सकें। एक कर्जा देने के लिये दूसरा कर्जा ले सकें। लोन टु पे बैक लोन। और आखिर बात ठीक भी है। नारायण दत्त जी ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि कर्ज ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्या माने हुए इस जुमले के जो आपने कहा ? जिस दिन जनता को हमारे में विश्वास नहीं रहेगा वह कर्ज हमको नहीं मिलेगा। बाजार पैसे का इतना नालायक नहीं है कि वह गलत आदमी के हिसाब में पैसा देदे। वह सही खाते में पैसा देता है। तब उसका क्या असर पड़ता है, उसके सिलसिले में भी जरा सा मैं आपको कहना चाहता हूं। एक दूसरी अथारिटी कर्जे के बारे में है जो बहुत ही रेस्पांसिबिल है—

"As the debt approaches its maximum it should be progressively more difficult to borrow."

और हमारी कर्ज सीमा पर पहुंच जाय तो कर्ज लेना नामुमकिन हो जाय। सीधा साधा अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है। हमें जितना लेना चाहिये उससे जब ज्यादा देने को तैयार है, सीमा से बहुत पीछे हैं तो डर किस बात का ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—ब्याज कितना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—"जरा दिल थाम के बैठो, मेरी बारी आयी"।

जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि हम कर्जा कितना ले सकते हैं, मैंने उसको कहा। उसके आगे कहना चाहता हूं, और वह यह है कि जहां तक कर्ज लेने की बात है कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, अमरीका में, इंगलैंड में, स्विटजरलैंड में जिसकी पीसफुल इकानामी कही जाती है, कोई लड़ाई भी उस पर असर नहीं करती है और उनके कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि दीवालिया सरकार को पैसा नहीं मिलता, समृद्ध सरकार को मिलता है। विश्वास जिस सरकार का होता है, जिसकी नीति में विश्वास होता है, काम करने की क्षमता में विश्वास होता है, शक्ति में विश्वास होता है उसको पैसा मिलता है। हमें मिलेगा। लेकिन आज दिक्कत यह है कि जो रेगुलेशन आप चाहते थे कि लेजिस्लेचर तय करे कि क्या लिमिट हो कर्जा लेने की, तो वित्त मंत्री जी इन सब बातों का जवाब देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इशारों में कि रेगुलेशन आज भी मौजूद है— डायरेक्ट या इनडायरेक्ट—वह मैकेनिज्म यहां भी मौजूद है। राज्य सरकार स्वाधीन नहीं है कर्ज लेने के लिये। राज्य सरकार को इजाजत लेनी पड़ती है केन्द्रीय सरकार से। केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन तय करेंगे कि हमें इजाजत मिलेगी या नहीं। हमारी क्षमता, हमारी हैसियत, हमारे इन्टेन्शंस, परपज, सारी चीजें देखने के बाद, बाजार देखने के बाद इजाजत मिलती है।

हमारे बजट की जो खुसूसियत है, श्रीमन्, वह इस बात पर है कि हम अपने प्रदेश के अन्दर जिन खर्चों को कर रहे हैं उनमें अनुत्पादक खर्चा जिन्हें कहा जा रहा है उनकी परिभाषा किसी न किसी को करनी पड़ेगी। मेरी अर्ज करने की मंशा यह है कि वह अनुत्पादक खर्चे की निगाह से अगर पुलिस को देखते हैं तो अगर समाज की सुरक्षा और व्यवस्था का इन्तजाम न रहे तो देश प्रगति नहीं कर सकता, हम एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते। एजूकेशन है, अगर स्वस्थ सिटीजन न हों तो सारी व्यवस्थाएं बेकार हो जायंगी, प्रजातंत्र की प्राण है शिक्षा। बच्चे हों, महिलाएं हों, कर्मचारी हों, बूढ़े हों, असहाय हों, निर्धन हों सारे समाज के मनोबल को बनाये रखने और आत्म विश्वास को बनाये रखने के लिये इन तत्वों को सहायता देने की अवश्य आवश्यकता है। सड़क, नहर, पुल, अस्पताल, ये सब ऐसी चीजें हैं जो अनुत्पादक कही जा सकती हैं, लेकिन हम अपने को सौदागर नहीं मानते। जब पुल निकलेगा तो इतना पैसा मुझे अवश्य ही मिलना चाहिये, यह गलत है। जो दृष्टिकोण आपका है इसको जरा बदलिये। आपको अपने इरादों में तब्दीली लाना होगी। जब आपके इरादे में तब्दीली हो जायेगी तो उसकी सारी मनोवृत्ति, आपका सारा इरादा जनता को ऊपर ले जाने वाला होगा।

एक बात यह कही गयी कि क्या काम आपने १२ सालों में किया। कहा गया कि पर-कैपिटा इन्कम कम होती गयी। एक ने यह नहीं कहा, बल्कि इस बात को ज्यादा मजबूत करने के लिये कई सदस्यों ने दोहराया। सब ने यही कहा कि पर कैपिटा इन्कम गिर गयी। मैं पूछता हूं कि आपने यह भी कभी सोचा कि पर कैपिटा इन्कम होती क्या है। मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि पर कैपिटा इन्कम जहां इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी प्रोडक्टीविटी क्या है, वहां उसके साथ ही साथ जो हमारी पापुलेशन है उस पर भी डिपेन्ड करती है। हम एक करोड़ रुपये का सामान बनवावें और दो करोड़ बच्चे और पैदा हो जायें, तो पर कैपिटा इन्कम गायब हो जायगी। यह तो सीधी सी बात है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उस पर हमारी पापुलेशन का असर होगा ही। अगर आपने इस भाषण के पहले पन्ने को ही पढ़ लिया होता तो बात पूरी तरह आपके समझ में आ गयी होती। लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। हमें यह भी देखना होगा कि हमारी टोटल आमदनी पहले क्या थी और अब क्या हो गयी है। इसे, मान्यवर, अगर देखा जाय तो पता चलेगा कि पहले हमारी आमदनी १,७७४ करोड़ थी जो अब बढ़ कर १,८५७ हो गयी। आज पापुलेशन किस तरह बढ़ रही है, इसकी तरफ भी तो ध्यान दीजिये। आज जरूरत है कि बर्थ कंट्रोल किया जाय। प्लानिंग के लिये यह जरूरी है। इस तरफ आपको ध्यान देना

चाहिये। हमारी प्लानिंग, हमारी योजना तभी सफल हो सकेगी जब हम अपनी बढ़ती हुई पापुलेशन को रोक सकेंगे। जब हम अंग्रेजों के पास से छूटे थे तब हम ३६ करोड़ के लगभग थे और आज हमारी स्थिति यह है कि हम ४७ करोड़ पर पहुंचने वाले हैं। इस रीति नीति से अगर हम बढ़ते चले गये तो हमारे सारे प्रयास नलीफाई हो जायेंगे, विफल हो जायेंगे। वह ताकत जो आज हमारे पास मौजूद है, वह मैन पावर जो आज हमारे पास मौजूद है उसकी तरफ बदकिस्मती से किसी ने ध्यान नहीं दिया।

एक बात और कही गयी कि उत्पादन गिरा है। कपड़े का उत्पादन गिरा है, चीनी का उत्पादन गिरा है, गेहूं का उत्पादन गिरा है, हर चीज का उत्पादन गिरा है, यह कहा गया है और जोरों के साथ कहा गया है। एक ही सांस में कह दिया गया। सांस का भले ही उत्पादन गिरा हो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यह भी सोचा कि उत्पादन क्यों गिरा है। क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार है? जिन स्थितियों में उत्पादन गिरा है अगर उन स्थितियों में सरकार को काबू होता तब तो हम उसके लिये जिम्मेदार होते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि काटन का उत्पादन, कपास का उत्पादन, रुई का उत्पादन यहीं नहीं, दुनिया भर में कम हुआ है। इसका असर तो कपड़े के उत्पादन पर अवश्य होगा। तो यह कैसे हो सकता है कि काटन न हो, और कपड़ा ज्यादा पैदा हो? आपको यह देखना चाहिये कि आखिर हमने कितना किया है और कितना हो सकता था। उस बात को नहीं देखा गया। देखना यह था कि हमने क्या किया। बहरहाल, उद्योग विभाग का बजट आयेगा उसको डील करते हुए जब मुझे कुछ कहने का मौका मिलेगा तो मैं स्वागत करूंगा सुझावों का और उनका जवाब भी मौका मिलने पर दूंगा। लेकिन उत्पादन के बढ़ाने में, खादी के उत्पादन के बढ़ाने में जो कुछ हुआ है उससे यह सरकार सिर उठाकर कह सकती है, उद्योगीकरण के बारे में जो प्रगति हुई है, गाजियाबाद में जैसी प्रगति हुई है, कानपुर में जो कुछ हुआ है और लखनऊ में ऐशबाग में सैकड़ों फैक्टरियां काम कर रही हैं उससे हमें इत्मीनान है कि हमने जनता में चेतना उत्पन्न की और वे हमें विश्वास दिला रही हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं।

*श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने अभी बताया कि वह जो हैं उसको नारायणदत्त जी समझते हैं नहीं, लेकिन इत्तिफाक से यह मेरा सौभाग्य है कि वह जो कुछ हैं वह मैं सम झ गया हूं क्योंकि वह बता चुके हैं कि वह क्या हैं। उन्होंने यहां पर कुछ अमेरिका की किताबें दो चार कोट करके यह बताने का प्रयत्न किया कि उन्होंने जो कुछ बजट में लिखा है वह ठीक है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व की बात है, आज तो इस समय कोई अधिक आंकड़े दिखाने का अवसर नहीं है लेकिन न्यूयार्क की म्युनिसिपल कारपोरेशन की आमदनी ६३० करोड़ थी जबकि उस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया का बजट भी उतना नहीं था। उसके साथ आप मुकाबला करते हैं अपना जिसके एक म्युनिसिपल कारपोरेशन का बजट हमारे सारे देश के बजट से अधिक है। मैं इस सम्बन्ध में आपको यह बता दूं कि उन्होंने अभी-अभी भाषण देते हुए कहा कि वह ऐसा देश है कि जिसके उद्योगों और अन्य साधनों की ओर हम केवल झांक रहे हैं, वहां की हम सोच नहीं सकते और यहां तक वे आखिर झुक पड़े। वह वह देश हैं कि जहां किसी भी समय किसी एक कृषक को एक दिन के अन्दर कर्जा मिलता है। यह वह देश है कि अगर १ अप्रैल को ऐप्लाई किया जाय तो ३१ मार्च तक आता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जहां पूंजी की दशा है वहां क्या कहा जाय? मुझे अवसर मिला है अमेरिका के एक प्रोफेसर महोदय से मिलने का और उनसे बातें करने का। बात के बीच में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि यहां पर कृषि की उन्नति क्यों नहीं होती। हम लोग उनको यह समझाने में व्यस्त थे कि यहां पर कृषि में पैसा लगाने वाला कोई नहीं है जब कि वहां की कृषि के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

है, वहां की इंडस्ट्रीज में इतना रुपया बढ़ चुका है कि ढाई प्रतिशत पर कर्ज लेने में कृषि पर काम करने वालों को पैसे की कोई कमी नहीं होती। यहां पर वह समस्या नहीं रही है। यहां के कृषक के लिये पैसा नहीं है। यहां पर खाद्य समस्या की हालत बिलकुल दूसरी है। यहां पर हमें बाहर से गल्ला खरीदना पड़ता है, यहां पर हमें सस्ते गल्ले की दूकानें खोलनी पड़ती हैं। यह बातें हमने उन्हें बतायीं।

आज मंत्री जी ने हमें बताया कि यदि इस प्रदेश की साख न बढ़ी होती तो हमें कर्जा कैसे मिल जाता। मैं बताना चाहता हूं कि आपके जमींदारी अबालिशन बांड्स बिके थे बाजार में ४० प्रतिशत और ५० प्रतिशत पर, यह है इस प्रदेश की साख। यही कांग्रेस सरकार थी, यही सरकार थी जिसको लांग टर्म हुकूमत की आशा है और थी। आज भी बाजार में चले जाइये इस सरकार की सिक्योरिटी, जो इस देश की सबसे अधिक सुरक्षित सरकार है ढाई परसेंट ब्याज की, ५० और ६० प्रतिशत में खरीद लीजिये। आज यह बात वह सरकार कह रही है कि उसको कर्जा इसलिये मिल रहा है क्योंकि उसकी बड़ी दृढ़ता है।

मैं आपके सामने एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया कि कर्जा लेना बहुत आसान है, फिर भी मैं एक मिसाल दे दूं। हम आपोजीशन के लोग देखते हैं कि यह सरकार तो हमें दिवालिया बनाकर चली जायगी। अमेरिका की हम से तो कोई समानता नहीं है। वहां चाहे कितना रुपया हो, चेक बैंक का प्रोड्यूस कर दें तो धन मिल जायगा या अधिक से अधिक कोई इंश्योरेंस कम्पनी की श्योरिटी दे देगी लेकिन यहां ४, ४ रुपये के लिये तस्दीक कराते फिरना पड़ेगा स्टेट बैंक में और ट्रेजरी में इस सरकार की यह हालत है जिसकी कोई हद नहीं। जिसको यह साख कहते हैं मैं सरकार से पूछता हूं कि इस देश को और प्रदेश को उन देशों की बातों से कहां तक लाभ पहुंच सकता है। मैं इस सम्बन्ध में श्री प्रताप नारायण जी की कविता की एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं "घर की खांड़ खुरखुरी लगै, चोरी का गुड़ मीठा" .....

श्री अध्यक्ष—आप ऐसी भाषा में कहें ताकि मैं यह कह सकूं कि यह पार्लियामेन्टरी एक्सप्रेशन है या नहीं, मैं तो कुछ समझा ही नहीं।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत पहले एक फारसी का पद पढ़ा था उससे इस प्रदेश की स्थिति मिलती जुलती है, इससे उसे कह देना चाहता हूं ...

"कसे न मांद के दीगर बतेगे नाज कुशी,
मगर कि जिन्दाकुनीं खल्क रा ब बाद कुशी।"

अध्यक्ष महोदय, आप हमसे तब आशा करें जब कि हमको कुछ पैदा करवा दें, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाय। उसके बिना मैं नहीं समझता कि हमसे किसी आगे की विकास योजनाओं में व्यय करने की आशा कहां तक पूरी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ पूंजीपति सरकार को चन्दा या कर्जा दे सकते हों, उनकी हालत को मैं नहीं जानता। लेकिन जनता के लिये जैसी बात सरकार सोचती है वह बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उस समय आप उपस्थित नहीं थे जब कि कुमारी श्रद्धाजी ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि इस इस तरह से उन पर हमले किये गये। मैं समझता था कि माननीय बहुगुणा जी को कुछ जानकारी होगी और वे कुछ उत्तर देंगे। उस समय माननीय पुलिस मन्त्री जी भी उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कांग्रेस के चुनाव का जिक्र किया था और उस सम्बन्ध में बताया था कि किस प्रकार से पुलिस ने और दूसरे लोगों ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, उन पर हमले हुए, ज्यादतियां हुईं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं विरोधी दलों की ओर से कि कोई भी प्रयत्न हम बाकी नहीं रखेंगे इस सम्बन्ध में और मैं उनके तमाम साथियों को आह्वान देता हूं जिन्होंने कम से कम अविश्वास

के प्रस्ताव के समय यह विचार व्यक्त किये थे कि यह सरकार निकम्मी है। इसी प्रकार से श्रीमन्, एक दूसरी सदस्या श्रीमती चन्द्रावती जी ने बताया था कि उन पर भी रिक्शा वगैरह पर शायद हमला किया गया। उसको भी कोई देख-रेख नहीं हुई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई बड़ी असम्भव बात नहीं है, श्री कैलाशप्रकाश जी भी जिक्र कर रहे थे कि इस देश में जातीयता का बोलबाला होता चला जा रहा है और इस प्रकार से आज जो होना चाहिये वह सरकार नहीं कर रही है, सरकार बड़ा पक्षपात कर रही है। मैं इस प्रदेश के हित में, ऐसे विचार रखने वाले उन तमाम माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि श्री सीताराम जी का अनुकरण करें और कल ही यह समस्या सुलझ हो जायगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब साथी उनका स्वागत करते हैं और जो अत्याचार आज वह इस सरकार में अनुभव कर रहे हैं उनको रोकने के लिये हम सभी सम्भव प्रयत्न करेंगे। क्योंकि किसी प्रदेश में यदि ऐसा वातावरण न हो जिससे लोग अपनी सुरक्षा अनुभव कर सकें और जनता यह समझ सके कि उसके प्रतिनिधि जो यहां उनकी बातों को कहने के लिये बैठे हैं, वह सुरक्षित नहीं हैं तो वह प्रदेश कोई तरक्की नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, अधिक समय न लेते हुए मैं आपके सम्मुख इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में यह तो जिक्र है कि गन्ने और कपास की, कैश क्राप्स की खेती कैसे बढ़ेगी, मगर उसमें यह देखने को नहीं मिला कि खाद्य पदार्थों की खेती कैसे बढ़ेगी। मेरा मतलब यह है कि गेहूं, धान आदि की खेती बढ़ाने के लिये मंत्री जी ने कुछ जिक्र नहीं किया है यद्यपि इसमें लिखा है कि खरीफ में सूखा पड़ने के कारण धान की फसल खराब हो गई। रबी की हालत इस समय ऐसी है जो १ मास पूर्व होनी चाहिये थी। वर्षा का अभाव चारों ओर है। केन्द्रीय सरकार द्वारा बुलाये गये एक कृषि सम्मेलन में मुझे जाने का अवसर हुआ। वहां प्रत्येक कृषक इसी से परेशान था कि समझ में नहीं आता कि आगे खाद्य समस्या का क्या होने वाला है। ये कुछ समाचार पत्र मैं लाया हूं। नार्दन इंडिया पत्रिका है १५ फरवरी का।

श्री अध्यक्ष—आप जबानी कहें, अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—और भी कई समाचार पत्र हैं जिसमें फसल का वर्णन है कि कैसे वर्षा न होने से फसल खराब हो रही है। मैं उसे छोड़ देता हूं।

आज सरकार हथकर्घे के उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है तो उसे १० पैसा की रुपया का सहयोग देती है जिससे वह बाजार में कम्पटीशन में आ सके। उन कृषकों की दशा पर भी ध्यान देना चाहिये और मैं मांग करता हूं कि एक आम छूट सरकार हमारे जर्जर कृषकों को लगान और सिंचाई में दे। जनसंघ यह मांग करता रहा है कि कृषकों को छूट मिले जिससे वे अपनी पीठ सीधी कर सकें।

कुछ मुझे ऐसा भी अनुभव हुआ है कि सरकारी पक्ष के सदस्यों की ओर से योजनायें परिवर्तन करने का प्रयास होता है। यह बहुत ही दुख की बात है। अगर इत्तिफाक से कहीं से कांग्रेसी सदस्य था और वह नहीं कामयाब हुआ तो वह चाहता है कि जो कुछ भी काम उस क्षेत्र में होने वाला था वह सब रोक दिया जाय। मान लीजिये कि सन् ५६ में किसी स्थान पर एक विद्यालय खोला जाने वाला था और उस समय वहां से कांग्रेसी सदस्य थे। यदि वह सदस्य सन् ५७ में परास्त हो गये तो वह कोशिश करते हैं कि वह विद्यालय न खुले और दूसरी जगह जा खुले। हम सरकारी नौकरों से बातें करते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या करें, होगा वही जो वह चाहेंगे। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वह मंत्री जी से जाकर कह देंगे और हमारा यहां से ट्रांसफर हो जायगा, अगर आप चाहें कि मैं यहां से चला जाऊं तो यह काम कर दूं मगर आपका कोई लाभ नहीं है और जो कुछ भी वह परिवर्तन करना चाहते हैं वह बदल तो सकता ही नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के दोनों तरफ के भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैंने कलापूर्ण भाषणों को भी सुना और नाटकीय ढंग से जो टीका-टिप्पणी बजट के ऊपर की गयी, ऐसे भाषणों को भी सुना। मैंने उपनेता विरोधी दल के उस कैटलाग को भी देखा जो उन्होंने इस सदन में पेश किया और बजट के डिफेक्ट्स व डिफिकल्टीज तथा उसके दूसरे डिफेक्ट्स की भी एक लम्बी लिस्ट उन्होंने पेश की। मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमें तो आज की दुनिया में जब कि हम अपने मुल्क को डेमोक्रेसी के द्वारा विकास की सीढ़ी पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बजट द्वारा और उससे होने वाले कार्यों द्वारा बतलाना है कि डेमोक्रेसी के नेतृत्व में हमारा सारा विकास आगे बढ़ता चला जायगा। अगर हमारे विकास का कदम डेमोक्रेसी के मुताबिक नहीं है तो मैं कहता हूं कि हमारी सरकार का यह दावा तथा हमारा माननीय सदस्यों का यह दावा इस सदन में करना कि डेमोक्रेसी के मुताबिक हमारा विकास हो रहा है, कत्तई गलत होगा। हमें तो यह देखना चाहिये था कि हम विकास के ऊपर जो कुछ रुपया खर्च कर रहे हैं उससे सही तरीके से हमारे विकास की नींव डाली जा रही है और सही दिशा में डाली जा रही है और वह कदम विकास के नक्शे पर अंकित है जहां कि डेमोक्रेसी हमें इजाजत देती है। इस समय हमें भले ही असफलता मिले लेकिन इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि आज की असफलता कल सफलता में परिणत हो सकती है क्योंकि असफलता सफलता की मां हुआ करती है। अगर हमारा कदम सही दिशा में है, जो कुछ हमको खर्च उठाना पड़ा, जो कुछ हमारे रुपये पैसे की बर्बादी हुई और दूसरी ताकतों की बर्बादी हुई, अगर सही दिशा में कदम है तो जरूर सफलता होगी और एक दिन हमारे मुल्क में सफलता बहार लायेगी। अगर इस नुक्तेनजर से इस बजट को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जो डेमोक्रेसी का दावा करती है कि वह सही है। हमारे लिये यह अनिवार्य है कि हम अपनी जगह से आगे की ओर अग्रसर हों। परन्तु इसके लिये यह देखना बहुत जरूरी है कि हमारा कदम सही दिशा में पड़ता है या नहीं जिससे कि हम अपने मंजिले मकसूद पर पहुंच सकें।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। आज आप ४ मिनट बोल चुके हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ फरवरी, १९६० ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

सूची (क)

कार्य का विवरण	जिला	स्वीकृत धनराशि १९५९–६०
१	२	३
पर्वतीय जिला—		(लाख रु० में)
पहारपानी मौरनाला ..	.. अल्मोड़ा	०.७५
चौकौरी से बेरीनाग को मिलाने वाली सड़क ..	,,	१.००
खैराना बेतालघाट गरजिया ..	.. नैनीताल	२.००
सतपुली नौगांव खाल ..	.. गढ़वाल	१.००
लिसकोट बैजराव–थालीसानी	.. ,,	३.००
चकराता टूनी ..	.. देहरादून	५.००
भलडियाना लम्बगांव ..	.. टेहरी	३.२५
पल और मिलाने वाली सड़कें	.. ,,	४.००
पूर्वीय जिला—		
पुल गोंडा-बलरामपुर के पास राप्ती पर	.. गोंडा	३.००
पुल राप्ती पर और पोंटून पुल बखला पर, भिंगा बरघर सड़क पर।	.. ,,	१.००
मिलाने वाली सड़कें लोकोमोटिव को	.. ,,	
(क) ग्रांड ट्रंक सड़क-एल०सी०दूकान	.. वाराणसी	१.५०
(ख) वासिही से कारखाना	.. ,,	१.५०
बस्ती मेंहदावल सड़क ..	.. बस्ती	१.००
बुन्देलखंड जिला—		
पपरेंदी-पैलानी ..	.. बांदा	१.५०
मोटर सड़क सीतापुर से रामघाट तक	.. ,,	०.२५
कासवे सीतापुर के निकट पैसवानी पर	.. ,,	०.५०
ललितपुर दवगढ़ ..	.. झांसी	१.५०
बानपुर-महरौनी ..	.. ,,	१.२५
	योग ..	३३.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

सूची (ख)

विकास मद	योजना का नाम	१९५९–६० की सीलिंग	स्वीकृत की गई राशि	३० सितम्बर, १९५९ तक का खर्च
१	२	३	४	५
पर्वतीय जिले—				
कृषि उत्पादन—				
(१) कृषि	पर्वतीय जिलों में आलू की खेती के विकास की योजना के अन्तर्गत फार्म भवनों का निर्माण	२,९९,०००	२,९९,०००	—
(२) बागबानी	पहाड़ी जिलों में पिछड़े क्षेत्रों में बागबानी उत्पादन और फल संरक्षण योजना	९,५१,०००	४,३०,०००	४४१
(३) अल्प सिंचाई—				
(क) सिंचाई विभाग	पहाड़ी जिलों में अल्प सिंचाई योजना	१०,००,०००	७,००,०००	—
(ख) नियोजन विभाग	.. ..	२,५०,०००	२,५०,०००	—
(४) वन	(१) कुमायूं के पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक महत्व के वृक्षों का संरक्षण	२,१०,०००	२,१०,०००	—
	(२) महत्वपूर्ण औषधे—जड़ी-बूटियों को लगाना ..	४०,०००	४०,०००	—
	(३) पहाड़ी जिलों में सड़कों का बनाना	—	५,००,०००	—
	योग कृषि ..	२७,५०,०००	२४,२९,०००	४४१

उद्योग तथा खानों की खुदाई--					
ग्राम तथा लघु उद्योग	(१) पर्वतीय जिलों में लीसा तथा टरपेंटाइन उद्योग का विकास..		१,३८,०००	१,३८,०००	—
	(२) पर्वतीय जिलों में औद्योगिक स्थानों की स्थापना ..		५,८२,०००	५,३०,०००	—
	(३) पर्वतीय जिलों में पत्थर (सोप स्टोन) उद्योग का विकास ..		३०,०००	३०,०००	—
		योग ..	७,५०,०००	६,९८,०००	—
परिवहन तथा यातायात सामाजिक सेवायें	सड़कें-पर्वतीय जिलों में सड़कों का बनाना		२०,००,०००	२०,००,०००	३७६
स्वास्थ्य	पर्वतीय जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में पानी सप्लाई की योजना ..		५,००,०००	५,००,०००	—
		(पर्वतीय जिले) योग, ..	६०,००,०००	५६,२०,०००	८१७
पूर्वी जिले--कृषि उत्पादन					
(१) कृषि	(१) पूर्वी जिले के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष योजना..		१,६०,४००	१,६०,४००	—
,,	(२) पूर्वी जिलों में अनानास की खेती को बढ़ाने की योजना ..		६४,०००	६४,०००	—
,,	(३) जिप्सन के लिये राज सहायता ..		१,००,०००	१,००,०००	—
,,	(४) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में फलोद्यान के विस्तार के लिये ऋण		४,७५,०००	४,७५,०००	—
		योग, कृषि ..	७,९९,४००	७,९९,४००	—
(२) पशुपालन	राज्य के पूर्वी जिलों में खाल उतारने तथा लोथ उपयोग केंद्रों की स्थापना		२६,०००	२५,६००	—
(३) मत्स्य पालन	राज्य के पूर्वी जिलों में मत्स्य विकास कार्यक्रम का विस्तार ..		१,७५,०००	१,७५,०००	—
(४) अल्प सिंचाई।					
	(क) सिंचाई विभाग पूर्वी जिलों में अल्प सिंचाई योजना		३०,००,०००	२०,००,०००	—
	(ख) नियोजन विभाग पूर्वी जिलों में कुआं बनाने की योजना		२,००,०००	२,००,०००	—
		योग, अल्प सिंचाई ..	३२,००,०००	२२,००,०००	—

विकास मद	योजना का नाम	१९५९–६० की सीलिंग	स्वीकृत धनराशि	२० सितम्बर, १९५९ तक का खर्च
१	२	३	४	५
उद्योग तथा खानों की खुदाई ग्राम तथा लघु उद्योग	(क) वाराणसी में एक माडल वायर मेटिंग उद्योग ..	३,६८,०००	३,४६,५००	—
	(ख) बस्ती में जूता (फुटबियर) उद्योग के लिये एक अग्रगामी केंद्र	१,४२,०००	३१,९००	—
	(ग) चुनार के वाटरी विकास केंद्र का विस्तार ..	१,३३,०००	१,०१,८००	—
	(घ) मिर्जापुर तथा भदोही के ऊनी गलीचों के उद्योग का संगठन	६,३०,०००	४,६८,३००	—
	(ङ) लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिये सहकारी समितियों के ऋण का विकास	७,२७,०००	७,२६,५००	—
	योग ..	२०,००,०००	१६,७५,०००	—
परिवहन तथा यातायात	पूर्वी जिलों में सड़कों तथा पुलों की योजना	८,००,०००	८,००,०००	९२
	(पूर्वी जिला) योग ..	७०,००,०००	५६,७४,६००	९२
बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिये योजना				
कृषि उत्पादन				
अल्प सिंचाई				
सिंचाई विभाग	अल्प सिंचाई योजना	२०,००,०००	६,५०,०००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्योग तथा खाने—				
ग्राम तथा लघुउद्योग	१—झांसी के ललितपुर डिवीजन तथा बुंदेलखंड डिवीजन के पिछड़े हुये क्षेत्रों में लघु उद्योग के विकास के लिये सहायता ..	२,५०,०००	५०,०००	५०,०००
	२—मानिकपुर (पाला) क्षेत्रों में चमड़ा का विकास ..	२०,०००	१०,०००	१०,०००
	३—मानिकपुर (पाला) में महुआ के तेल पेरने के उद्योग का विकास	१५,०००	१०,०००	१०,०००
	४—मानिकपुर में हड्डी की खाद का कारखाना तथा चर्मशोधन ..	४०,०००	—	—
	५—सिलोका आलू साफ करने के उद्योग का विकास ..	७५,०००	—	—
	योग ..	५,००,०००	७०,०००	७०,०००
परिवहन तथा यातायात	बुन्देलखंड क्षेत्र में सड़क की योजना	५,००,०००	५,००,०००	—
	(बुन्देलखंड क्षेत्र) योग ..	३०,००,०००	१२,२०,०००	७०,०००
मिर्जापुर जिला—				
कृषि उत्पादन				
अल्प सिंचाई	मिर्जापुर जिले में अल्प सिंचाई योजना ..	५,००,०००	१,५०,०००	—
सिंचाई विभाग				
नालियां बनाने की योजना—				
कृषि उत्पादन—				
अल्प सिंचाई				
सिंचाई विभाग (पश्चिमी जिला)	पश्चिमी जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में नालियां बनाने की योजना ..	२५,००,०००	४५,००,०००	३,००,०००
	पूर्वी जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में नालियां बनाने की योजना ..	१०,००,०००	१०,००,००	१,११,०००
	योग ..	३५,००,०००	५५,००,०००	४,११,०००
	बड़ा योग ..	२,००,००,०००	१,८१,७१,६००	४,११,९८८

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४८ पर)

कम्पनी का नाम	टाइपराइटर का नाम	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९-६० (३१ दिसम्बर तक)
१—रेमिंगटन रेंड आफ इंडिया लिमिटेड, १, अशोक मार्ग, लखनऊ	रेमिंगटन	४८८	५५५	३१०
२—सिंसिको आफिस मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, विधान सभा मार्ग, लखनऊ	डालडा	८९	६०	१९
३—गोदरेज ऐंड व्यायस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर (माल रोड)	गोदरेज	४	२	–
४—कानटोनेंटल कार्मशियल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, विधान सभा मार्ग, लखनऊ	स्मिथ करोना	५१	–	–
५—ब्लैक उड्स इंडिया लिमिटेड, ४६, हजरतगंज, लखनऊ ..	अन्डर उड	३७	–	–
६—रोनियों लिमिटेड, कैनाल रेंज, कानपुर ..	रोयल	१०	–	–

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

विवरण

जुलाई सन् १९५९ ई० में शो केंस, मंसूरी का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि बिक्री के रुपयों में से सेल्समैन ने १,४५० रुपया जमा नहीं किया था और २२ रुपया २५ नये पैसे इम्प्रेस्ट (Imprest) में भी कम पाये गये। सेल्समैन से १,२०० रुपये तुरन्त जमा करा लिये गये। परन्तु २७२ रुपया २५ नये पैसे उसने जमा नहीं किये। उक्त सेल्समैन को मुअत्तिल कर दिया गया और उस पर उचित कार्यवाही की जा रही है। तत्पश्चात् सितम्बर में यह सूचना मिली कि बिक्री के रुपये में से ९८४ रुपये ६५ नये पैसे जमा नहीं किये गये थे। सेल्समैन से तुरन्त रुपया जमा करने को कहा गया। यह बाकी २५० रुपये भी बाद में जमा करा लिया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि शो केस के सामान में १९८ रुपये ३२ नये पैसे की कमी थी। सेल्समैन से इस सामान की कमी पूरी कराई जा रही है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५७ पर)

सूची नं० १

१९५८-५९ तथा १९५९-६० में सहारनपुर व मेरठ शहर में नीलाम की गई दूकानों का ब्योरा

१--सहारनपुर शहर

नाम दुकान	लाइसेंस फीस १९५८-५९	लाइसेन्स फीस १९५९-६०
	रु०	रु०
१--पुलखुमरान	३,०००	५,०००
२--शहीदगंज	४,५००	८,५००
३--रेलवे स्टेशन	४,०००	५,०००
	११,५००	१८,५००

२--मेरठ शहर

१--कम्बोह गेट	८,२००	९,६००
२--शहगासा	४,८००	७,८००
३--शाहपीरगेट	६,३००	८,३००
४--सदर बाजार	४,६००	७,७००
५--जाल कुर्ती	१,६००	१,८००
	२५,५००	३५,२००

नत्थी 'च'

सूची नं० २

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५७ पर)

नाम शहर	न्यूनतम दर प्रतिसेर के लाइसेंस फीस पर	अधिकतम दर प्रतिसेर के लाइसेंस फीस पर
	रु०	रु०
१--सहारनपुर	१७.३०	२५.००
२--मेरठ	६.२५	१००

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

नाम तहसील	कुओं की संख्या जिन पर १९५८-५९ में तकावी दी गई	कुओं की संख्या जिन पर १९५८–५९ में अनुदान दिया गया
कानपुर	६	४८
अकबरपुर	८	७
बिलहौर	१२	२१
डेरापुर	३	७४
घाटमपुर	..	३
	२९	१५३

१९५९–६० में ८० कुओं के लिये ४० हजार रुपये तकावी देने की योजना है ।

विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

मुख्य २ मांगें	वस्तु स्थिति
(१) दूकान कर्मचारियों के विवादों में उचित न्याय को व्यवस्था।	दूकान कर्मचारियों के औद्योगिक विवाद, यू० पी० औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत संराधन समिति में लेकर उन्हें सुलझाने की कार्यवाही की जाती है। अगर संराधन समिति में विवाद नहीं सुलझता तो जो विवाद एडजुडिकेशन के योग्य पाया जाता है, एड्जुडिकेशन में भेज दिया जाता है।
(२) दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिये प्राविडेंट फंड की व्यवस्था।	प्राविडेन्ट फंड योजना भारत सरकार की है और कुछ अनुसूचित उद्योगों पर ही लागू की गई है। अभी बहुत से उद्योग अवशेष हैं जहां कि इस योजना का प्रसार नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में दूकान कर्मचारियों के लिये प्राविडेंट फंड की व्यवस्था अभी संभव नहीं प्रतीत होती है।
(३) दूकान कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक और रहन सहन की जांच कराने के लिये एक जांच आयोग की नियुक्ति।	जांच आयोग के सम्बन्ध में फेडरेशन मंडल को परामर्श दिया गया कि वे इस सम्बन्ध में एक मेमोरेंडम प्रस्तुत करें जिसमें स्पष्ट रुप से बतायें कि इस प्रकार जांच के विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे तथा वे एक प्रश्नावली भी बनायें जिसमें इन सभी विषयों का समावेश हो जिस पर आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं, ताकि इस विषय पर पूरी छानबीन की जा सकें। मंडल ने इस प्रकार का मेमोरेंडम प्रस्तुत करने का वादा किया है जिसके प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।
(४) दूकान अधिनियम की विभिन्न धाराओं का नियोजकों द्वारा नियमानुसार पालन करना।	इसके लिये आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था की गई है और देखा जाता है कि अधिनियम का भली भांति प्रति पालन हो। यदि किसी नियोजक द्वारा किसी प्रतिष्ठान में कानून के उल्लंघन का कोई समाचार मिलता है तो उसकी खास तौर से भी जांच की जाती है।
(५) औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कारखाने के कर्मचारियों के लिये बनाये गये मकानों में दूकान कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था कराना।	औद्योगिक आवास योजना भारत सरकार के गैर सरकारी कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये बनाई है और इसके अनुसार कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारी ही इन मकानों में सहायियत किराये (Subsidised Rent) पर रह सकते हैं किन्तु मकानों के खाली रहने पर दूकान के कर्मचारी भी पूर्ण किराया (Economic Rent) देकर रह सकते हैं।
(६) दूकान वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम में आवश्यक संशोधन	संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार हो रहा है।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

सूची (क)

१--श्री भगवानदास वाथव, स० वि०अ० (पंचायत)
२--श्री रामदेव राम, ,, (समाज शिक्षा)
३--श्री अब्दुल रहमान, ,, (पशुपालन)
४--श्री आर० एस० शर्मा, सुपरवाइज़र (उद्योगकला)
५--श्री बृजपाल सिंह, ग्राम सेवक
६--श्री सुखवीर सिंह, ,,
७--श्री जयवीर सिंह, ,,
८--श्री अंगनेलाल, ,,
९--श्री बच्चूलाल, ,,
१०--श्री नत्थूसिंह, ,,
११--श्री बिहारीलाल, पं० मंत्री
१२--श्री ज्वालाप्रसाद, ,,
१३--श्री मेवाराम, ,,
१४--श्री कालिकाप्रसाद, ,,
१५--श्री रोशनलाल, ,,
१६--श्री कालीचरन, लेखपाल
१७--श्री रामचरनलाल, ,,

नत्थी 'ञ'

सूची (ख)

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६१ पर)

निर्माण कार्य जिनका भुगतान नहीं हुआ है	भुगतान न होने के कारण
१--कूप निर्माण-सियाबाड़ी पट्टी २--कूप निर्माण--सियाबाड़ी पट्टी	प्रोजेक्ट १,००० रु० से अधिक मूल्य की होने के कारण स०वि०अ० को पूर्ति सर्टिफिकेट जांच के उपरान्त प्रदान करना है। मौके पर जांच के समय आपत्तियां उठाई गई जिनका निराकरण प्रधान,ग्राम सेवक तथा स० वि०अ० द्वारा कराने की पूरी चेष्टा की गई। प्रधान ने १९-१-६० को उन आपत्तियों पर अपना उत्तर दिया। यह रिपोर्ट अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) के पास उन का (payment order) प्राप्त करने हेतु दिनांक २७-१-६० को पुन: भेजी गई है। इन में से एक प्रोजेक्ट की नियोजन इंजीनियर द्वारा जांच की जायगी क्योंकि स० वि० अ० की रिपोर्ट तथा प्रधान की रिपोर्ट मौके पर हिसाब में नहीं मिलती।
३--सड़क निर्माण एवं पिंचिंग तालाब-ग्राम जत्तीपुर	प्रोजेक्ट १,०००रु० से अधिक का था। अत: स० वि० अ० तथा अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रधान द्वारा ५-१-६० को किया गया। यह मामला २०-१-६० को अतिरिक्त जिलाधीश को (payment order) के लिये भेजा गया है।
४--कुआं निर्माण-ग्राम कदेया नवादा।	प्रोजेक्ट तो पूर्ण हो गया है परन्तु (vouchers) सही न होने के कारण पेमेन्ट नहीं हो सका है।
५--शिशु क्रीड़ा केन्द्र, ग्राम ललोरी खेड़ा।	इसका पेमेन्ट इस विषय में कोई (G. O.) न होने के कारण नहीं किया जा सका। अत: प्रार्थी की प्रार्थना पर सारा केस विकास आयुक्त के आर्डर हेतु भेज दिया गया है।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

वर्ष	अस्थायी सिनेमाओं की संख्या	मनोरंजन कर से होने वाली कुल आय
१	२	३
		रुपये
१९५७–५८	२३०	१,१८,०२,१५४
१९५८–५९	२०९	१,३७,५९,०७५
१९५९–६० (दिसम्बर, १९६० तक)	१४७	१,०६,४७,६००

विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

क्रम-संख्या	सिल्क मिल का नाम	कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या	तनख्वाह
१	मेहरा	१५२	१.४४ नये पैसे प्रतिदिन तथा ३०–२–५४ से लेकर ६५–५–१५५ रु० का मासिक वेतन क्रम (अलग से महंगाई नहीं दी जाती ।)
२	श्री सिल्क मिल शावर	८०	१ रु० से १.७५ नये पैसे तक प्रतिदिन तथा ३५ रु० से लेकर ३०० रु० तक मासिक वेतन (अलग से महंगाई नहीं दी जाती ।)
३	बर्मन	३५	१.२५ से लेकर १.७५ नये पैसे प्रति दिन तथा ४५ रुपये से लेकर ७० रु० प्रति मास तक मासिक वेतन (अलग से महंगाई नहीं दी जाती ।)
४	श्याम	४२	१.२५ से १.७५ नये पैसे प्रति दिन तथा ३८ रु० से लेकर १३० रु० मासिक वेतन (अलग से महंगाई नहीं दी जाती ।)
५	विसम्भरी	३४	१.७५ नये पैसे प्रति दिन तथा ५० रु० से लेकर १०० रु० मासिक (महंगाई शामिल है ।)
६	भारत (बन्द है)	४	१.२५ से १.५० नये पैसे प्रति दिन तथा ४० रुपये से लेकर ६५ रु० प्रति मास (महंगाई शामिल है ।)

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६६ पर)

पद	संख्या
उपयोजना अध्यक्ष	१
सहायक विकास अधिकारी	६
स०वि०अ०५	
स० वि० अ० १	
ओवरसियर	२
सेनटरी इन्सपेक्टर	१
इनवेस्टीगेटर	१
सिनेमा आपरेटर	१
क्षेत्रीय कार्यकर्ता	२
ट्रेक्टर ड्राइवर	१
जीप ड्राइवर	१
सीनियर लिपिक	२
जूनियर लिपिक	२
स्टेनोग्राफर	१
स्टोर कीपर	१
ग्राम सेवक	३१
ग्रा० से० (भूमि संरक्षण) १०	
ग्रा० सेविका ३	
ग्रा० से० (बहुधंधी) १८	
मिस्त्री	१
हैमर मैन	२
कामदार	२
लेव अटेन्डेन्ट	२
बुल अटेन्डेन्ट	२
घोनी अटेन्डेन्ट	१
चौकीदार	१
मेसेन्जर--कम-पियन	६
	६९

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६७ पर)

योजना का नाम	कठिनाई
१ बागान श्रमिक गृह निर्माण	इस योजना के अन्तर्गत बागान श्रमिक मकान बनवाने को तत्पर नहीं है । आशा की जाती है कि (tripartite Board) के प्रयत्न से इस योजना का प्रारम्भ किया जा सकेगा ।
२ क्राफ्ट्स मैन ट्रेनिंग स्कीम	विदेशी विनमय की कठिनाई तथा टेक्निकल परसोनल के प्राप्त न होने से चालू वित्तीय वर्ष में मौलिक लक्ष्य का निष्पादन पूर्ण रूप से न हो सकेगी।
३ नर्सेज का प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के लिये उम्मीदवारों की कमी है । इसके लिये लगातार प्रचार किया जा रहा है और वेतन-क्रम में वृद्धि और पेंशन की सुविधा की जाने के कारण आशा है कि उम्मीदवार अधिक संख्या में उपलब्ध हो सकेंगी।
४ क्षय रोगियों केलिये ५० शैय्याओं का कक्ष	बड़े-बड़े नगरों में भवन न मिलने की वजह से इस वित्तीय वर्ष में इस स्कीम की अभी प्रगति नहीं हुई है ।
५ मेडिकल कालेज में पूरे समय के लिये पढ़ाई यूनिटों की स्थापना	केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है ।
६ नगरों/ग्रामीणों में जल पूर्ति तथा पानी निकासी योजना ।	भूमि का समय के अन्दर उपलब्ध न होने के कारण एवं आवश्यकतानुसार विभिन्न व्यास के पाइपों के प्राप्त न होने से कार्य में कुछ बाधा पड़ रही है ।
७ वैभागिक प्रिंटिंग प्रेस	विदेशी विनमय की कठिनाई के कारण यह स्कीम आरम्भ नहीं की जा सकी ।
८ राष्ट्रीय निदर्शन सर्वेक्षण का समन्वय	केलकुलेटिंग मशीन खरीदने के लिये विदेशी विनमय न मिलने के कारण प्रगति न हो सकी ।
९ रामगंगा नदी की योजना	रामगंगा नदी पर पुल बनाने के लिये (High tensil Steel) की आवश्यकता है। इसके लिये विदेशी विनमय तथा (Import Licence) बहुत देर में मिला जिसके कारण उक्त स्टील इस वित्तीय वर्ष में नहीं आ सकती।
१० शारदा सागर प्रथम चरण तथा नानक सागर	इन दोनों योजनाओं के लिये मशीनों के स्पेयर पार्टस की आवश्यकता है, जिसके लिये विदेशी विनमय काफी देर में प्राप्त हो सका। इस कारण प्रगति में बाधा पड़ी। इसके अलावा नानक सागर बांध बनाने के हेतु भूमि प्राप्त करने में विलम्ब के कारण भी प्रगति में बाधा पड़ी ।
११ टांडा की पम्प नहर, कुओं पम्प्ड नहर तथा दोहरी घाट की पम्प्ड नहर	इन नहरों के हेड वर्कस पर पंपिंग प्लान्टस लगाने के लिये विदेशी विनमय इस वर्ष अधिक समय समाप्त होने के बाद प्राप्त हो सका जिसके कारण नहरें पूरी शक्ति से चालू नहीं की जा सकी। टांडा तथा दोहरीघाट पम्पस नहर के लिये विदेशी विनमय प्राप्त हो गया है और विदेश से पम्पस मंगवाये जा रहे हैं।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२८८ एल० ए०—१९६०—८४५ ।